"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 सितम्बर 2005—भाद्र 31, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिविल लाईन, जी. ई. रोड, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2005

क्रमांक 11/सी.एस.ई.आर.सी./2005.—विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्र. 36) की धारा 43 (1) सहपठित धारा 181(2)(टी), धारा 44 एवं 46 सहपठित धारा 181 (2) (एल), धारा 47(1), सहपठित धारा 181(2) (वी), धारा 47 (4) सहपठित धारा 181 (2) (डब्ल्यू), धारा 47 (2), (3) एवं (5), 48 (बी) एवं 50 सहपठित धारा 181 (2) (एक्स) तथा धारा 56 में और भारत शासन के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी विद्युत (कठिनाईयाँ हटाना) आदेश 2005, दिनांक 8-6-2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, विद्युत के वितरण एवं आपूर्ति और उसकी प्रक्रियाएं तथा देयक पद्धति, उनके भुगतान का स्वरूप, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की शक्तियों, कृत्यों और दायित्वों तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं दायित्वों को अधिशासित करने हेतु निम्नलिखित संहिता बनाता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के नाम से जाना जाए :—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता–2005

अध्याय – 1 : संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ तथा समीक्षा प्रकिया

1.1 यह संहिता **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता–2005** के नाम से जानी जाएगी ।

1.2 इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के तारीख से यह संहिता प्रभावशील होगी।

1.3 इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।

1.4 यह संहिता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल और इस अधिनियम के अधीन उसके अभिकर्ताओं सहित, उन सभी व्यक्तियों को, जो विद्युत वितरण के व्यवसाय में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्यरत हों, तथा विद्युत के उपभोक्ताओं को लागू होगी। यह उन सब व्यक्तियों को भी लागू होगी, जिन्हें अधिनियम की धारा 13 के अधीन वितरण अनुज्ञप्ति लेने से विमुक्त किया गया हो ।

1.5 इस संहिता तथा उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण हेतु दिशा निर्देश की समय समय पर संशोधित प्रतिलिपियाँ अनुज्ञप्तिधारियों के पंजीकृत कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, वृत्त कार्यालयों, संभागीय कार्यालयों, वितरण केन्द्रों और अनुज्ञप्तिधारी अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कार्यालयों में रखी जाएँगी ।

विद्युत प्रदाय संहिता के पुनर्विलोकन हेतु तंत्र

1.6 आयोग इस संहिता सहित, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण के लिए दिशा निर्देशों के नियमित रूप से पुनर्विलोकन हेतु एक विद्युत प्रदाय संहिता पुनर्विलोकन समिति (पुनर्विलोपन समिति) का गठन करेगा । पुनर्विलोकन समिति में इतनी संख्या में व्यक्ति होंगे जो आयोग के विचार में आवश्यक एवं पर्याप्त हों, जिन्हें आयोग द्वारा नियुक्त किया जाएगा और जिसमें निम्नलिखित प्रतिनिधि भी शामिल होंगे :–

(ए) राज्य का प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी ।

(बी) राज्य पारेषण उपयोगिता अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ।

(सी) निम्नदाब उपभोक्ता, उच्चदाब उपभोक्ता, अति–उच्चदाब उपभोक्ता एवं कोई उपभोक्ता संगठन ।

(डी) गैर सरकारी संगठन सहित अन्य हितबद्ध समूह, जैसा आयोग उचित समझे ।

1.7 आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों के प्रतिनिधियों में से एक को पुनर्विलोकन समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा । अध्यक्ष अपने एक अधिकारी को सदस्य–सचिव नियुक्त करेगा । संबंधित अनुज्ञप्तिधारी समिति को उसके कृत्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक प्रशासनिक या अन्य सहायता उपलब्ध करायेगा । समिति के सभी सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष के लिये की जायेगी ।

1.8 पुनर्विलोकन समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

1.9 पुनर्विलोकन समिति का सदस्य–सचिव बैठक आयोजित होने के दिनांक से आगामी 15 दिवस के भीतर बैठक का कार्यवाही विवरण आयोग को प्रेषित करेगा ।

1.10 आयोग, विद्युत प्रदाय संहिता को स्वप्रेरणा से अथवा पुनर्विलोकन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित कर सकेगा तथापि संहिता में किसी भी प्रकार के संशोधन के पूर्व, आयोग प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, राज्य पारेषण उपयोगिता, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और आम जनता से सुझाव प्राप्त करेगा ।

1.11 विद्युत प्रदाय संहिता में संशोधन के सार को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय के क्षेत्र में बहु–प्रसारित कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायगा, जिसमें उल्लेखित किया जायगा कि संशोधित विद्युत प्रदाय की प्रतियाँ कण्डिका 1.5 में दर्शाये कार्यालयों में क्रय हेतु उपलब्ध हैं ।

अध्याय – 2: परिभाषाएँ

2.1 इस संहिता में, जब तक संदर्भ अन्यथा न हों:–

(ए) 'अधिनियम' से तात्पर्य है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का क्रमांक 36) जैसा कि समय–समय पर संशोधित हो;

(बी) 'अनुबंध' से तात्पर्य, इस संहिता के तहत अपने व्याकरणीय विभेदों और समीपीय अभिव्यक्तियों के साथ अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य किये गये अनुबंध से है;

(सी) 'उपकरण' से तात्पर्य है, विद्युत उपकरण और इसमें सभी मशीन, पुर्जे, सहायक उपकरण और यंत्र सम्मिलित हैं, जिनमें विद्युत चालकों का प्रयोग किया जाता है;

(डी) 'आपूर्ति का क्षेत्र' से तात्पर्य है वह भौगालिक क्षेत्र, जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के तहत विद्युत प्रदाय करने के लिए प्राधिकृत है;

(ई) 'औसत पावर फैक्टर' से तात्पर्य औसत मासिक पावर फैक्टर है, जिसे माह में प्रदाय किये गये कुल किलो वॉट घण्टों को कुल किलो वोल्ट एंम्पीयर घण्टों के अनुपात में प्रतिशत में दर्शाया जावेगा । इस प्रतिशत को दशमलव के दो पूर्णांकों में दर्शाया जावेगा । दशमलव के तीसरे स्थान पर पाँच या इससे अधिक की संख्या होने पर उसे दशमलव के दूसरे स्थान पर स्थित अंक से एक अंक अधिक कर पूर्णांक बनाया जावेगा। यदि किलो वॉट घण्टों या किलो वोल्ट एम्पीयर घण्टो में वाचन उपलब्ध न हो और यदि मीटर में किलो वोल्ट एम्पीयर रीएक्टिव घण्टे रिकार्ड करने की सुविधा हो तो किलो वोल्ट एम्पीयर रीएक्टिव घण्टों के वाचन के आधार पर पावर फैक्टर की गणना की जावेगी ।

(एफ) 'बिलिंग माह' से तात्पर्य है, बिल किये जाने के प्रयोजन हेतु ली गई लगातार दो मीटर वाचन के बीच की अवधि या लगभग 30 दिवस की अवधि;

(जी) 'व्यवधान' से तात्पर्य है, विद्युत लाईन सहित आपूर्ति प्रणाली के उपकरण से संबंधित कोई घटना, जो उसकी सामान्य कार्यप्रणाली को रोक देती है;

(एच) 'संहिता' से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, जैसे कि समय –समय पर लागू हो;

(आई) 'आयोग' अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

(जे) 'चालक' से तात्पर्य है, ऐसा कोई तार, केबल, छड़, नली, पटरी (रेल) या प्लेट, जो विद्युत ऊर्जा के चालन में प्रयुक्त होता है तथा जिसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि उसे विद्युत संयोजन द्वारा प्रणाली से जोड़ा जा सके;

(के) 'संयोजित भार' से तात्पर्य है, उपभोक्ता के परिसर में स्थित ऊर्जा की खपत करने वाले उन सभी विद्युत उपकरणों, के निर्माता द्वारा निर्धारित क्षमतानुसार, विद्युत भार का कुल योग, जो एक साथ प्रयोग किये जा सकते हैं;

इसकी अभिव्यक्ति किलो वाट, किलो वोल्ट एम्पीयर या हार्स पावर इकाई में की जायगी और इसका अवधारण इस संहिता के 'स्थापना की विद्युत क्षमता का निर्धारण' शीर्षक के खण्ड 6.37 से 6.42 में दर्शाई प्रक्रिया के अनुसार होगा;

(एल) 'उपभोक्ता' से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति, जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय किया गया हो एवं इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसके परिसर को अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रणाली से तात्कालिक रूप से सम्बद्ध किया गया हो या ऐसा व्यक्ति जिसने विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया हो या ऐसा व्यक्ति जिसे विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने हेतु

विहित सूचना पत्र दिये जाने के उपरांत भी उसे विद्युत प्रदाय नहीं किया जा रहा हो, या जिसका विद्युत प्रदाय विच्छेदित कर दिया हो। कोई उपभोक्ता:–

(i) **निम्न दाब (एल.टी) उपभोक्ता** होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से निम्न अथवा मध्यम वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो;

(ii) **उच्च दाब (एच.टी) उपभोक्ता** होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो;

(iii) **अति उच्च दाब (ई.एच.टी) उपभोक्ता** होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से अति उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो;

(एम) **'उपभोक्ता की स्थापना'** से तात्पर्य है कोई भी संयुक्त विद्युत इकाई, जिसमें विद्युत तार, पुर्जे, मोटरें, चलित एवं स्थाई उपकरण शामिल होंगे जो उपभोक्ता द्वारा या उसके लिए उपभोक्ता के परिसर में स्थापित या तारों से जोड़े गये हैं;

(एन) **'संविदा मांग'** से तात्पर्य है, किलो वॉट या किलो वोल्ट एम्पीयर या बीएचपी में, जैसा भी मामला हो, अधिकतम विद्युत भार, जिसकी आपूर्ति किये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी सहमत हुआ हो और जिसके लिए उपभोक्ता ने अनुबंध किया हो एवं जो अनुबंध में उल्लेखित हो;

(ओ) **'कट–आउट'** से तात्पर्य है, कोई उपकरण, जो विद्युत तार में प्रवाहित होने वाले करेंट के पूर्व निर्धारित मात्रा से अधिक होने की दशा में स्वचालित रूप से विद्युत प्रदाय अवरूद्ध करता है एवं इसमें गलने वाले तार का कट–आउट भी सम्मिलित है;

(पी) **'विद्युत प्रदाय प्रारंभ करने की तिथि'** से तात्पर्य उस तिथि से है जो उपभोक्ता को दी गई विद्युत प्रदाय की उपलब्धता के सूचना पत्र जारी होने के उपरांत निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए एक महीने व उच्च दाब तथा अति उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए तीन महीनों के बाद पड़ने वाली प्रथम तिथि अथवा विद्युत प्रदाय की वास्तविक तिथि में से जो भी पहले हो;

(क्यू) **'मांग प्रभार'** किसी बिलिंग अवधि के लिए लिया जाने वाला वह प्रभार है जो उपभोक्ता की अनुबंधित मांग या उच्चतम मांग, इसमें से जो भी अधिक हो , पर आधारित होगा जिसकी गणना आयोग द्वारा अधिनियम के भाग VII के अंतर्गत पारित अनुमोदित टैरिफ आदेश में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावेगी;

(आर) **'वितरण प्रणाली'** से तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है, जिसमें 33 के.व्ही. या इससे कम वोल्टेज की मुख्यतः शिरोपरी लाईनें, भूमिगत केबल, सर्विस लाईन, विद्युत उपकरण, कंट्रोल स्विच गीयर एवं मीटर सम्मिलित हों एवं इसमें उच्चतर वोल्टेज की वह प्रणाली भी सम्मिलित होगी, जिसे नियामक आयोग द्वारा विशेष रूप से मान्यता दी गई हो । इस प्रणाली में अति उच्च दाब (66 के.व्ही. एवं इससे अधिक) उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय हेतु प्रयोज्य मीटरिंग प्रणाली (सी.टी., पी.टी एवं मीटर) के अलावा पारेषण प्रणाली का कोई भी भाग सम्मिलित नहीं होगा;

(एस) **'भू–योजन'** या **'भूमि से संयोजित'** से तात्पर्य है विद्युत प्रणाली को भूमि से इस प्रकार संयोजित करना कि विद्युत का उन्मोचन (डिस्चार्ज) तत्काल एवं प्रभावी रूप से बगैर किसी खतरे के हो;

(टी) **'ऊर्जा'** से तात्पर्य है ऐसी विद्युत ऊर्जा :–

(i) जो कि किसी भी उद्देश्य के लिए उत्पादित पारेषित अथवा प्रदाय की जा रही हो, अथवा

(ii) जो संदेश को प्रसारित करने के अलावा किसी और कार्य के लिए उपयोग की जा रही हो;

(यू) 'ऊर्जा प्रभार' से तात्पर्य उस प्रभार से है, जो कि उपभोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा (किलो वॉट घण्टा या किलो वॉट एम्पीयर घण्टा) के आधार पर लगाया जाता हो;

(व्ही) 'अति उच्च दाब वोल्टेज' से तात्पर्य है वह वोल्टेज जो 33,000 वोल्ट से ज्यादा हो एवं जो कि भारतीय विद्युत नियम, 1956 में दिये गये मापदण्ड के प्रतिशत विचलन के अनुसार हो;

(डब्ल्यू) 'हार्मोनिक्स' से तात्पर्य है 50 हर्ट्ज की मौलिक विद्युत लाईन फ्रीक्वेन्सी के एकीकृत गुणक सामयिक तरंग का घटक जिससे वोल्टेज या विद्युत धारा की शुद्ध सिनसाइडल तरंग के आकार में विकृति आती है । यह IEEE STD 519–1992–IEEE 'रिकमेंडेड प्रेक्टिसेज़ एण्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर हारमोनिक कन्ट्रोल इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम', से शासित होंगे और अधिनियम की धारा 185(2), (सी) के अधीन बनाये गये मापदण्डों के अनुसार होंगे;

(एक्स) 'उच्च दाब वोल्टेज' से तात्पर्य है सामान्य परिस्थिति में 650 वोल्ट से अधिक तथा 33,000 वोल्ट तक की वोल्टेज, जो भारतीय विद्युत नियम, 1965 के तहत अनुमति दिये जाने योग्य प्रतिशत विचलन के अनुसार हो ;

(वाय) 'अनुबंध के प्रारंभिक कालखण्ड' से तात्पर्य हैं, विद्युत प्रदाय आरंभ करने या विद्युत प्रदाय उपलब्ध होने के नोटिस की समाप्ति की तिथि से आगामी 2 वर्ष की अवधि। यह कालखण्ड अनुबंध के 2 वर्ष के प्रारंभिक कालखण्ड के अंतिम माह के अंतिम दिन तक प्रभावी होगा;

(जेड) 'व्यवस्थापन' से तात्पर्य है ऐसी संयुक्त विद्युत इकाई जो कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, रूपांतरण, पारेषण, परिवर्तन, वितरण अथवा उपभोग में प्रयुक्त हो रही है;

(एए) 'अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार' से तात्पर्य उस ठेकेदार से है जिसे भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 45 के तहत् अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो;

(बीबी) 'लोड फैक्टर' से तात्पर्य है किसी समयावधि में उपभोग की गई कुल यूनिटों तथा संविदा भाँग/स्वीकृत भार को लगातार रखते हुए उपभोग की जाने योग्य कुल यूनिटों का अनुपात । इसे प्रायः प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जायगा;

(सीसी) 'निम्न दाब वोल्टेज' से तात्पर्य उस वोल्टेज से है जो सामान्य परिस्थितियों में 250 वोल्ट से अधिक न हो । तथापि इसमें भारतीय विद्युत नियम, 1956 के तहत् दिये गये प्रतिशत विचलन अनुमत होंगे;

(डीडी) 'अधिकतम मांग' से तात्पर्य उस मांग से है, जिसकी उपभोक्ता श्रेणी के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश में दी गई प्रकियां के अनुसार गणना की जावेगी;

(ईई) 'मध्यम वोल्टेज' से तात्पर्य है सामान्य परिस्थितियों में 250 से अधिक लेकिन 650 वोल्ट से कम वोल्टेज हो । तथापि वह भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 के तहत् अनुमति दिये जाने योग्य प्रतिशत विचलन के अधीन होगी;

(एफएफ) 'मीटर' से तात्पर्य हैं एकीकृत उपकरणों और यंत्रों का वह समूह, जिसे किलोवाट घंटे या किलो वोल्ट एम्पीयर घण्टे में विद्युत मात्रा, किलोवाट या कवीए में अधिकतम माँग, के.वी.ए.आर. घण्टे में रीएक्टिव ऊर्जा इत्यादि को नापने और/या अंकित करने और/या संग्रह करने हेतु प्रयुक्त किया जाय। इसमें ऐसे मीटर या उसके सहायक उपकरणों के साथ प्रयुक्त केबल वायरिंग सहित होल करण्ट मीटर, मीटरिंग इक्विपमेंट जैसे करण्ट ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पोटेन्शीयल ट्रांसफार्मर और अन्य साधन जैसे स्विच, एमसीबी/लोड लिमिटर या सुरक्षा और परीक्षण हेतु लगाये गये

फ्यूज तथा ऐसे मीटर या उनके सहायक यंत्रों को लगाने हेतु उपयोग किया गया बॉक्स शामिल होंगे; और

(जीजी) **'माह'** से तात्पर्य है कैलेण्डर माह .

2.2 उपर्युक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त जो भी पारिभाषिक एवं अन्य शब्द इस संहिता में प्रयुक्त किये हैं, परंतु इस संहिता में परिभाषित नहीं किये गये हैं, का तात्पर्य अधिनियम में दी गई परिभाषा से होगा, यदि वे अधिनियम में परिभाषित किये गये हों । अन्य परिभाषित शब्द, जो इस संहिता में उपयोग किये गये हैं परंतु इस संहिता या अधिनियम में परिभाषित नहीं किये गये हैं, यदि उन्हें संसद द्वारा राज्य के विद्युत उद्योगों पर लागू किसी अन्य विधि या अधिनियम की धारा 62 के अधीन पारित किये गये टैरिफ आदेश में दिया गया है, तो उनका तात्पर्य उस विधि में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा ।

उपर्युक्त के अधीन उपयोग किये गये पारिभाषिक शब्द, जिन्हें विशेष रूप से इस संहिता या अधिनियम या संसद द्वारा पारित किसी विधि में परिभाषित नहीं किया गया है, का तात्पर्य ऐसे शब्दों की उस परिभाषा से होगा जो सामान्यतः विद्युत प्रदाय उद्योग में प्रयुक्त की जाती है ।

अध्याय–3: विद्युत प्रदाय प्रणाली और उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

आपूर्ति प्रणाली

3.1 अल्टरनेटिंग करेंट (ए.सी) की घोषित फ्रीक्वेंसी 50 साईकल प्रति सेकेंड होगी ।

3.2 ए.सी. आपूर्ति की घोषित वोल्टेज निम्नानुसार होगी :–

(ए) निम्न दाब (एल.टी)

(i) एकल फेज़ : फेज और न्यूट्रल के मध्य 230 वोल्ट;

(ii) तीन फेज़ : फेज़ों के मध्य 400 वोल्ट;

(बी) उच्च दाब (एच.टी) – तीन फेज़ : फेजों के मध्य 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट;

(सी) अति उच्च दाब (ई.एच.टी.) – तीन फेज़ : फेज़ों के मध्य 66 किलो वोल्ट या 132 किलो वोल्ट या 220 किलो वोल्ट।

रेल्वे कर्षण के लिये दो फेज़ पर विद्युत प्रदाय की जायगी।

3.3 अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली को पारेषण प्रणाली के अनुसार आकल्पित एवं संचालित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के बिंदु पर घोषित वोल्टेज से भिन्न वोल्टेज की अनुमति निम्नलिखित स्थितियों के सिवाय नहीं देगा :–

(ए) निम्न दाब और मध्यम दाब वोल्टेज की दशा में घोषित वोल्टेज से 6 प्रतिशत से अधिक का अंतर हो;

(बी) उच्च दाब वोल्टेज की दशा में उच्चतर छोर पर 6 प्रतिशत से अधिक और निम्नतर छोर पर 9 प्रतिशत से अधिक का अंतर न हो;

(सी) अति उच्च दाब वोल्टेज की दशा में उच्चतर छोर पर 10 प्रतिशत से अधिक और निम्नतर छोर पर 12.5 प्रतिशत से अधिक अंतर हो ।

उपर्युक्त से विलग कोई भी अनुमति केवल उपभोक्ता की लिखित सहमति अथवा आयोग के पूर्वानुमोदन से दी जाएगी ।

उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज

3.4 विद्युत आपूर्ति वोल्टेज विभिन्न संविदा मांग के लिए सामान्यतः निम्नानुसार होगी :-

विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
230 वोल्ट	–	2 किलोवॉट
400 वोल्ट	2 किलोवॉट से अधिक	100 हार्स पावर अथवा 75 किलोवॉट
11 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए	300 के.व्ही.ए
33 के.व्ही	60 के.व्ही.ए	10000 के.व्ही.ए
132 के.व्ही	4000 के.व्ही.ए	40000 के.व्ही.ए
220 के.व्ही	15000 के.व्ही.ए	150000 के.व्ही.ए.

निम्न दाब पर विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे उपभोक्ता का संयोजित भार 150 हार्स पावर से अधिक नहीं होगा ।

परंतु यह कि प्रणाली की उपलब्धता अथवा परिस्थितियों के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी स्वविवेक से, आयोग से परामर्श कर, उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी वोल्टेज की जगह किसी अन्य वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति कर सकता है । विशेषतः रेल्वे के प्रकरणों में, उपरोक्त तालिका में विभिन्न वोल्टेज स्तर पर अधिकतम एवं न्यूनतम संविदा मांग की सीमाओं को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परस्पर सहमति एवं अनुबंध के आधार पर, वास्तविक आवश्यकता और साध्यता के अनुसार शिथिल किया जा सकता है ।

उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

3.5 आयोग द्वारा, समय–समय पर अधिनियम की धारा 62 के अधीन पारित किये गये टैरिफ आदेश में या अन्यथा उपभोक्ताओं का वर्गीकरण, टैरिफ और प्रत्येक वर्ग को लागू विद्युत आपूर्ति की शर्तें, निश्चित की जायेंगी । अनुज्ञप्तिधारी, समय–समय पर आयोग द्वारा निश्चित वर्गीकरण के अनुरूप उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत अथवा पुनर्वर्गीकृत कर सकेगा ।

अध्याय – 4: नवीन विद्युत आपूर्ति

अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत आपूर्ति के दायित्व

4.1 अनुज्ञप्तिधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में स्थित किसी परिसर के स्वामी अथवा कब्जेदार से आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे परिसर को इस संहिता (देखें–कंडिका 4.77) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विद्युत की आपूर्ति करेगा, यदि :

(ए) विद्युत की आपूर्ति तकनीकी रूप से साध्य हो,

(बी) आवेदक द्वारा इस संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया हो, तथा

(सी) आवेदक इस संहिता में विर्निदिष्ट आपूर्ति तथा सेवाओं का मूल्य वहन करने के लिए सहमत हो ।

अनुज्ञप्तिधारी का वितरण प्रणाली के विस्तार का दायित्व तथा उपभोक्ता का लागत में हिस्सा

4.2 अनुज्ञप्तिधारी अपने वार्षिक राजस्व तथा अपने द्वारा व्यवस्था किये गये कोष से वर्तमान उपभोक्ताओं की मांग पूर्ति के लिए प्रणाली के सशक्तीकरण / उन्नयन की लागत की पूर्ति करेगा और इस लागत की वसूली उपभोक्ताओं से टैरिफ के माध्यम से की जावेगी । इस लागत के एक भाग की पूर्ति उपभोक्ताओं से वसूली योग्य, आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित प्रणाली के सशक्तिकरण प्रभार के द्वारा की जावेगी ।

4.3 नवीन उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के लिए, आपूर्ति बिंदु तक वितरण लाईन का विस्तार तथा प्रणाली के विस्तार / उन्नयन की लागत का, भुगतान, उपभोक्ताओं द्वारा अथवा उपभोक्ताओं के समूह द्वारा किया जायेगा या अन्यथा जैसा कि अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा निर्देशित किया जाय ।

4.4 समस्त नये कनेक्शनो के प्रकरणों में उपभोक्ता द्वारा लाईन के विस्तार की वास्तविक लागत, और सर्विस कनेक्शन प्रभार का भुगतान किया जायेगा ।.

4.5 आयोग द्वारा समय–समय पर सर्विस कनेक्शन प्रभार अनुमोदित किये जायेगें । उन मामलों में जहां प्रभार अनुमोदित नहीं किये गये हो, उपभोक्ता, सर्विस कनेक्शन के विस्तार की वास्तविक लागत वहन करेगा ।

4.6 ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पम्प एवं चक्की उपभोक्ताओं के अतिरिक्त सभी तीन फेज़ उपभोक्ताओं द्वारा खण्ड 4.4 में बताये गये प्रभारों के अतिरिक्त आयोग से अनुमोदित सप्लाई एफोर्डिंग चार्ज भुगतान योग्य होगा ।

4.7 यदि किसी नवीन कनेक्शन का प्रस्तावित संबद्ध/संविदा भार 50 किलो वॉट या अधिक होता है तो समुचित क्षमता के पृथक ट्रांसफार्मर की स्थापना उपभोक्ता के खर्चे पर की जावेगी । ट्रांसफार्मर, उपकेंद्र तथा मीटरों की स्थापना के लिए उपभोक्ता द्वारा आवश्यक पहुँच–सुविधा वाला स्थान/कमरा निःशुल्क दिया जावेगा, जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी कोई किराये या प्रीमियम का भुगतान नहीं करेगा ।

4.8 सर्विस कनेक्शन / वितरण प्रणाली का विस्तार, चाहे इसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया गया हो, अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति होगी जो इसका संधारण (रख रखाव) अपने खर्च पर करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार भी होगा कि वह इस सर्विस कनेक्शन / विस्तार का उपयोग अन्य किसी व्यक्ति की विद्युत आपूर्ति के लिए करे। किंतु ऐसे किसी सर्विस कनेक्शन/विस्तार से उस उपभोक्ता की आपूर्ति विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जिसने वितरण प्रणाली के विस्तार का भुगतान किया है ।

4.9 जब अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति करने के लिए तैयार है तो वह निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में 1 महीने और उच्च दाब तथा अति उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में 3 माह के अंदर विद्युत आपूर्ति लेने हेतु सूचना पत्र प्रेषित करेगा। यदि उपभोक्ता सूचना पत्र के अवधि के अंदर आपूर्ति लेने में असफल रहता है तो वह सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि के दूसरे दिन से अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार देय प्रभारों का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा ।

उपभोक्ता द्वारा सर्विस कनेक्शन/विस्तार कार्य कराया जाना

4.10 उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से अपने परिसर तक सर्विस लाईन खींचने का कार्य 'सी' श्रेणी या इससे उच्च श्रेणी के अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार तथा उच्च दाब, अति उच्च दाब लाईन, वितरण या उच्च दाब उप केंद्र और निम्न दाब लाईन के विस्तार का कार्य 'अ' श्रेणी के ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन तथा अनुमोदित नक्शे के अनुसार करवा सकता है । ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता स्वयं सामग्री उपार्जित करेगा। सामग्री संबंधित बी.आई.एस मानकों या उसके समतुल्य के अनुरूप होनी चाहिए तथा जहाँ लागू हो वहाँ आई.एस.आई चिन्हित होना चाहिए । अनुज्ञप्तिधारी, उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जाँच के लिए दस्तावेजी सबूत की मांग कर सकता है । उपभोक्ता को विद्युत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन की लागत पर आयोग द्वारा विविध प्रभारों की सूची में यथा-अनुमोदित पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान करना होगा । सामग्री की दरें रेडी रेकनर में उपलब्ध होंगी ।

4.11 उपभोक्ता, कंडिका 4.77 मे दी गई समय सीमा में कार्य पूर्ण करेगा और ऐसा न करने पर अनुज्ञप्तिधारी 15 दिवस की सूचना देकर आपूर्ति का आवेदन निरस्त मान सकता है ।

विद्युत आपूर्ति के लिए आवेदन

4.12 विद्युत ऊर्जा की नवीन आपूर्ति अथवा बाद की अतिरिक्त आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र उपयुक्त निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में दिया जाएगा । आवेदन पत्र का प्रपत्र नाम मात्र की शुल्क अदायगी पर अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा । आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में उपबंधित किया गया है । कोरे आवेदन पत्र की छाया प्रतियों या अनुज्ञप्तिधारी के वेब साईट से आवेदन प्रपत्रों को प्राप्त कर उनका उपयोग भी उपभोक्ता द्वारा किया जा सकता है, जिसे अनुज्ञप्तिधारी स्वीकार करेगा ।

4.13 उस परिसर, जिसके लिए आपूर्ति की आवश्यकता है, कब्जेदार द्वारा आवेदन दिया जाएगा तथा आवेदन में उसका पूरा नाम, पता तथा आवेदित परिसर का दूरभाष कमांक (यदि उपलब्ध है) और अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार, जिसके द्वारा वायरिंग, की जावेगी, का नाम व पता भी दर्शाया जाएगा । किंतु, अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार के माध्यम से आवेदन पत्र दिया जाना आवश्यक नहीं है । उपभोक्ता को आवेदन पत्र भरने में आवश्यक किसी प्रकार की सहायता या जानकारी,अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा दी जाएगी।

4.14 उपभोक्ता को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ जमा करानी होंगी । अनुज्ञप्तिधारी सत्यापन के लिए आवेदक से मूल दस्तावेजों की मांग कर सकता है ।

(ए) परिसर के वैधानिक स्वामित्व के सबूत के रूप में पंजीकृत विक्रयपत्र या विभाजन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या अंतिम वसीयत पत्र, अथवा

परिसर के कब्जेदार के सबूत के रूप में वैध अधिकार पत्र या चालू माह के किराये की रसीद या वैध लीज डीड या किराया अनुबंध पत्र या परिसर के स्वामी द्वारा जारी आवंटन आदेश, अथवा

कृषि/सिंचाई पम्प सेट के आपूर्ति के प्रकरण में संबंधित कृषि भूमि, जहाँ आपूर्ति की आवश्यकता है, का खसरा क्रमांक दर्शाते हुए खसरे की नकल और सक्षम शासकीय प्राधिकारी द्वारा जारी जल उपलब्धता प्रमाण पत्र ।

(बी) यदि विधि / विधान द्वारा आवश्यक हो तो स्थानीय / वैधानिक संस्था से अनुमोदन / अनुमति ।

(सी) भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख तथा आवेदनकर्ता, जो आवेदन पत्रों एवं अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हो, के नाम पर जारी किया गया अधिकार पत्र।

(डी) सार्वजनिक–क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र की लिमिटेड कंपनियों के प्रकरण में कंपनी का स्मृति पत्र और एसोसिएशन का अनुच्छेद (मेमोरण्डम एण्ड आर्टीकल्स आफ ऐसोसिएशन एण्ड सर्टिफिकेट आफ इन्कारपोरेशन) और साथ ही आवेदन पत्र और अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकार पत्र ।

(ई) उद्योग के पर्यावरण अनुमोदन के दायरे में होने की दशा में पर्यावरण संरक्षण विभाग से अनुमति ।

(एफ) छोटे एवं मध्यम उद्योग की दशा में लघु उद्योग का पंजीकरण ।

(जी) स्टोन क्रशर, स्टोन पालिशिंग और हॉटमिक्स संयत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत की जावेगी :

(i) संबंधित शासकीय विभाग से दस्तावेजी सबूत कि इस प्रकार के उपभोक्ता द्वारा कम से कम दो वर्ष तक बिजली आपूर्ति प्राप्त की जायेगी; और

(ii) उपभोक्ता का स्थाई पता ।

(एच) उपभोक्ता द्वारा यह भी सूचित किया जावेगा कि सर्विस लाइन और विस्तार कार्य, यदि कोई है, उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा अथवा अनुज्ञप्तिधारी से कराना प्रस्तावित है।

(आई) आयोग द्वारा नियत किया गया प्रक्रिया शुल्क भी आवेदन दिये जाने के साथ देय होगा।

4.15 घरेलू या सिंगल फेज गैर–घरेलू श्रेणी के नये कनेक्शन हेतु आवेदक, यदि परिसर के विधि सम्मत कब्जेदार होने का सबूत देने में असमर्थ हो तो वितरण वृत्त के प्रभारी द्वारा ऐसे सबूत की आवश्यकता को, लिखित रूप में इसके कारणों को दर्ज कर, समाप्त किया जा सकता है। परंतु ऐसे मामलों में आवेदक, परिसर को विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद की दशा में अनुज्ञप्तिधारी को होने वाली क्षति की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति बन्धपत्र निष्पादित कर देगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा बताई गई 90 दिन की औसत् खपत के आधार पर सुरक्षा निधि उपभोक्ताओं द्वारा जमा कराई जायेगी । इस प्रकार के परिसर में प्रदाय किये गये विद्युत कनेक्शन को परिसर का कानूनी अधिकारी होने या किसी अन्य कानूनी सबूत के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा ।

4.16 यदि उपभोक्ता, किसी पूर्ववर्ती अनुबंध जो कि उसके नाम में निष्पादित किया गया था या उस फर्म या कंपनी जिसके साथ वह पूर्व में भागीदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक के रूप में संबद्ध रहा हो के नाम में निष्पादित किया गया था, पर विद्युत प्रदाय के बकाया या उस परिसर, जहां नवीन कनेक्शन का आवेदन दिया जाना है, पर अन्य बकाया राशि है और यह बकाया राशि अनुज्ञप्तिधारी को देय है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति के आवेदन पर तब तक कोई विचार नहीं किया जायेगा जब तक बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता है । किसी व्यक्ति का एक नई सम्पत्ति का अधिष्ठाता बनने पर यह दायित्व होगा कि आधिपत्य ग्रहण करने के पहले वह पूर्व महीनों के विद्युत बिलों की जांच करे अथवा आपूर्ति संयोजन के विच्छेदित रहने की स्थिति में परिसर के अधिष्ठापन के शीघ्र पहले, अनुज्ञप्तिधारी के अभिलेखों से बकाया राशि की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि बिल में दर्शायी बकाया विद्युत राशि का निपटान एवं भारमोचन हो चुका है । ऐसे किसी व्यक्ति के आवेदन पर उस परिसर में पूर्व में या वर्तमान में स्थापित कनेक्शन पर बकाया राशि का प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी बाध्य होगा । अनुज्ञप्तिधारी, पहले से चालू किसी कनेक्शन के द्वारा परिसर को विद्युत आपूर्ति देने या

परिसर में नवीन कनेक्शन देने से मना कर सकता है, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता है ।

4.17 विद्युत आपूर्ति के इन नियम और शर्तों के लिये संस्थान / परिसर का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा :–

(ए) इसका अलग से प्रबंधन और स्टाफ हो, अथवा

(बी) इस पर भिन्न व्यक्तियों का स्वामित्व हो या यह पट्टे पर हो, अथवा

(सी) किसी ऐसी विधि, जिसमें ऐसी प्रक्रिया लागू हो, के अनुसार इसे अलग अनुज्ञप्ति दी गई हो या पंजीकरण किया गया हो, और

(डी) घरेलू श्रेणी के भवन जिनके पास परिसर को पृथक दर्शाने हेतु स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त संबंधित दस्तावेज हों ।

उपरोक्त शर्तों का परिपालन होने पर परिसर को पृथक मानकर पृथक बिन्दु पर विद्युत आपूर्ति की जावेगी जबकि वे एक ही उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा न हों। साधारणतः पूरे परिसर के लिये उपभोक्ता को एक बिन्दु पर विद्युत प्रदाय की जावेगी ।

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति

(ए) निम्नदाब पर आपूर्ति

4.18 अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन तथा सहपत्रों की जांच करेगा । आवेदन पूर्ण पाए जाने पर आवेदन प्राप्ति की एक लिखित रसीद तत्काल जारी करेगा। आवेदन अपूर्ण पाए जाने या अन्यथा जानकारी त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में कमियों के बारे में आवेदक को लिखित रूप में 05 कार्य दिवसों के अंदर सूचित् किया जावेगा । आवेदक से पूर्ण किया गया आवेदन प्राप्त होते ही इसकी लिखित पावती तत्काल आवेदक को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जावेगी एवं तत्पश्चात् 03 दिवस के अंदर अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को स्थल निरीक्षण की प्रस्तावित् दिनांक की सूचना देगा जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए आगामी 02 दिवसों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आगामी 05 दिवसों के अन्दर होगी ।

4.19 निरीक्षण के दौरान आवेदक या उसका प्रतिनिधि अनुज्ञप्ति–धारक ठेकेदार के साथ स्थल पर उपस्थित रहेगा । निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी :–

(i) आपस में सहमति पर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ करने का बिन्दु तथा मीटर एवं कट–आऊट/एमसीबी लगाने का स्थान निश्चित् करेगा ।

(ii) आपूर्ति के बिन्दु तथा निकटतम वितरण मेन, जहां से विद्युत की आपूर्ति की जा सके, के मध्य के दूरी का आंकलन करेगा तथा प्रस्तावित लाईनों व उपकेन्द्रों की स्थापना का स्थान व मार्ग निर्धारित करेगा ।

(iii) किसी स्थान पर आपूर्ति हेतु विद्युत लाइन यदि तीसरे पक्ष की संपत्ति के ऊपर से जाती हे तो इसकी भी जांच करेगा ।

(iv) आवश्यक होने पर आवेदन पत्र में दिये गये अन्य विवरणों की सत्यता की जांच करेगा।

4.20 उपभोक्ता के परिसर का अग्रभाग मार्ग पर स्थित न होने पर तथा अनुज्ञप्तिधारी के वितरणमेन से खींची जाने वाली सर्विस लाइन के लिये या अन्य किसी प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति के लगे हुए परिसर से, उसके ऊपर या नीचे से (लगा हुआ परिसर उपभोक्ता एवं ऐसे उस व्यक्ति

के संयुक्त स्वामित्व में हो अथवा न हो) उपभोक्ता अपने स्वयं के खर्च पर वितरण लाईन का निर्माण करने या सर्विस लाइन डालने के लिए आवश्यक पहुँच रास्ता (वे–लीव), अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को देगा। जब तक वे लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था हो नहीं जाती, अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति नहीं करेगा । वे–लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की शर्तों के अनुसार आपूर्ति लाइन डालने में किया गया अतिरिक्त व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा। वे–लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति के निरस्त होने अथवा वापस लिये जाने की स्थिति में सर्विस लाइन के किसी परिवर्तन अथवा नई सर्विस लाइन के प्रावधान, जो कि इस परिस्थिति में अपरिहार्य हो, की व्यवस्था उपभोक्ता को अपने स्वयं के खर्च पर करनी होगी या उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में इस कार्य की पूर्ण लागत का भुगतान उपभोक्ता को स्वयं वहन करना होगा ।

4.21 उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किये गये वे–लीव, अनुज्ञप्ति या स्वीकृति की सत्यता अथवा पर्याप्तता की पुष्टि करने का अवलंबन अनुज्ञप्तिधारी पर नहीं होगा ।

4.22 विद्यमान लाईन से आपूर्ति किया जाना संभव होने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि, सर्विस लाइन खींचने एवं अन्य लागू प्रभारों की राशि का एक मांग पत्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शहरी क्षेत्रों में 10 कार्यकारी दिवसों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 कार्यकारी दिवसों में उपभोक्ता को प्रेषित किया जायेगा । राशि 15 कार्यकारी दिवसों में देय होगी तथा इसके पश्चात् ही सर्विस लाइन डालने की कार्यवाही की जाएगी । अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध करने की सूचना भी देगा ।

4.23 यदि उपभोक्ता को आपूर्ति देने में वितरण मेन का विस्तार करना आवश्यक हो तो वितरण मेन के विस्तार की राशि, सर्विस लाइन खींचने की राशि, सुरक्षा निधि की राशि तथा लागू अन्य प्रभारों का एक मांग पत्र अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्रों में 10 दिनों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों में उपभोक्ता को प्रेषित् करेगा एवं उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य अतिरिक्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने की आवश्यकता की सूचना भी उपभोक्ता को देगा । ऐसे प्रकरणों में जहाँ वितरण मेंस व सर्विस लाईन इत्यादि के विस्तार का कार्य उपभोक्ता द्वारा कराया जाना है, उपभोक्ता द्वारा देय शुल्क में वितरण मेंस एवं सर्विस लाईन के विस्तार कार्य पर पर्यवेक्षण शुल्क एवं अन्य लागू प्रभार सम्मिलित होंगे । अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण करने के साथ आवेदक द्वारा इस राशि का पूर्ण भुगतान 15 कार्य दिवसों में किया जायेगा जिसके बाद ही सर्विस लाइन एवं वितरण मेन डालने का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा । अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को निर्धारित प्रपत्र में परीक्षण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी सूचित करेगा ।

4.24 उपभोक्ता के 15 दिवसों में औपचारिकताएं पूर्ण करने में विफल रहने पर अनुज्ञप्तिधारी अगले 15 दिनों में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु उसको सूचना देगा, जिसमें विफल रहने पर उसका आपूर्ति का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा । उसके बाद आपूर्ति अथवा अतिरिक्त आपूर्ति, जैसा भी प्रकरण हो, के लिए उपभोक्ता को पुनः नया आवेदन देना होगा।

4.25 उपभोक्ता द्वारा ऊपर दर्शित प्रभारों का भुगतान करने, अनुबंध निष्पादित करने, और परीक्षण प्रपत्र प्राप्त होने तथा सर्विस लाईन व विस्तार कार्य पूर्ण किये जाने की सूचना उपभोक्ता से प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को उसकी स्थापना के परीक्षण किये जाने के दिनांक की सूचना देगा । उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके स्थापना के परीक्षण के दौरान वह अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार, जिसने वायरिंग का कार्य किया है, उपस्थित रहे ।

4.26 उपभोक्ता की स्थापना का परीक्षण करने पर यदि अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण के नतीजों से संतुष्ट है तो अनुज्ञप्तिधारी कट–आउट या मिनियेचर सर्किट ब्रेकर सहित मीटर लगाने का प्रबंध करेगा, उपभोक्ता की उपस्थिति में मीटर को सील करेगा और इस संहिता में दर्शाई गई समय सीमा में विद्युत प्रदाय करेगा । संतुष्ट नहीं होने पर अनुज्ञप्तिधारी वायरिंग में पाई गई कमियों (खामियों) की लिखित सूचना उपभोक्ता को देगा। आवेदक को खामियों को दुरूस्त कराना होगा। तत्पश्चात् निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जावेगा।

4.27 सारे कार्य कंडिका क्रमांक 4.77 में विनिर्दिष्ट समय–सीमा में पूर्ण किये जायेंगे ।

(बी) बहु–उपभोक्ता परिसरों सहित् व्यवसायिक परिसरों में निम्न दाब विद्युत आपूर्ति:–

4.28 नई विद्युत आपूर्ति देने के उद्देश्य से ऐसा भवन अथवा भवनों का समूह जिसमें एक से अधिक कनेक्शन दिये जाने हों एवं कुल विद्युत भार 50 किलोवॉट या उससे अधिक हो, को बहुउपभोक्ता परिसर कहा जायेगा ।

4.29 बहुउपभोक्ता परिसर को पर्याप्त क्षमता के एक पृथक वितरण ट्रांसफार्मर के द्वारा, जो 100 केव्हीए से कम नहीं हो, विद्युत आपूर्ति की जावेगी । उच्चदाब लाइन, वितरण ट्रांसफार्मर एवं निम्नदाब लाइन/केबल सहित् विस्तार कार्य की लागत डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता द्वारा वहन की जावेगी ।

4.30 डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता, "सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जेस" (प्रणाली उन्नयन प्रभार) का भुगतान भी करेगा । सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्ज उपभोक्ताओं से वसूल करने योग्य वह प्रभार है जो अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु लिया जाता है ।

4.31 यदि विद्यमान 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की क्षमता में वृद्धि कर आवासीय कालोनी को विद्युत आपूर्ति किया जाना संभव नहीं हो अथवा आवासीय कालोनी का भार 2150 किलोवॉट से अधिक हो तो डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता को आवश्यक क्षमता के 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र तथा इससे संबंधित 33 के.व्ही. लाईन के निर्माण की लागत वहन करनी होगी। ऐसे प्रकरणों में सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जेस, यदि कोई हो, का भुगतान आयोग द्वारा अनुमोदित "शेड्यूल ऑफ मिसलेनियस चार्जेस" के अनुसार नहीं करना होगा ।

4.32 सभी चरणों को शामिल करते हुए बहुउपभोक्ता परिसर का विद्युत भार 1000 किलोवाट से अधिक होने की दशा में डेव्हलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ताओं को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 33/11 के.व्ही के उपकेंद्र निर्माण हेतु रूपये 1/– के नाम मात्र प्रीमियम पर कम से कम 40X30 मीटर की भूमि देनी होगी । भार केन्द्र के अनुसार भूमि के स्थान का चयन क्षेत्र के प्रभारी कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जाएगा ।

4.33 "मीटर" शीर्षक के अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार मीटर सामान्यतः भूतल पर लगाए जायेंगे।

4.34 वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र एवं मीटर स्थापना के लिए आवश्यक भूमि / कमरा डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार का किराया / प्रीमियम का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नहीं किया जायेगा। ट्रांसफार्मर सामान्यतः खुले स्थानों में रखे जाने चाहियें । यदि ट्रांसफार्मर की स्थापना किसी कमरे या बंद स्थान में किया जाना अपरिहार्य हो तो प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार सुरक्षा के सभी उपाय किये जाना चाहियें ।

4.35 लिफ्ट, वाटर पम्प इत्यादि जैसे सार्वजनिक उपयोग के कनेक्शन, बिल्डर / डेवलपर/समिति के नाम पर दिये जायेंगे। यदि प्रकोष्ठ स्वामियों की ओर से व्यक्तिगत् प्रकोष्ठों के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो बिल्डर / डेवलपर/ समिति के नाम पर कनेक्शन दिये जा सकते हैं । ऐसे कनेक्शन बाद में, निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर, संबंधित स्वामी/कब्जेदार के नाम पर स्थानांतरित किये जा सकते हैं । ऐसे व्यक्तिगत् कनेक्शन का अनुबंध तद्नुसार निष्पादित किया जायेगा ।

4.36 उस मामले में, जहाँ कि मूल योजना बहु–उपभोक्ता परिसर हेतु अनुमोदित हो, लेकिन बिल्डर/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता इसके एक भाग के लिये कनेक्शन चाहता हो तो इसको एक बहु–उपभोक्ता परिसर मानते हुये कनेक्शन दिया जायेगा ।

4.37 अतिरिक्त निर्माण या भार की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण यदि कोई भवन, बहु–उपभोक्ता परिसर की श्रेणी में आता है एवं यदि इस बिल्डिंग में विद्युत आपूर्ति देने में पर्याप्त क्षमता का एक अलग से वितरण ट्रांसफार्मर पूर्व में स्थापित नहीं किया गया था तो बिल्डर/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता के व्यय पर इसकी स्थापना की जावेगी । एक विकल्प के रूप में बिल्डर/डेवलपर/ समिति/उपभोक्ता विद्यमान उपकेन्द्र की क्षमता में समुचित वृद्धि, यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तकनीकी रूप से साध्य पाया जावे, की व्यवस्था करेगा। तथापि सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जेस, यदि कोई हो, केवल नवीन कनेक्शनों या अतिरिक्त भार वृद्धि हेतु ही भुगतान योग्य होगें ।

4.38 बहु–उपभोक्ता परिसर के माप दण्डों पर विचार करने के प्रयोजन, सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जेस की गणना एवं वितरण प्रणाली के विकास एवं विस्तार हेतु बहु–उपभोक्ता परिसर के भार की गणना निम्न आधार पर की जावेगी (क्षेत्रफल व्यक्तिगत् इकाई का निर्मित क्षेत्रफल दर्शाता है):

	क्षेत्रफल	**भार**
(अ)	400 वर्ग फीट तक	1.5 किलोवॉट
(ब)	400 वर्ग फीट से अधिक तथा 700 वर्ग फीट तक	2.0 किलोवॉट
(स)	700 वर्ग फीट से अधिक तथा 1000 वर्ग फीट तक	3.0 किलोवॉट
(द)	1000 वर्ग फीट से अधिक तथा 1300 वर्ग फीट तक	4.0 किलोवॉट
(इ)	1300 वर्ग फीट से अधिक तथा 1600 वर्ग फीट तक	5.0 किलोवॉट
(फ)	1600 वर्ग फीट से अधिक तथा 2000 वर्ग फीट तक	7.0 किलोवॉट
(ज)	2000 वर्ग फीट से अधिक तथा 2500 वर्ग फीट तक	10.0 किलोवॉट
(ह)	2500 वर्ग फीट से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त 500 वर्ग फीट या उसके भाग के निर्मित क्षेत्रफल के लिए एक किलोवॉट भार की गणना की जावेगी ।	

उपरोक्त मापदण्ड आवासीय प्रयोजन हेतु है। वाणिज्यिक परिसर के लिये प्रत्येक 100 वर्गफीट निर्मित क्षेत्रफल हेतु। किलोवाट के आधार पर, विद्युत भार का निर्धारण किया जायगा।

लिफ्ट, वाटर पम्प, पार्किंग लाइट इत्यादि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का भार डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता द्वारा घोषित भार के बराबर लिया जायेगा ।

भार आंकलन की ऊपर उल्लेखित प्रक्रिया बहु–उपभोक्ता परिसरों के भार निर्धारण में एक रूपता लाने के उद्देश्य से है । तथापि सुरक्षा निधि इत्यादि का निर्धारण व्यक्तिगत् उपभोक्ता को कनेक्शन देते समय उसके द्वारा घोषित एवं परीक्षण पत्र में इंगित भार के आधार पर किया जायेगा ।

4.39 बिल्डर/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता से बहुउपभोक्ता परिसरों अथवा व्यावसायिक परिसरों की विद्युत आपूर्ति का आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कण्डिका 4.18 से 4.27, में दर्शाई प्रक्रिया के अनुसार आपूर्ति उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी।

(सी) आवासीय कालोनियों को निम्न दाब विद्युत आपूर्ति

4.40 आवासीय कालोनी के बिल्डर/डेवलपर/समिति/उपभोक्ताओं द्वारा 11 के.व्ही. लाईन, वितरण ट्रांसफार्मर एवं निम्नदाब लाइन/निम्नदाब केबल्स की लागत सम्मिलित करते हुए विस्तार कार्य की लागत वहन करना होगी तथा सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जेस का भुगतान भी करना होगा।

यदि विद्यमान 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की क्षमता में वृद्धि कर आवासीय कालोनी को विद्युत आपूर्ति किया जाना संभव नहीं हो अथवा आवासीय कालोनी का भार 2150 किलोवॉट से अधिक हो तो सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जेस के बदले डेवलपर/बिल्डर /समिति/ उपभोक्ता को कालोनी हेतु आवश्यक 33 के.व्ही. लाइन एवं वांछित क्षमता के 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की लागत वहन करनी होगी । ऐसे प्रकरणों में उपभोक्ता को, आयोग द्वारा अनुमोदित विविध प्रभारों की अनुसूची के अनुसार सिस्टम स्ट्रेंगथनिंग चार्जेस का भुगतान नहीं करना होगा।

4.41 आवासीय कालोनी के मापदण्डों में एकरूपता लाने, वितरण प्रणाली के विस्तार के प्रयोजन से आधारभूत संरचना के विकास एवं सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जेस, यदि कोई हों, की गणना के लिए, आवासीय कालोनी के भार की गणना निम्न आधार पर की जायेगी (क्षेत्रफल भूखण्ड का क्षेत्रफल दर्शाता है) :

	क्षेत्रफल	भार
(अ)	500 वर्ग फीट तक	1.0 किलोवॉट
(ब)	500 वर्ग फीट से अधिक 1000 वर्ग फीट तक	2.0 किलोवॉट
(स)	1000 वर्ग फीट से अधिक 1500 वर्ग फीट तक	3.0 किलोवॉट
(द)	1500 वर्ग फीट से अधिक 2000 वर्ग फीट तक	4.0 किलोवॉट
(इ)	2000 वर्ग फीट से अधिक 2400 वर्ग फीट तक	5.0 किलोवॉट
(फ)	2400 वर्ग फीट से अधिक 3000 वर्ग फीट तक	7.0 किलोवॉट
(ज)	3000 वर्ग फीट से अधिक 3500 वर्ग फीट तक	10.0 किलोवॉट
(ह)	ई.डब्ल्यु.एस. के प्लाट या घर	1.0 किलोवॉट

लिफ्ट, वाटर पम्प, पार्किंग लाईट, सड़क बत्ती आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का भार डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता द्वारा घोषित् भार के बराबर होगा । यदि बाद में बिल्डर/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता उपरोक्त भूखण्डों के विक्रय के स्थान पर विक्रय के लिए मकानों या भवनों का निर्माण करते हैं तो कण्डिका 4.38 में दिये मार्गदर्शन के आधार पर भार का पुनर्गणना की जायेगी । इस नवीन गणना के अनुसार भुगतान योग्य अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो उसका भुगतान करने हेतु डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता बाध्य होंगे। इसके लिये अतिरिक्त प्रणाली विस्तार की लागत का भुगतान भी डेवलपर/बिल्डर/समिति/ उपभोक्ता को करना होगा ।

भार के गणना की उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रिया, प्रभारों की गणना तथा वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता एवं संख्या और उच्चदाब/निम्नदाब लाइनों की लंबाई निर्धारित करने के उद्देश्य से है। तथापि, सर्विस कनेक्शन प्रभार, सुरक्षा निधि इत्यादि की गणना व्यक्तिगत् उपभोक्ता को कनेक्शन प्रदाय करते समय उसके द्वारा घोषित एवं परीक्षण पत्र में इंगित भार के आधार पर की जायेगी ।

4.42 बिल्डर/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता से आवासीय कालोनी के लिये आपूर्ति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी, कण्डिका 4.18 से 4.27, जो लागू हो, में दिये अनुसार विद्युत आपूर्ति देने की कार्यवाही करेगा ।

(डी) अवैध कालोनी/बहु–उपभोक्ता परिसर को निम्नदाब विद्युत आपूर्तिः

4.43 ऐसी आवासीय कलोनी/बहु–उपभोक्ता परिसर जिन्हें उन पर लागू विधि या नियमों के अधीन राज्य शासन/स्थानीय प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त नहीं है, उन्हें अवैद्य कालोनी माना जायगा और उनकी विद्युत आपूर्ति तब की जायगी जब राज्य शासन के अनुमोदन से संबन्धित नगर निगम/म्यूनिसिपलिटी के आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाय कि उन्हें विद्युत प्रदाय करना जनहित में है।

4.44 सभी चरणों को शामिल करते हुए, उक्त कण्डिका 4.41 के आाधार पर यदि किसी आवासीय कालोनी का भार 1000 किलोवाट से अधिक आता है तो डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 33/11 के.वी0 उपकेन्द्र का निर्माण करने हेतु, रू. 1/– के नाम मात्र प्रीमियम पर कम से कम 40X30 मीटर भूमि देंगे। भारकेन्द्र के अनुसार भूमि के स्थान का चयन क्षेत्र के प्रभारी कार्यपालन यन्त्री द्वारा किया जायगा।

4.45 ऐसी कालोनी/परिसर के विद्युत भार की गणना कण्डिका 4.38 या 4.41, जैसा भी प्रकरण है, में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की जायगी।

4.46 चूँकि ऐसी कालोनी के बाहरी विद्युतीकरण हेतु किसी डेवलपर/बिल्डर/एजेन्सी के आगे आने की संभावना नहीं है अतः संपूर्ण कालोनी/परिसर के बाहरी विद्युतकरण की लागत तथा सिस्टम स्ट्रेंग्थनिंग चार्जेस का व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा समानुपातिक भुगतान करने पर उसे विद्युत आपूर्ति की जायगी।

(ई) कृषि/सिंचाई पंप सेटों को निम्न दाब विद्युत आपूर्ति

4.47 जहां पर वितरण लाइनों का विस्तार और/अथवा वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि आवश्यक नहीं है वहां कण्डिका 4.18 से 4.27, जो लागू हो, के अन्तर्गत निहित प्रक्रिया का पालन कृषि/सिंचाई पम्प सेटों को विद्युत आपूर्ति करने में किया जायेगा ।

4.48 पंजीकृत सहकारी समिति अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मान्यता प्राप्त किसानों के संमूह को भी कृषि/सिंचाई पम्प सेट हेतु एक बिन्दु पर विद्युत आपूर्ति की जा सकती है ।

4.49 परिसर का निरीक्षण करने पर यदि वितरण लाइनों का विस्तार और/अथवा वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना आवश्यक पाया जाता है तो शासन या वित्तीय संस्था, जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, से उपलब्ध वित्तीय सहायता से कार्य करने की संभावना की जांच की जायेगी । लाईन विस्तार आवश्यक ना होने पर निरीक्षण से 10 दिन में तथा लाईन विस्तार आवश्यक होने पर निरीक्षण से 30 दिनों में उपभोक्ता को यह सूचना दी जायेगी कि अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वयं के संसाधनों से कार्य करेगा अथवा उपभोक्ता द्वारा कार्य की लागत का पूर्ण भुगतान करने के उपरांत कार्य करेगा । यदि आंकलित व्यय के उपभोक्ता द्वारा भुगतान के बाद ही कार्य किया जाना हो तो उस मामले मे, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उपरोक्त सूचना के साथ राशि की जानकारी भी देगा । ऐसे पम्प सेट (सेटों) के विद्युतीकरण का कार्य, जिसके कार्य की पूर्ण लागत का भुगतान उपभोक्ता(ओं) द्वारा किया गया है और जिसमें विद्युत आपूर्ति देने हेतु विस्तार कार्य भी शामिल है, उपभोक्ता(ओं) द्वारा राशि जमा करने

पर कंडिका 4.77 में दर्शाई अवधि में पूर्ण किया जायेगा । लंबी प्रतीक्षा सूची होने पर नये कनेक्शन का कार्य प्रथम आवे प्रथम पावे के वृहद् सिद्धांत के आधार पर किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने से 07 कार्यकारी दिवस में अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने और एक माह में कनेक्शन लेने का लिखित नोटिस भेजेगा और उपभोक्ता को परीक्षण प्रपत्र देने हेतु लिखेगा। उपभोक्ता से परीक्षण प्रपत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी, 03 दिवस में स्थापना की जाँच करेगा। यदि वह परीक्षण प्रपत्र एवं उपभोक्ता की परिसर की वायरिंग से संतुष्ट है तो निरीक्षण की दिनांक से 03 दिवस में कनेक्शन प्रदान कर दिया जायेगा ।

(एफ) सार्वजनिक सड़क बत्तियों को निम्न दाब विद्युत आपूर्ति :-

4.50 नवीन अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक सड़क बत्तियों को विद्युत आपूर्ति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय या शासकीय विभाग या सार्वजनिक सड़क बत्तियों के रख-रखाव हेतु शासन द्वारा उत्तरदायी बनाये गये किसी अन्य संगठन (जिसे सार्वजनिक सड़क बत्तियो के संदर्भ में आगे सामान्यतः "स्थानीय निकाय" कहा जायेगा) के द्वारा दिया जायेगा ।

4.51 सड़क बत्तियों के आवेदन के साथ स्थानीय निकाय का संकल्प एवं जहां सड़क बत्तियों की आवश्यकता है वहां के विद्यमान या नवीन खंबो की संख्या दर्शाते हुये नक्शा प्रस्तुत करना होगा। यदि स्थानीय निकाय, जो नवीन सड़क बत्ती कनेक्शन के लिये आवेदन कर रहा है, पर किसी अन्य कनेक्शन के विरूद्ध विद्युत का बकाया है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी सड़क बत्ती कनेक्शन प्रदान नहीं करेगा, जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित ना किया जावे ।

4.52 फिटिंग्स, ब्रेकेट्स तथा विशेष फिटिंग्स भारतीय मानक संस्थान के द्वारा निर्धारित मापदण्डों या इसके समतुल्य के अनुरूप होंगे तथा विद्यमान नियमों एवं विनियमों के तहत् सुरक्षात्मक दूरी पर लगाये जावेंगे। समस्त फिटिंग्स व ब्रेकेट्स सहित, सार्वजनिक सड़क बत्ती की विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की पूर्ण लागत, स्थानीय निकाय को वहन करनी होगी । किसी विशेष फिटिंग को लगाये जाने की स्थिति में स्थानीय निकाय उसकी व्यवस्था करेगा ।

4.53 अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन के दिनांक से 30 दिवसों में ग्रामीण क्षेत्र में तथा 15 दिनों में शहरी क्षेत्र में, विस्तार कार्य की लागत की सूचना देगा। स्थानीय निकाय द्वारा राशि का भुगतान एवं अनुबन्ध निष्पादित करने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

4.54 विद्युत मीटर एवं सड़क बत्ती स्विच/एम.सी.बी./टाईमर की स्थापना के लिये एक समुचित डबल कम्पार्टमेन्ट वेदर प्रूफ मैटल बाक्स (द्विखंडीय मौसम-रोधी धातु का बक्सा) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाया जायेगा ।

4.55 अनुज्ञप्तिधारी, सड़क बत्ती को स्थानीय सूर्यास्त के समय से 15 मिनिट पूर्व चालू करने एवं स्थानीय सूर्योदय के समय से 15 मिनिट के बाद बंद करने की व्यवस्था करेगा । अनुज्ञप्तिधारी, सड़क बत्ती उपभोक्ताओं के निवेदन पर खंबो पर लगे फिक्सचर्स/बल्बों (वर्तमान के विद्युत भार के अनुरूप) के बदलने का कार्य भी करेगा । फिक्सचर्स, बल्ब इत्यादि स्थानीय निकाय द्वारा प्रदाय करने के सात दिन के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बदले जायेंगे । ऐसी समस्त सेवायें भुगतान योग्य होंगी। ऐसे रख-रखाव प्रभारों को विविध प्रभारों (शेड्यूल ऑफ मिसलेनियस चार्जेस) की अनुसूची में शामिल किया जायेगा।

(जी) अस्थायी विद्युत प्रदाय :–

4.56 कोई व्यक्ति जिसे एक वर्ष से कम अवधि के लिये अस्थायी-स्वरूप के प्रयोजन हेतु विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता हो, निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 1 व 2) में अस्थायी विद्युत प्रदाय के लिये आवेदन पत्र दे सकता है। अस्थायी कनेक्शन दिया जाना कोई अधिकार का विषय नहीं है। यह केवल तभी दिया जा सकता है जब यह तकनीकी रूप से साध्य हो और भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 के नियम 29 और 30 में विहित सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन करने के अधीन हो। सामान्यतः 10 किलोवाट तक के विद्युत भार के अस्थायी विद्युत प्रदाय की आवश्यकता के लिए 07 दिवस पूर्व तथा इससे अधिक भार के लिये 30 दिवस पूर्व आवेदन देना होगा।

4.57 यदि अस्थायी विद्युत प्रदाय निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु चाहा गया है जहाँ बाद में स्थायी कनेक्शन की आवश्यकता होगी तो अस्थायी कनेक्शन की स्वीकृति के पहले स्थायी कनेक्शन दिये जाने बाबत् साध्यता की जाँच की जायगी। अस्थायी कनेक्शन दिये जाने के पूर्व आवेदक को स्थायी कनेक्शन की साध्यता के विषय में सूचित किया जायगा।

4.58 उपभोक्ता को अपने विद्युत उत्पादन संयत्र का रख–रखाव करने या किसी आकस्मिक परिस्थिति में विद्युत की आवश्यकता हो तो उसे अस्थायी विद्युत प्रदाय किया जा सकता है।

4.59 आवेदक, जहां अस्थायी कनेक्शन की आवश्यकता है, कंडिका 4.14 में दर्शाये अनुरूप उस स्थान के आधिपत्य का सबूत अथवा स्थानीय निकाय या परिसर के स्वामी की स्वीकृति, जैसा प्रकरण हो, भी प्रस्तुत करेगा। यदि अस्थायी विद्युत प्रदाय, ऐसे परिसर/स्थान में चाहिये जहां 100 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की संभावना हो तो उपभोक्ता को अधिनियम की धारा 54 में निहित प्रावधानों का पालन करना होगा ।

4.60 यदि विद्युत प्रदाय दिया जाना संभव है तो अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक को विस्तार कार्य, सर्विस लाईन, मीटर, कट–आउट/एम.सी.बी. आदि के लगाने व हटाने की लागत, प्रदाय की अवधि की आंकलित खपत के प्रभारों और उपकरण एवं सामग्री का किराया सहित भुगतान किए जाने वाले प्रभारों की सूचना देगा। समस्त प्रभार अग्रिम रूप से देय होंगे। यदि उपलब्ध हों तो, अनुज्ञप्तिधारी, प्रीपेड मीटर लगायेगा। उपभोक्ता को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि विद्युत प्रदाय के विच्छेदन के पश्चात् वह वापस निकाली गई सामग्री को प्राप्त करे अथवा इस सामग्री, जो कि अच्छी स्थिति में निकाली जाकर भण्डार में वापस करने योग्य हो, के मूल्य का समायोजन उसके उक्त अस्थायी कनेक्शन के अंतिम बिल में प्रचलित नियमानुसार प्राप्त करे ।

4.61 यदि 90 दिवस से अधिक की अवधि के लिए अस्थाई प्रदाय की आवश्यकता है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को 90 दिवस की आंकलित खपत के प्रभारों के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दे सकता है और मासिक खपत के बिलों को प्रेषित कर सकता है । यदि उपभोक्ता समय पर विद्युत देयक का भुगतान नहीं करता है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिया गया अग्रिम बाकी बची समयावधि के लिये अपर्याप्त है, तो विद्युत प्रदाय विच्छेदित किया जा सकता है ।

4.62 यदि कृषि उपभोक्ता चाहे तो, कृषि उपयोग हेतु अस्थायी कनेक्शन के लिये आवेदन कर सकता है । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता प्रस्तावित कनेक्शन की अवधि की भुगतान योग्य सम्पूर्ण देयक राशि का अग्रिम भुगतान करेगा । अस्थायी कनेक्शनों पर लागू समस्त प्रभार तथा अन्य शर्तें भी इस पर लागू होंगी । इस प्रावधान में निहित किसी बकाया राशि का भुगतान न करने का दोषी होने पर उपभोक्ता को पुराने बकायों का भुगतान होने तक नया कनेक्शन नहीं दिया जायेगा । अनुज्ञप्तिधारी को, इस प्रावधान के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति के लिये विशेष रूप से स्थापित किये गये उपकरण को, आपूर्ति की अवधि समाप्त होने के बाद, हटाने का अधिकार होगा ।

4.63 उपभोक्ता द्वारा भुगतान करने व अन्य आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने पर, अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे प्रकरणों में जहां वितरण प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता नहीं है, 10 कि.वा. भार तक 03 दिवस के अन्दर व अन्य प्रकरणों में 15 दिवस में विद्युत का प्रदाय चालू करेगा। ऐसे प्रकरणों में जहां वितरण प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता है, अनुज्ञप्तिधारी 60 दिवसों के अन्दर निम्न दाब उपभोक्ता, 90 दिवसों के अन्दर उच्च दाब उपभोक्ता एवं 180 दिनों के अन्दर अति उच्च दाब उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय चालू करेगा।

4.64 यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक खपत के प्रभार अग्रिम भुगतान से अधिक न हो, अस्थाई कनेक्शन की अवधि के दौरान मीटर की रीडिंग की जा सकती है।

4.65 अस्थाई प्रदाय की अवधि पूरी होने तथा आपूर्ति के विच्छेदन के पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी, अन्तिम बिल तैयार करेगा तथा आपूर्ति के विच्छेदन के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपभोक्ता को प्रेषित करेगा तथा शेष वापसी योग्य राशि, यदि कोई हो, को मूल भुगतान रसीद प्राप्त करने अथवा क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिवस के अन्दर वापस करेगा। इस अवधि से ज्यादा विलम्ब के दिनों की संख्या के लिए, अनुज्ञप्तिधारी, वापसी योग्य बकाया राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान, भुगतान के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि से अधिक विलंब दिवसों के लिये, करने के लिये बाध्य होगा।

4.66 यहां बनाये गये प्रावधानों के समुचित पालन तथा कोई कनेक्शन बिना बकायों की प्राप्ति के नहीं दिया गया है, इस संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने व जाँच के लिये, अनुज्ञप्तिधारी, एक प्रक्रिया का निर्धारण करेगा।

(एच) उच्च दाब पर विद्युत आपूर्ति :–

4.67 उच्चदाब पर विद्युत की आपूर्ति के निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–2) में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को आवेदित कनेक्शन साध्यता की जांच के लिये निरीक्षण के दिनांक की लिखित सूचना देगा। विद्युत प्रदाय की साध्यता अथवा अन्यथा की सूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन के प्राप्त होने के 15 दिवसों के भीतर आवेदक को दी जावेगी। उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के समय उपस्थित रहेगा। अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति की साध्यता की जांच करेगा तथा साध्य पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता की लाईन के प्रवेश का स्थान, मीटर, मीटरिंग इक्युपमेंट व आपूर्ति कर्ता के अन्य उपस्करों का स्थान तय करेगा। उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी की लिखित अनुमति पर अपने उच्चदाब स्वियगियर तथा अन्य उपकरण, ऊर्जा प्रदाय हेतु उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी के बीच में अनुबंध में आवश्यक रूप से निहित करने के पश्चात्, उसी कमरे/बक्से में लगा सकेगा, परन्तु इसका किसी अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं करेगा। अनुज्ञप्तिधारी जहाँ उचित समझे, लाईन के अंतिम गाले के लिये एरियल बन्च्ड केबल के उपयोग के लिये आग्रह कर सकता है। ऐसी स्थिति में अन्तिम गाले में लगाये जाने वाले एरियल बन्च्ड केबल तथा शिरोपरि कण्डक्टर की लागत के अन्तर को अनुज्ञप्तिधारी वहन करेगा। उच्च दाब स्थापना के मामले में अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता से कक्ष (क्यूबिकल) उपलब्ध कराने का आग्रह करेगा।

4.68 उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को 33 के.व्ही पर विद्युत आपूर्ति, सामान्यतः 33 के.व्ही. औद्योगिक संभरकों (फीडरों) से की जायेगी। ऐसे उपभोक्ताओं, जिनके सतत् प्रक्रिया उद्योग हों अथवा जिनका भार 3 एम.वी.ए. या उससे अधिक हो, के प्रकरणों में विद्युत की आपूर्ति निकटतम 33/11 के.व्ही. या अति उच्चदाब उपकेन्द्र से एक पृथक संभरक के माध्यम से की जाना श्रेयस्कर होगी।

4.69 उच्चदाब उपभोक्ताओं (11 के.व्ही.या 33 के.व्ही., दोनों पर) को सामान्यतः विद्युत की आपूर्ति ग्रामीण संभरकों से नहीं की जावेगी। यदि निकटतम 33/11 के.व्ही. या अति उच्चदाब उपकेन्द्र से पृथक फीडर खींचने की अत्यधिक लागत के कारण अथवा किसी अन्य कारण से विद्युत की आपूर्ति ग्रामीण संभरक से दी जाती है तो उपभोक्ता को सूचित किया जायेगा, कि प्रणाली की परिस्थिति के अनुसार ग्रामीण संभरकों की विद्युत आपूर्ति को प्रतिबंधित एवं विनियमित किया जावेगा। ऐसे उपभोक्ता, आपूर्ति में प्रतिबंधों के लिये अनुज्ञप्तिधारी पर क्षतिपूर्ति का दायित्व ना होने का एक घोषणा पत्र अनुज्ञप्तिधारी को देगें।

4.70 साध्यता सूचित करने के 30 दिवस के अंदर, अनुज्ञप्तिधारी, विस्तार कार्य की लागत, सुरक्षा निधि की राशि सहित् भुगतान की जाने वाली अन्य राशि, यदि कोई हो, की सूचना उपभोक्ता को देगा तथा साथ ही अनुबंध के प्रारूप की प्रति भी भेजेगा ।

4.71 प्रभारों, सुरक्षानिधि के भुगतान तथा अनुबंध के निष्पादन के बाद, अनुज्ञप्तिधारी, मेन्स के विस्तार का कार्य प्रारंभ करेगा। उपभोक्ता यदि चाहे तो आवश्यक पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी को कर, स्वयं कार्य का निष्पादन कर सकता है। विस्तार कार्य आवश्यक होने पर 90 दिवस के अंदर कार्य पूर्ण किया जायेगा। मीटरिंग प्रणाली की स्थापना सहित उपभोक्ता परिसर तक लाइन के विस्तार का कार्य पूर्ण होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपलब्ध होने की सूचना देगा। स्थापना का कार्य पूर्ण होने पर उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण पत्र एवं विद्युत निरीक्षक से स्थापना के ऊर्जीकरण की स्वीकृति प्रस्तुत करेगा। खदानों के प्रकरण में खदान निरीक्षक की स्वीकृति प्रस्तुत करना आवश्यक होगी। जहाँ लागू हो, जल एवं पर्यावरण संरक्षण मण्डल जैसे वैद्यानिक प्राधिकरणों की स्वीकृति भी प्रस्तुत की जायगी। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की स्थापना के निरीक्षण एवं परीक्षण किये जाने की दिनांक लिखित रूप से उपभोक्ता को सूचित् करेगा। उपभोक्ता की स्थापंना सही पाये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की उपस्थिति में मीटर को सील करेगा तथा कनेक्शन प्रदान करेगा ।

(आई) अति उच्चदाब पर, विद्युत आपूर्ति

4.72 अति उच्चदाब पर विद्युत आपूर्ति के लिए निर्धारित प्ररूप (परिशिष्ट–2) में आवेदन मिलने पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को लिखित में विद्युत आपूर्ति की साध्यता की जांच करने हेतु स्थल निरीक्षण की तिथि नियत कर सूचना देगा । अनुज्ञप्तिधारी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करेंगे. । उपभोक्ता अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा । उपर्युक्त दोनों अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता की जांच करेगें तथा यदि उपभोक्ता को आपूर्ति दी जाना साध्य हो तो आपूर्ति का बिन्दु, मीटर की स्थिति, मीटरिंग प्रणाली और अन्य उपकरण कहां स्थापित होना है, इसका निर्णय करेंगे। सामान्यतः अति उच्च दाब लाईन को बीच में टेप नहीं किया जायगा । उपभोक्ता से आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर विद्युत उपलब्धता की साध्यता की जानकारी, अनुज्ञप्तिधारी, संबंधित आवेदक को देगा ।

4.73 अनुज्ञप्तिधारी, साध्यता सूचित करने के 60 दिवसों के अंदर विस्तार कार्य की लागत, सुरक्षा निधि की राशि अन्य प्रभारों सहित भुगतान की जाने वाली राशि की सूचना उपभोक्ता को देगा, तथा साथ ही अनुबंध के प्रारूप की प्रति भी प्रेषित करेगा ।

4.74 उपभोक्ता से मांगी गई राशि, सुरक्षा निधि आदि प्राप्त होने तथा अनुबंध को निष्पादित करने के बाद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए विस्तार कार्य करने के संबंध में निवेदन किया जायेगा । यदि उपभोक्ता चाहे तो अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक पर्यवेक्षण प्रभार के भुगतान के पश्चात् स्वयं यह कार्य करवा सकता है । यह कार्य 180 दिवसों में पूर्ण किया जावेगा ।

4.75 उपभोक्ता के आंतरिक विद्युत व्यवस्थापन में सभी कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपभोक्ता को परीक्षण पत्र एवं विद्युत निरीक्षक से परिसर को ऊर्जीकृत करने की अनुमति अनुज्ञप्तिधारी को सौंपनी होगी (भारतीय विद्युत नियम का नियम 47 देखें) जहाँ लागू हो वहाँ जल एवं प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जैसे वैधानिक प्राधिकरणों से अनुमति भी प्रस्तुत करनी होगी । खान से संबंधित प्रकरणों में खदान निरीक्षक से अनुमति का पत्र उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को देगा । उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने पर अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को उसके परिसर के निरीक्षण तथा परीक्षण की तिथि की लिखित सूचना देगा । यदि उपभोक्ता का व्यवस्थापन सही पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की उपस्थिति में मीटर को लगाकर सील करेगा तथा कनेक्शन चालू करेगा ।

4.76 इस अध्याय में उल्लेखित कोई भी बात अनुज्ञप्तिधारी को किसी परिसर में विद्युत प्रदाय हेतु बाध्य नहीं करेगी, यदि इस संहिता की कण्डिका 12.1 में उल्लेखित विशेष आकस्मिक परिस्थितियां अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय करने से रोक रही हों ।

4.77 निम्नलिखित सारणी उपभोक्ता को कनेक्शन देने के लिए नियत अवधि को दर्शाती है:–

क्रमसंख्या	सेवा का प्रकार	सेवा के लिए निर्धारित समय–सीमा
1.	**निम्नदाब कनेक्शन**	
(ए)	पूर्ण आवेदन प्राप्ति उपरांत स्थल निरीक्षण के लिए उपभोक्ता को सूचना जारी करना	03 कार्य दिवस
(बी)	सूचना भेजने उपरांत निरीक्षण करना	
	(i) शहरी क्षेत्र	02 कार्य दिवस
	(ii) ग्रामीण क्षेत्र	05 कार्य दिवस
(सी)	(i) आवेदक को प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (यदि विस्तार कार्य की आवश्यकता नहीं हो और कनेक्शन विद्यमान वितरण मेंन्स से दिया जाना है)	
	(ए) शहरी क्षेत्र	05 कार्य दिवस
	(बी) ग्रामीण क्षेत्र	07 कार्य दिवस
	(ii) आवेदक को प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (यदि विस्तार कार्य आवश्यक है या ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना है)	
	(ए) शहरी क्षेत्र	10 कार्य दिवस
	(बी) ग्रामीण क्षेत्र	22 कार्य दिवस
(डी)	आपूर्ति की उपलब्धता की सूचना जारी करना/कनेक्शन प्रदाय करना, जहां अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली विद्यमान हो	
	(i) आवश्यक प्रभारों के भुगतान के बाद (यदि कनेक्शन को विद्यमान वितरण मेन्स से दिया जाना है)	
	(अ) शहरी क्षेत्र	15 कार्य दिवस
	(ब) ग्रामीण क्षेत्र	15 कार्य दिवस

	(ii) विद्युत आपूर्ति चालू करने हेतु आवश्यक प्रभारों के भुगतान के उपरांत (यदि विस्तार कार्य आवश्यक है या ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना है)	
	(ए) कृषि कनेक्शन को छोड़कर बाकी सभी कनेक्शन	60 दिन
	(बी) कृषि कनेक्शन, ऐसे मौसम में जब खेत तक पहुँच उपलब्ध है ।	90 दिन
	(सी) कृषि कनेक्शन ऐसे मौसम में जब पहुँच उपलब्ध नहीं है	180 दिन पहुंच उपलब्ध कराने की तिथि के उपरान्त
2.	**उच्चदाब उपभोक्ता**	
(ए).	आवेदन मिलने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना	15 कार्य दिवस
(बी)	प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (सूचना जारी होने के बाद)	30 दिन
(सी)	प्राक्कलित प्रभारों के भुगतान उपरांत विद्युत प्रदाय प्रारम्भ करने के लिये विद्युत प्रदाय उपलब्धता की सूचना देने/विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने की अवधि	
	(i) यदि विस्तार कार्य न किया जाना हो	30 दिन
	(ii) यदि विस्तार कार्य किया जाना हो	90 दिन
3.	**अति उच्चदाब कनेक्शन**	
(ए).	आवेदन मिलने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना	15 कार्य दिवस
(बी)	साध्यता सूचना जारी करने के बाद प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना	60 दिन
(सी)	प्राक्कलित प्रभार की राशि मिलने के बाद विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत उपलब्धता की सूचना जारी करना/कनेक्शन प्रदाय करना ।	180 दिन (लाइन विस्तार कार्य होने के कारण) (उपभोक्ता द्वारा विद्युत निरीक्षक से स्वीकृति प्राप्त कर जमा करने के अधीन)

4.78 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने हेतु प्राथमिकता पंजी बनाई जायेगी, जिसमें आवेदनों को निम्नलिखित श्रेणी में पंजीबद्ध किया जावेगा :–

(अ) जहां वितरण मेन्स के विस्तार की आवश्यकता नहीं है ।

(ब) जहां दो खम्बों तक वितरण मेन्स के विस्तार की आवश्यकता है।

(स) जहां दो से ज्यादा खम्बों के वितरण मेन्स के विस्तार की आवश्यकता है ।

4.79 आयोग, कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर, कण्डिका 4.1 से 4.78 में निहित प्रावधानों से अलग निर्देश दे सकता है यदि आयोग के विचार में ऐसे परिस्थितिजन्य कारण हों । ऐसे निर्देश आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को एक आदेश के तहत जारी किये जावेगें ।

अध्याय 5: आपूर्ति का बिन्दु एवं परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण

आपूर्ति का बिन्दु

5.1 जब तक कि किसी और पर सहमति न हो, आपूर्ति के प्रारंभ का बिन्दु अनुज्ञप्तिधारी के बाहरी टर्मिनल (आउटगोईंग टर्मिनल) पर होगा:

(ए) निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कट आउट; एवं

(बी) उच्च अथवा अति उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कंट्रोल स्विचगियर, जो कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता के परिसर में उनकी आपसी सहमति से स्थापित किया जावेगा ।

5.2 अनुज्ञप्तिधारी के कट आउट/एमसीबी/कंट्रोल स्विचगियर के पहले आने वाले टर्मिनल (इनकमिंग टर्मिनल) पर उपभोक्ता परिसर में एकल बिन्दु पर विद्युत प्रदाय दी जायेगी (देखें कण्डिका 4.17)। तथापि कोयला खदानों के प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की स्थापना के भौतिक नक्शे (ले आउट) तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये उपभोक्ता की स्थापना में एक से अधिक बिन्दु पर भी आपूर्ति दे सकता है ।

समर्पित फीड्र

5.3 ऐसे उपभोक्ता जो समर्पित (डेडीकेटेड) फीडर की सुविधा चाहते हों वे इस सुविधा के लिये अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन कर सकते हैं । समर्पित फीडर को विद्युत उपकेन्द्र से उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के प्रारम्भ बिन्दु तक विस्तारित किया जावेगा । ऐसे प्रकरणों में उपभोक्ता को समर्पित फीडर हेतु, फीडर की लागत के अलावा, पावर उपकेन्द्र में लगने वाले स्ट्रक्चर (बे), सुरक्षा उपकरण (प्रोटेक्शन स्विच गेयर) तथा इसके उपस्करों की लागत वहन करनी होगी । आवेदन के प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, समर्पित फीडर की प्रावीण्यता के आधार पर इसकी साध्यता का परीक्षण करेगा । ऐसा समर्पित फीडर अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी और उसका रख–रखाव अनुज्ञप्तिधारी करेगा। फीडर के चालू होने के दिनांक से दो वर्ष की प्रारम्भिक अवधि में इससे किसी अन्य उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय नहीं किया जावेगा।

उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी का उपकरण

5.4 उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक, अपने स्वामित्व की भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायेगा तथा उपभोक्ता एवम् अन्य उपभोक्ताओं की सेवा हेतु अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से डायरेक्ट केबल या शिरोपरि लाइनों को लाने के लिये उचित सुविधा उपलब्ध करायेगा । इसके अलावा उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक स्विचगियर एवं उनके संयोजनों को लगाने हेतु तथा अपने परिसर में लगे केबल और टर्मिनल से अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करने हेतु स्वीकृति देगा परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके मतानुसार उपभोक्ता की विद्युत प्रदाय पर विपरीत प्रभाव नहीं होगा ।

5.5 अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व वाले/उपभोक्ता द्वारा दिये गये मीटर, कट आउट/एम.सी.बी., सर्विस मेन्स तथा अन्य उपकरण किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाये या हटाये नहीं जायेंगे जो कि अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकृत कर्मचारी/प्रतिनिधि न हो । सीलें, जो कि मीटर/मीटरिंग उपकरण, लोड लिमिटर तथा अनुज्ञप्तिधारी के अन्य उपकरण पर लगी हों, किसी भी कारण से

छेड़ी, नष्ट अथवा तोड़ी नहीं जायें । उपभोक्ता के परिसर में लगे अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण तथा मीटर/मीटरिंग उपकरणों पर लगी सीलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी ।

5.6 यदि उपभोक्ता या उसके किसी कर्मचारी/प्रतिनिधि के किसी कार्य, उपेक्षा अथवा गलती से उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी लागत, जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बताई जायेगी, का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी की मांग के पश्चात् यदि उपभोक्ता इसका भुगतान नहीं करता है तो इसे आपूर्ति के अनुबंध की शर्तो और निबन्धन का उल्लंघन माना जायेगा तथा समुचित सूचना के बाद आपूर्ति विच्छेदित कर दी जायेगी । हालांकि, उपभोक्ता इस संहिता की धारा 7.20 के प्रावधानों के अनुसार प्रभारों का भुगतान करने को बाध्य होगा ।

5.7 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर तथा उपकरणों के रख–रखाव के लिये जिम्मेदार होगा जिन से उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति की जाती है ।

आपूर्ति में अवरोध/फ्यूज उड़ना

5.8 यदि किसी समय अनुज्ञप्तिधारी की सर्विस लाइन का फ्यूज या अन्य फ्यूज गलकर टूट जाते हैं तो अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में, आयोग द्वारा अनुमोदित आंतरिक "शिकायत निवारण तंत्र" के अनुसार, शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिये। केवल अधिकृत कर्मचारी, जिनके पास अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिया गया फोटो परिचय पत्र हो, को अनुज्ञप्तिधारी के कट आउट फ्यूज बदलने के लिये अनुमति होगी । उपभोक्ताओं को इन फ्यूजों को बदलने की अनुमति नहीं होगी । अनुज्ञप्तिधारी को अपने कर्मचारियों को उपभोक्ता की आंतरिक स्थापना में सुधार कार्य करने की अनुमति नहीं देना चाहिए ।

5.9 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को सतत् विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिये सभी उचित सावधानियाँ बरतेगा लेकिन कण्डिका 12.1 में उल्लेखित विशेष आकस्मिक परिस्थितियों के कारण हुये विद्युत प्रदाय में व्यवधानों से उपभोक्ता या उसके प्लांट व मशीनरी को पहुंचे नुकसान या हानि हेतु जिम्मेदार नहीं होगा ।

5.10 अनुज्ञप्तिधारी, उसकी आपूर्ति प्रणाली के संचालन से संबद्ध उद्देश्यों के लिये विद्युत आपूर्ति में ऐसी अवधि, जो कि आवश्यक हो, के अस्थायी विच्छेदन का हकदार होगा बशर्ते इस संबंध में उपभोक्ता को उचित अग्रिम नोटिस दिया गया हो एवम् ऐसा उद्देश्य हो कि उपभोक्ता को कम से कम असुविधा हो ।

अध्याय –6: उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग तथा उपकरण

उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग, उपस्करों तथा उपकरणों की स्थापना

6.1 उपभोक्ता तथा सामान्य जनता की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि उपभोक्ता के परिसर की वायरिंग भारतीय विद्युत नियम, 1956 तथा अग्नि बीमा कम्पनी के नियमों के अनुसार हो, जिसके शर्तो पर भवन का बीमा हुआ हो तथा कार्य अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा किया गया हो । वायरिंग में उपयोग किया गया सामान भारतीय मानक ब्यूरो के संबंधित विवरणों या इसके समतुल्य के अनुसार हो। उपयोग किया जाने वाला सभी सामान, जहां लागू हो, आई.एस. आई. चिन्हित होगा। जैसे ही उपभोक्ता की स्थापना सभी प्रकार से पूर्ण हो जाती है तथा

उपभोक्ता के ठेकेदार द्वारा परीक्षण कर लिया जाता है, उपभोक्ता को ठेकेदार द्वारा दिया गया परीक्षण प्रपत्र अनुज्ञप्तिधारी को जमा करना चाहिये । इस उद्देश्य हेतु परीक्षण प्रपत्र (परिशिष्ट– 4) अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में जमा किया जायेगा। यह आवश्यक है कि प्रपत्र में दी गई शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाये अन्यथा आपूर्ति प्राप्त करने में देरी हो सकती है।

6.2 भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 45 के अनुसार लैम्प, पंखे, फ्यूज, स्विच एवं अन्य पुर्जों के बदले जाने को छोड़कर, जो किसी भी तरह से स्थापना की क्षमता तथा स्वरूप को परिवर्तित नहीं करते हों, विद्युत स्थापना का कार्य, जिसमें संकलन, परिवर्तन और सुधार कार्य तथा विद्यमान स्थापना में समायोजन निहित हो, किसी उपभोक्ता या स्वामी की ओर से, उसे विद्युत प्रदाय करने के उद्देश्य से परिसर में नहीं किया जायेगा। यह कार्य राज्य शासन द्वारा अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार तथा सक्षमता प्रमाण पत्र धारी व्यक्ति या राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा परमिट धारी व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में किया जायेगा ।

6.3 नियम 45 का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 139 के अन्तर्गत स्वयं को दण्ड का भागी बनायेगा ।

6.4 उपभोक्ता की विद्युत स्थापना के संबंध में भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 32 में निहित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिये । लिंक स्विच, जो भू–योजित एवं चालू तारों (लाईव कन्डक्टर) का संचालन एक साथ करे, के अलावा कट आउट, लिंक या स्विच को अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के न्यूट्रल कन्डक्टर से जोड़ने के लिये अन्तरस्थापित नहीं किया जायेगा ।

6.5 सभी प्रकार के प्रकरणों में उपभोक्ता के मेंन्स को अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति बिन्दु तक लाया जायेगा तथा इसे अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण से जोड़ने के लिये पर्याप्त मात्रा में केबल उपलब्ध कराई जायेगी ।

सामान्य वायरिंग शर्तें

मेन्स:

स्विच एवं फ्यूज:

6.6 विद्युत आपूर्ति के प्रारंभ बिन्दु के निकट उपभोक्ता द्वारा समुचित क्षमता के लिंक्ड क्विक मेक और ब्रेक मेन स्विच की व्यवस्था प्रत्येक कन्डक्टर में विद्युत धारा के चालू तथा बंद होने के प्रबंध हेतु की जायेगी। उपभोक्ता के परिसर के स्विच चालू (लाइव) तार पर होंगे तथा न्यूट्रल तार को वहाँ पर चिन्हित किया जायेगा, जहाँ वह उपभोक्ता के मैन स्विच से मीटर में जुड़ने के लिये जाता है। किसी भी न्यूट्रल कन्डक्टर में सिंगल पोल स्विच या कट आउट अन्तरस्थापित नहीं किया जायेगा।

भार का सन्तुलन

6.7 तीन फेज् आपूर्ति लेने वाले उपभोक्ताओं को भारतीय विद्युत नियम के परिशिष्ट–VI के खण्ड 22 (सी) के अनुरूप प्रत्येक फेज् पर भार को सन्तुलित करना होगा ।

अर्थिंग

6.8 अर्थिंग के प्रयोजन के लिये किसी भी स्थिति में गैस तथा पानी के पाईपों का प्रयोग नहीं होगा। सभी वायरिंग को, जितना हो सके, गैस तथा पानी के पाइपों से दूर रखना होगा।

घरेलू उपकरण

6.9 उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग की सुरक्षा के लिये हीटर, गीजर, एयर कन्डीशनर तथा खाना पकाने के उपकरण जैसे ओवन, माईक्रोवेव ओवन के लिये उपभोक्ता के मुख्य वितरण बोर्ड से समुचित माप के तारों का अलग सर्किट होगा। घरेलू उपकरणों के सर्किट के लिये उपयोग किये जाने वाले दीवार प्लग 3 पिन टाईप होगें तथा तीसरा पिन "भूमि" से जुड़ा होगा। दो पिन वाले प्लगों के उपयोग की अनुमति नहीं है । स्नानघर में पानी गरम करने अथवा कपड़े धोने वाले अथवा गीली जगह में लगे हुए सभी उपकरणों को प्रभावी रूप से भू–संयोजित (अर्थ) किया जाना चाहिये ।

प्लग

6.10 सभी प्लगों के स्विच चालू (लाइव) तार पर जुड़े हों न कि न्युट्रल तार पर, (देखें भारतीय विद्युत नियम के परिशिष्ट – **VI** के खण्ड 22 (एच) ।

अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में बाधा डालने वाले उपकरण

6.11 यदि कोई उपभोक्ता ऐसा कोई यंत्र या उपकरण स्थापित करता है, जिसके कारण दूसरे उपभोक्ताओं की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो अनुज्ञप्तिधारी, कारण बताते हुए, उसकी आपूर्ति विच्छेदित कर सकता है । ऐसे कारणों का निराकरण अनुज्ञप्तिधारी की सन्तुष्टि के अनुसार होने पर आपूर्ति बहाल कर दी जावेगी ।

ए.सी. मोटर की स्थापना

6.12 मोटर कन्ट्रोल गेयर के साथ लगाई जायेगी, ताकि उपभोक्ता की स्थापना का प्रारंम्भिक करेन्ट किसी भी स्थिति में निम्न अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक न हो।

आपूर्ति का प्रकार	स्थापना का आकार	प्रारंम्भिक करेंट की सीमा
एकल फेज	1 बी.एच.पी.तक	कुल भार के अनुरूप करेंट का 6 गुना
तीन फेज	1 बी.एच.पी. से अधिक एवं 10 बी. एच.पी. तक	कुल भार के अनुरूप करेंट का 3 गुना
	10 बी.एच.पी. से अधिक तथा 15 बी. एच.पी. तक	कुल भार के अनुरूप करेंट का 2 गुना
	15 बी.एच.पी. से अधिक	कुल भार के अनुरूप करेंट का 1.5 गुना

इन विनियमों का परिपालन न करने पर उपभोक्ता के संयोजन को तत्काल विच्छेदित किया जा सकता है ।

उपभोक्ता के उपकरण

6.13 उपभोक्ता द्वारा उपयोग किये जाने वाले उपकरण/उपस्कर/छोटे यंत्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों तथा मापदण्ड या समतुल्य के अनुरूप होने चाहिये।

उपकरणों का पावर फैक्टर :

वेल्डिंग ट्रांसफार्मरः

6.14 सभी निम्नदाब स्थापनाएँ, जिनमें वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का विद्युत भार कनेक्शन के कुल संयोजित भार के 25 प्रतिशत से अधिक हो, उनमें उचित क्षमता के कैपेसिटर का होना आवश्यक है, ताकि पावर फैक्टर 85% से कम न हो, यह सुनिश्चित किया जा सके। पावर फैक्टर कम होने की स्थिति में उपभोक्ता आयोग द्वारा समय–समय पर निश्चित किये गये अधिभार का भुगतान करने के लिये बाध्य होगें ।

निम्नदाब शन्ट कैपेसिटर

6.15 सिंचाई पम्प सैट वाले उपभोक्ता सहित ऐसा प्रत्येक निम्नदाब उपभोक्ता, जिसके संयोजित भार में 3 बी.एच.पी. अथवा अधिक की क्षमता वाली इन्डक्शन मोटर सम्मिलित है, स्वयं के व्यय पर निम्नदाब शन्ट कैपिसिटर को अपनी मोटर के टर्मिनलों के बीच नीचे दी गई सूची के अनुसार लगाने की व्यवस्था करेगा । निम्नलिखित तालिका विभिन्न क्षमता की मोटरों पर लगाये जाने वाले केपेसिंटरों की क्षमता दर्शाती है, जो कि केवल मार्गदर्शन हेतु है । तथापि उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि लगाया हुआ कैपेसिटर मोटरों की वास्तविक क्षमता के अनुरूप हो ताकि पावर फैक्टर 85 प्रतिशत या उससे अधिक सुनिश्चित हो सके। जहाँ पावर फैक्टर मापने में सक्षम मीटर लगाये गये हों वहां निम्न तालिका के अनुसार कैपेसिटर लगे होने के बावजूद औसत मासिक पावर फैक्टर की गणना मीटर में वास्तविक रीडिंग के आधार पर की जायगी।

क्रमांक	प्रत्येक इन्डक्शन मोटर की क्षमता (रेटिंग)	निम्नदाब कैपिसिटर की के.व्ही.ऐ.आर. क्षमता (रेटिंग)
1.	3 बी.एच.पी. एवं इससे अधिक तथा 5 बी.एच.पी. तक	1
2.	5 बी.एच.पी. से अधिक तथा 7.5 बी.ए.पी.तक	2
3.	7.5 बी.एच.पी. से अधिक तथा 10 बी.एच.पी. तक	3
4.	10 बी.एच.पी. से अधिक तथा बी.एच.पी. तक	4
5.	15 बी.एच.पी. से अधिक तथा 20 बी.एच.पी. तक	5
6.	20 बी.एच.पी. से अधिक तथा 30 बी.एच.पी. तक	6
7.	30 बी.एच.पी. से अधिक तथा 40 बी.एच.पी. तक	7
8.	40 बी.एच.पी. से अधिक तथा 50 बी.एच.पी. तक	8
9.	50 बी.एच.पी. से अधिक तथा 100 बी.एच.पी. तक	9

ऐसे संयोजनों जहां 3 बी.एच.पी. या उससे अधिक की इन्डक्शन मोटर लगी है, को विद्युत आपूर्ति तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि उनमें पावर फैक्टर में सुधार लाने हेतु उचित क्षमता के कैपिसिटर नहीं लगे हों ।

6.16 बिन्दु क्रमांक 6.15 में वर्णित उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे सभी निम्नदाब उपभोक्ता, जिनका भार 50 किलो वॉट या अधिक है, समुचित क्षमता का कैपिसिटर लगायेंगे, ताकि पावर फैक्टर 85 प्रतिशत या उससे अधिक हो । कम पावर फैक्टर होने की दशा में ऐसे उपभोक्ता, आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये, अधिभार का भुगतान करने के लिये बाध्य होगें।

6.17 कोई निम्नदाब उपभोक्ता जो कि ऊपर निर्धारित किये गये निम्नदाब कैपिसिटर नहीं लगाता है या उन्हे चालू हालत में नहीं रखता है तो वह समय–समय पर टैरिफ में निश्चित किये गये अधिभार का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा। तथापि पावर फैक्टर मापने में सक्षम मीटर में यदि 0.85 या उससे अधिक पावर फैक्टर दर्शाया जाता है तो पावर फैक्टर अधिभार नहीं वसूला जायगा चाहे कण्डिका 6.15 के अनुसार शन्ट कैपेसिटर नहीं लगे या उपलब्ध हों। अनुमोदित टैरिफ में दर्शाये गये पावर फैक्टर अधिभार की वसूली से अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता की स्थापना को विच्छेदित करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा, जब तक कि उचित क्षमता के शन्ट कैपिसिटर की स्थापना कर पावर फैक्टर में सुधार नहीं कर लिया जाता।

6.18 यदि औसत पावर फैक्टर 70 प्रतिशत से कम हो तो अनुज्ञप्तिधारी 15 दिवस की उचित सूचना के पश्चात् किसी भी विद्युत स्थापना की आपूर्ति विच्छेदित कर सकता है। तथापि विच्छेदन की अवधि में अनुज्ञप्तिधारी का, उपभोक्ता से, प्रचलित मांग प्रभार/न्यूनतम प्रभार वसूली करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा ।

उच्चदाब उपभोक्ता

6.19 उच्च दाब उपभोक्ता द्वारा निम्नलिखित कन्ट्रोल स्थापित किये जायेंगे (देखें भारतीय विद्युत नियम का नियम – 50) :–

(ए) ऐसे उपभोक्ता जिनके स्थापित ट्रांसफार्मर/उपकरण की कुल क्षमता 1000 के.व्ही.ए.तक हो यदि आपूर्ति वोल्टेज् 11 के.व्ही. हो तथा 2500 के.व्ही.ए. तक यदि आपूर्ति वोल्टेज् 33 के.व्ही. हो, के द्वारा फ्यूज युक्त लिंकस्विच या सर्किट ब्रेकर स्थापित किये जायेंगे ।

(बी) उपभोक्ता, जिनके स्थापित ट्रांसफार्मर/उपकरण की कुल क्षमता 1000 के.व्ही.ए. से ऊपर हो, यदि आपूर्ति वोल्टेज् 11 के.व्ही. है तथा 2500 के.व्ही.ए. से ऊपर यदि आपूर्ति वोल्टेज् 33 के व्ही. हो तो उन्हें लिंक स्विच के साथ सर्किट ब्रेकर लगाने होंगे ।

(सी) उपरोक्त दोनों प्रकरणों में उपभोक्ता द्वारा, प्रत्येक ट्रांसफार्मर अथवा प्रत्येक फीडर पर निम्नदाब की ओर, उचित स्वचालित सर्किट ब्रेकर स्थापित किये जायेंगे ।

अति उच्च दाब उपभोक्ता

6.20 अति उच्च दाब उपभोक्ता को उसके ट्रांसफारमर के उच्चदाब की ओर सर्किटब्रेकर लगाना होगा। (भारतीय विद्युत अधिनियम की नियम–50 देखें)

उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ता

6.21 उपभोक्ता की स्थापना के सभी ट्रासंफार्मर स्विच गेयर तथा अन्य विद्युत उपकरण तथा वे उपकरण भी, जो अनुज्ञप्तिधारी की लाईनों से सीधे जुड़े हुए हों, ऊचित डिजाईन के होंगे तथा उनका रख–रखाव अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि के अनुसार उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा। उपभोक्ता के कन्ट्रोल गेयर के फ्यूज तथा कन्ट्रोल गेयर की सेटिंग तथा उसके किसी भी सर्किट ब्रेकर की विदीर्ण क्षमता (रप्चरिंग केपेसिटी), अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन के अनुसार होगी।

6.22 खण्ड 6.19 के प्रावधानों के होते हुए भी यह आवश्यक है, कि उपभोक्ता प्रचलित कानून/नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा उपकरणों अथवा संर्किट ब्रेकरों की उपयुक्तता के संबंध में विद्युत निरीक्षक का अग्रिम अनुमोदन प्राप्त कर ले ।

6.23 उपभोक्ता को पावर फेक्टर 90 प्रतिशत या उससे अधिक रखना होगा । निधारिंत पावर फैक्टर से फेरबदल होने की दशा में उपभोक्ताओं द्वारा, आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित अधिभार देय होगा अथवा वे छूट (इंसेटिव) प्राप्त करेंगे। ऐसी किसी स्थापना, जहां का औसत पावर फैक्टर यदि 70 प्रतिशत से कम हो, की विद्युत प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा (15 दिवस की) उचित सूचना के उपरांत विच्छेदित की जा सकती है। तथापि इससे अनुज्ञप्तिधारी के प्रचलित मांग प्रभार/न्यूनतम प्रभार की वसूली के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, जिस अवधि में कनेक्शन विच्छेदित रहा हो ।

उपभोक्ता की स्थापना का निरीक्षण एवं परीक्षण

6.24 इसके पूर्व कि निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में कोई वायरिंग या उपकरण तथा उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में कोई ट्रांसफार्मर, स्विच गेयर या अन्य विद्युत उपकरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से संयोजित किया जाये, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण/परीक्षण आवश्यक होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन बिना कनेक्शन नहीं दिया जायगा। इसके अतिरिक्त सभी उच्चदाब स्थापनाओं के लिये विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा तथा खदानों की विद्युत स्थापनाओं के लिये खदान निरीक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

6.25 परीक्षण प्रपत्र प्राप्त होने के बाद अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को स्थापना के निरीक्षण एवं परीक्षण का समय एवं तिथि सूचित करेगा। उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त किया गया अनुज्ञप्तिधारक इलेक्ट्रीकल ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि, जो कि तकनीकी रूप से योग्य हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांगी गई स्थापना से संबंधित कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने के लिये निरीक्षण के समय उपस्थित रहे । अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा स्थापना के निरीक्षण/परीक्षण के प्रतिवेदन की प्रति उपभोक्ता को देगा एवं उपभोक्ता से इसकी पावती प्राप्त करेगा ।

6.26 यदि आवश्यक हो तो सभी उच्चदाब उपकरणों के संबंध में निर्माता के परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जायेगें ।

6.27 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर के तारों तथा फिटिंग को उसके किसी कार्य से नहीं जोड़ेगा जब तक कि वह सन्तुष्ट नहीं हो जाता कि कनेक्शन करने के समय स्थापना या उपकरणं से ऐसा कोई लीकेज् न हो, जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो। इन्सुलेशन प्रतिरोध का मान भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 48 के अनुसार होना चाहिये ।

6.28 यदि उपभोक्ता की स्थापना कनेक्शन के लिये सुरक्षित नहीं पायी जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी निराकरण किये जाने वाले दोषों के संबंध में उपभोक्ता को लिखित में सूचित करेगा। दोषों के निराकरण होने की सूचना प्राप्त हो जाने के बाद, अनुज्ञप्तिधारी, स्थापना का पुनः परीक्षण करेगा।

6.29 अनुज्ञप्तिधारी, प्रथम परीक्षण के लिये कोई शुल्क नहीं लेगा । प्रारंम्भिक परीक्षण में पाये गये दोषों के कारण आवश्यक हुए अन्य परीक्षणों का शुल्क आयोग द्वारा अनुमोदित की गई दरों के अनुसार लिया जायेगा। उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग के रख–रखाव अथवा परीक्षण के संबध में अनुज्ञप्तिधारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

विस्तार एवं फेरबदल

6.30 उपभोक्ता के परिसर में विद्युत स्थापना का कोई कार्य, जिसमें फेर–बदल, संकलन अथवा सुधार कार्य सम्मिलित हैं, केवल बल्ब, पंखे, फ्यूज, स्विचेज, निम्न दाब घरेलू उपकरण एवं ऐसी अन्य फिटिंग्स को छोड़कर जो किसी भी प्रकार से कनेक्शन की क्षमता या चरित्र में बदलाव न करती हों, उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जावेगा । इस प्रकार के कार्य केवल अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार एवं ऐसे व्यक्ति, जिसके पास सक्षमता प्रमाण–पत्र हो, के सीधे पर्यवेक्षण में ही किया जावेगा । उच्च दाब/अति उच्च दाब स्थापना में विस्तार या भार परिवर्तन इत्यादि का अनुमोदन विद्युत निरीक्षक से करवाया जाना होगा । इसी प्रकार खदानों के प्रकरणों में विद्युत स्थापना में विस्तार अथवा परिवर्तन के लिये खदान निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

6.31 यदि ऐसे प्रस्तावित विस्तार एवं फेर–बदल के कारण उपभोक्ता के संयोजित भार या संविदा मांग में स्वीकृत संयोजित भार या संविदा मांग से बढ़ोत्री की संभावना है, तो उपभोक्ता अतिरिक्त आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । संविदा मांग या संयोजित भार में बढ़ोत्री का नियमितीकरण न कराने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमानुसार न केवल उच्च दर पर बिलिंग की जायगी, बल्कि उचित सूचना देने के, उपरांत विद्युत आपूर्ति विच्छेदित भी की जा सकती है ।

उपभोक्ता की स्थापना के निरीक्षण के लिये उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश पहुँच

6.32 अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किसी भी उचित समय पर तथा अधिवासी (आक्यूपायर) को अपने उद्देश्यों के बारे में जानकारी देकर उपभोक्ता के परिसर में स्थापना के निरीक्षण, मीटर रीडिंग, आपूर्ति का विच्छेदन; अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण का परीक्षण, सुधार, बदलने, परिवर्तन हेतु निकालने; एवं अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति के रख–रखाव एवं फेर–बदल या ऐसे सभी आवश्यक कार्य, जो कि उपभोक्ता की आपूर्ति को सुचारू रूप से जारी रखने या रख–रखाव के लिये आवश्यक या प्रासंगिक हों, के लिये उपभोक्ता के परिसर, जिसमें विद्युत प्रदाय की गई हो, में प्रवेश करने का हकदार है। ऐसे सभी अधिकृत व्यक्तियों के पास, जो कि उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करें, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किये गये फोटो परिचय पत्र होना चाहियें तथा इसे उपभोक्ता/अधिवासी को परिसर में प्रवेश करने के पूर्व दिखाना होगा। यदि उपभोक्ता को ऐसे प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता पर संदेह हो तो उसे तुरन्त अनुज्ञप्तिधारी से सम्पर्क करना चाहिये ।

6.33 अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,उपभोक्ता को जानकारी देने के पश्चात् उसके परिसर में अनाधिकृत विद्युत उपयोग की जांच, उपकरण में अनाधिकृत बढ़ोत्री एवं फेर–बदल, ऊर्जा की चोरी तथा दुरूपयोग, पावर का डायवर्शन, मीटर का बाईपास या छेड़छाड़ अथवा सामान्य निरीक्षण या परीक्षण के लिये तत्काल प्रवेश करने का हकदार होगा। ऊर्जा के अनाधिकृत उपयोग, उपकरण में अनाधिकृत बढ़ोत्री एवं फेर–बदल, ऊर्जा की चोरी तथा दुरूपयोग, पावर का डायवर्शन, मीटर से छेड़छाड़ या बाईपास मिलने पर अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियमन के प्रावधानों के अनुसार, कार्यवाही कर सकता है ।

6.34 किसी भी घर या घरेलू परिसर का निरीक्षण, परीक्षण या जाँच, यदि उस परिसर का अधिवासी वयस्क पुरूष उपस्थित न हो तो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच नहीं की जायेगी।

6.35 यदि उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को कण्डिका क्र. 6.32 एवम् 6.33 में वर्णित कारणों के लिये परिसर में प्रवेश करने के लिये उचित सुविधा नहीं देता है तो अनुज्ञप्तिधारी, आपूर्ति विच्छेदित

करने के उद्देश्य से उपभोक्ता को 24 घंटे की लिखित सूचना देगा। यदि उपभोक्ता तब भी प्रदेश नहीं देता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता का कनेक्शन विच्छेदित करने का हकदार होगा।

6.36 यदि उपभोक्ता की स्थापना का इन्सूलेशन प्रतिरोध इतना कम पाया जाता है, जिससे ऊर्जा का सुरक्षित उपयोग प्रभावित होता है, तो अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति 48 घंटे की सूचना देने के बाद भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 49 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विधि अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी के अन्य अधिकारों को प्रभावित किये बिना, दोषों के निराकरण होने तक उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर सकता है ।

स्थापना की विद्युत क्षमता का निर्धारण (रेटिंग) –

6.37 घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं का संयोजित भार {देखिये कण्डिका – 2.1 (k)} परिशिष्ट – 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जायेगा । सामान्यतः दो वर्ष में एक बार भार का सर्वेक्षण किया जावेगा । अनुज्ञप्तिधारी समय–समय पर चुने हुए क्षेत्रों में भार का सत्यापन कर सकता है । तथापि, यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि कोई विशेष घरेलू संयोजन अथवा घरेलू संयोजनों का समूह विद्युत के अनाधिकृत उपयोग में संलग्न हैं तो प्रभारी अधिकारी, उपभोक्ता(ओं) के परिसर का निरीक्षण कर सकता है ।

6.38 अनुज्ञप्तिधारी, सभी उपभोक्ताओं को प्रत्येक वर्ष में एक बार "संयोजित भार बाबत् स्व–घोषणा" के प्रपत्र प्रेषित करेगा । उपभोक्ता यदि उसके परिसर का वर्तमान वास्तविक संबद्ध भार अनुबंधित भार से भिन्न हो तो इस प्रपत्र में वर्तमान सम्बद्ध भार का विवरण दर्ज कर अनुज्ञप्तिधारी को भार परिवर्तन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये प्रस्तुत करेगा । घरेलू उपभोक्ता, परिशिष्ट – 3 में दिये गये प्रपत्र में अपने परिसर में भार की गणना कर बढ़े हुऐ भार की घोषणा वर्ष में किसी भी समय कर सकते हैं जिसे उन्हें भार परिवर्तन आवेदन के साथ अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में संपूर्ण विवरण के साथ जमा करना होगा ।

तदुपरांत भार सत्यापन हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण कराया जायेगा । यदि अनुज्ञप्तिधारी आवेदन के दिनांक से 30 दिवसों के भीतर निरीक्षण नहीं करता एवम् यदि आवेदित भार स्वीकृत भार से अधिक हो तो उपभोक्ता द्वारा घोषित भार स्वीकार्य माना जावेगा एवम् ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को अतिरिक्त शुल्क/प्रभार, यदि कोई हो, जमा कराने हेतु मांग पत्र तत्काल जारी किया जावेगा ।

6.39 उपभोक्ताओं की घरेलू श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों का संयोजित भार, एक साथ उपयोग किये जा सकने वाले, सभी ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों के निर्माता द्वारा निर्धारित क्षमता (रेटिंग) का योग होगा । इसे किलो वाट, क़े.वी.ए. या अश्वशक्ति में बतलाया जायेगा । संयोजित भार निर्धारित करने की प्रक्रिया के दौरान यदि निर्माता द्वारा दी गई रेटिंग उपलब्ध न हो या संदेहास्पद हो तो अनुज्ञप्तिधारी उस उपकरण के भार का निर्धारण करने के लिये उपर्युक्त जॉच उपकरण का उपयोग कर सकता है। यदि एयर कंडीशनर तथा रूम हीटर एक ही परिसर में पाये जाते है तो दोनों में से अधिक रेटिंग वाले उपकरण के भार की ही गणना की जावेगी । ऐसे उपकरणों, जो कि विक्रय/सुधार या वास्तव में अतिरिक्त रूप से किसी विद्यमान संयोजित उपकरण के खराब होने की दशा में उसके बदले में उपयोग करने के लिये भंडारित किये गये हैं, के विद्युत भार की गणना, संयोजित भार का निर्धारण करने के लिये नहीं की जावेगी । अनुज्ञप्तिधारी सड़क बत्तियों का समय–समय पर सर्वेक्षण करायेगा तथा उपयोग किये जा रहे बल्ब के प्रकार तथा उनका भार दर्ज करेगा ।

6.40 घरेलू श्रेणी के अलावा सभी अन्य प्रकार के उपभोक्ताओं के व्यवस्थापन, अनुज्ञप्तिधारी के विवेकानुसार, रेटिंग/पुनः –रेटिंग के पात्र होंगे । यदि उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा निर्धारित की गई रेटिंग से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपकरण का भार निर्धारित करने हेतु अनुमोदित किये गये इन्जीनियरिंग संस्थाओं में से किसी एक से अपने उपकरण की क्षमता (रेटिंग) का निर्धारण करा सकता है । संस्था में भार निर्धारित करने की प्रक्रिया के समय; उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों ही अपने प्रतिनिधि को उपस्थित रहने के लिये नियुक्त कर सकते हैं । संस्थान द्वारा दिये जाने वाले अन्तिम प्रतिवेदन के साथ किये गये परीक्षणों का विवरण संलग्न किया जाना होगा । संस्थान द्वारा निर्धारित की गई क्षमता (रेटिंग) अंतिमतः मान्य होगी तथा उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी, दोनों को स्वीकार्य होगी ।

6.41 यदि किसी कारण से किसी स्थापना की अधिकतम मांग, पावर फैक्टर या कोई दूसरी विद्युत मात्रा का निर्धारण संभव न हो, तो अनुज्ञप्तिधारी समय–समय पर इनकी माप रेटिंग/पुनः रेटिंग कर निर्धारित करेगा, जो कि उपभोक्ता पर बन्धनकारी होगी । पुनः रेटिंग के निष्कर्ष हेतु अनुज्ञप्तिधारी, अधिकतम माँग, पावर फैक्टर, इत्यादि को मापने वाला मीटर लगाने को स्वतंत्र होगा ।

6.42 जब कोई उपभोक्ता अपनी स्थापना में परिवर्तन या फेर बदल के कारण स्थापना की क्षमता के पुनः निर्धारण (पुनः रेटिंग) के लिये आवेदन देता है तो कण्डिका – 7.3 से कण्डिका 7.14 में दी गई प्रक्रिया अपनाई जावेगी ।

उपभोक्ता की स्थापना में जनरेटर तथा अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति प्रणाली के साथ उसका समानान्तर संचालन

6.43 उपभोक्ता की स्थापना में लगे जनरेटर का अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के साथ समानान्तर संचालन केवल अनुज्ञप्तिधारी की लिखित सहमति से स्वीकार्य होगा।

6.44 यदि ऐसी कोई सहमति नहीं दी गई है तो उपभोक्ता अपने उत्पादन इकाई के संयंत्र, मशीन तथा उपकरण, जिसमें उसका परिवर्तन या विस्तार सम्मिलित हो, उसे पृथक रूप से चलायेगा तथा जनरेटर किसी भी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से नहीं जोड़ेगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को सूचित कर, परिसर में प्रवेश कर उपभोक्ता व्यवस्था का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकता है कि उपभोक्ता का जनरेटर अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से किसी भी समय जोड़ा तो नहीं जाता ।

6.45 जहाँ समानान्तर संचालन के लिये सहमति दी गई है, वहाँ उपभोक्ता अपनी स्थापना को अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के विक्षेभों (डिस्टरबेंसेस) से सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेगा। उपभोक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि उसकी आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से गलत तरीके से संबंद्ध न हो । अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी समानान्तर संचालन अथवा उसके कारण हुए किसी प्रतिकूल परिणाम के कारण उपभोक्ता की प्लांट, मशीन व उपकरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिये बाध्य नहीं होगा। ग्रिड के साथ समानान्तर संचालन के लिये उपभोक्ता को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड कोड तथा अन्य संबंधित विनियमों में निहित प्रावधानों का पालन तथा आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों का भुगतान करना होगा । जनरेटर का वास्तविक संचालन राज्य पारेषण युटिलिटी तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों के समन्वय से किया जायेगा ।

6.46 ऐसे प्रकरण में जब अनुज्ञप्तिधारी के समुचित अनुमोदन के बिना ही उपभोक्ता के किसी जनरेटर, इन्व्हर्टर या अन्य किसी स्त्रोत से आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से सम्बद्ध हो जाती है, जिसके कारण अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण को नुकसान होता है अथवा जनहानि होती है तो

उपभोक्ता उसके लिये जिम्मेदार होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी के दूसरे उपभोक्ताओं को हुए नुकसान की यथोचित क्षतिपूर्ति करेगा ।

हारमोनिक्स

6.47 यदि अनुज्ञप्तिधारी यह पता लगाता है तथा उपभोक्ता को प्रमाणित करता है कि उपभोक्ता की प्रणाली से हारमोनिक्स उत्पादित हो रहे हैं तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को उचित क्षमता के हारमोनिक फिल्टर युक्ति–युक्त अवधि में लगाने हेतु अनुरोध कर सकेगा । हारमोनिक्स इन्जेक्शन की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार होगी : –

अति उच्च दाब – टी.एच.डी	3%
उच्च दाब	4%
निम्न दाब	6%

अध्याय – 7: संविदा माँग, अनुबन्ध, सुरक्षा निधि

संविदा माँग

उच्चतम मांग आधारित (टू–पार्ट) टैरिफ के अलावा निम्न दाब उपभोक्ता ।

7.1 ऐसे निम्नदाब उपभोक्ताओं की संविदा मांग, परिसर के कुल संयोजित भार के अनुरूप होगी, जो कि उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी के मध्य अनुबंधानुसार होगी।

उच्चतम मांग (एम.डी.) आधारित टू–पार्ट टैरिफ के निम्न दाब एवं सभी उच्च दाब एवं अति उच्च दाब उपभोक्ता

7.2 ऐसे उपभोक्ताओं की संविदा मांग, उपभोक्ता के स्थापना की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के बीच हुए अनुबन्ध के अनुसार होगी।

संविदा मांग की वृद्धि हेतु प्रक्रिया

7.3 भार वृद्धि के लिये आवेदन दो प्रतियों में तथा निर्धारित प्रपत्र में (परिशिष्ट – 1 व 2) अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा ।

7.4 30 दिनों के अन्दर, अनुज्ञप्तिधारी, बढ़े हुए भार के लिये आपूर्ति की साध्यता का परीक्षण करेगा एवम् उपभोक्ता को सूचित करेगा कि –

(ए) क्या अतिरिक्त मांग विद्यमान वोल्टेज स्तर पर दी जा सकती है अथवा इससे ज्यादा वोल्टेज स्तर पर;

(बी) क्या प्रणाली में कोई परिवर्तन, विस्तार या फेर–बदल करना आवश्यक है और यदि है तो उसके लिये उपभोक्ता द्वारा वहन की जाने वाली राशि की जानकारी;

(सी) अतिरिक्त सुरक्षा निधि, अतिरिक्त विस्तार की लागत तथा सप्लाई अरेंजिंग चार्जेस, यदि कोई हो तो, जो जमा करना है; और

(डी) उपभोक्ता के वर्गीकरण में परिवर्तन, यदि आवश्यक हो तो ।

7.5 यदि उपभोक्ता पर अनुज्ञप्तिधारी को किये जाने वाले भुगतान की राशि बकाया हो तो संविदा मांग में वृद्धि हेतु उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । तथापि, यदि उपभोक्ता पर बकाया राशि के भुगतान पर किसी न्यायालय या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा रोक लगाई गई हो, या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बकाया राशि की किश्तों में भुगतान की सुविधा दी गई हो तो आवेदन स्वीकार किया जा सकता है ।

7.6 यदि बढ़े हुए भार की आपूर्ति की जाना साध्य पाया जाता है तो उपभोक्ता :–

(ए) जहाँ स्थापना में फेर–बदल निहित है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य की पूर्णता का प्रमाण पत्र तथा परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत करेगा।

(बी) यदि आवश्यक हो तो उपभोक्ता की विद्युत स्थापना हेतु विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन पत्र और किसी अन्य लागू विनियमों के अधीन चाहे गये वैधानिक अनुमति पत्र प्रस्तुत करेगा । इसी प्रकार, खदानों की विद्युत स्थापना में अतिरिक्त भार हेतु खदान निरीक्षक का अनुमोदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(सी) अतिरिक्त सुरक्षा निधि, यदि प्रणाली में परिवर्तन या विस्तार की आवश्यकता हो तो उसकी लागत, तथा सप्लाई अरेजिंग चार्जेस की राशि, यदि लागू हो, का भुगतान करेगा ।

(डी) पूरक अनुबंध का निष्पादन करेगा ।

7.7 नयी/वैकल्पिक मीटरिंग व्यवस्था सहित यदि प्रणाली में कोई परिवर्धन या परिवर्तन आवश्यक न हो तो बढ़ा हुआ भार, आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने के बाद, अनुबन्ध में अंकित की गई तिथि से दिया जायेगा। यदि प्रणाली में किसी परिवर्तन अथवा परिवर्धन की आवश्यकता हो तो नवीन कनेक्शन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जावेगा ।

7.8 रेल्वे ट्रेक्शन के प्रकरण में यदि उपभोक्ता द्वारा छः सप्ताह पूर्व संविदा मांग बदलने हेतु लिखित में सूचना दी गई हो तो उपभोक्ता को उसकी अनुबंधित संविदा मांग से अतिरिक्त विद्युत प्रदाय, अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता की सहमति के अनुसार की जा सकती है ।

संविदा मांग में कमी हेतु प्रक्रिया

7.9 सामान्यतः अनुबन्ध की प्रारम्भिक समयावधि, जो अनुबन्ध लागू होने से दो वर्ष है, में संविदा माँग/संयोजित भार घटाने के आवेदन पर विचार नहीं किया जायगा। तथापि, यदि उपभोक्ता संविदा माँग/संयोजित भार घटाने की विवशता के कारणों से अनुज्ञप्तिधारी को संतुष्ट करने में समर्थ रहे तो अनुबन्ध की अवधि में संविदा माँग/संयोजित भार के 50 प्रतिशत तक भार घटाने की स्वीकृति दी जा सकती है।

घरेलु प्रकाश एवं पंखे के उपभोक्ताओं के प्रकरण में, अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि के भीतर भी, दोनों पक्ष किसी भी समय एक माह की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त कर सकते हैं।

7.10 अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि के समाप्त होने के बाद भार में कमी के आवेदन, दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में तथा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अनुज्ञप्तिधारी को जमा किये जायेंगे:–

(ए) जहाँ स्थापना में फेर–बदल निहित है, वहाँ विद्युत स्थापना में फेर–बदल, संशोधन तथा विस्थापन का विवरण सहित अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र तथा परीक्षण प्रपत्र ।

(बी) संविदा मांग में प्रस्तावित कमी के किन्हीं अन्य कारणों की जानकारी ।

(सी) उपभोक्ता द्वारा स्थापित किये गये उत्पादन संयत्रों का विवरण, यदि कोई हो, जिसके साथ उत्पादन संयंत्र स्थापना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया सुरक्षा क्लियरेन्स प्रमाण पत्र ।

7.11 भार में कमी के आवेदन की प्राप्ति के बाद अनुज्ञप्तिधारी को निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी:–

(ए) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन में दिये गये आधारों पर विचार करेगा, उनका सत्यापन करेगा तथा 60 दिनों की अवधि के अन्दर कारणयुक्त स्पष्ट आदेश (स्पीकिंग आदेश) द्वारा आवेदन पर निर्णय करेगा। यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह अधिनियम की धारा 45(5) के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गठित विद्युत शिकायत निराकरण फोरम में अपील दायर कर सकता है। इसके बाद अधिनियम की धारा 46(6) के अंतर्गत आयोग द्वारा नियुक्त या नामांकित विद्युत लोकपाल को शिकायत की जा सकती है जिसका निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु, अन्य विधि के अधीन उपभोक्ता को प्राप्त अधिकार से वह वंचित नहीं होगा।

(बी) यदि आवेदन पर 60 दिनों की अवधि के अन्दर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आवेदक लिखित सूचना के माध्यम से लंबित प्रकरण पर अनुज्ञप्तिधारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है । यदि तत्पश्चात् 30 दिनों की अवधि के अन्दर उसे कोई भी निर्णय प्राप्त नहीं होता है, तो मान लिया जावेगा कि उसे संविदा मांग में आवेदन के अनुरूप कमी करने की अनुमति दे दी गई है ।

(सी) संविदा मांग में कमी उस महीने के बाद के महीने के प्रथम दिन से प्रभावशील होगी, जिस महीने में निर्णय भेजा गया हो अथवा अनुमति का दिया जाना मान लिया गया हो।

7.12 अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति के बाद उपभोक्ता विद्यमान संविदा मांग में किसी भी सीमा तक कमी करने हेतु आवेदन कर सकता है। तथापि, उपरोक्त मांग में कमी खण्ड 3.4 में विभिन्न वोल्टेज स्तरों के लिये निर्धारित की गयी न्यूनतम संविदा मांग से कम नहीं की जावेगी। यदि उपभोक्ता अपनी संविदा मांग अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से कम कर किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से विद्युत प्रदाय प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 42 (4) के अनुसार उसे अतिरिक्त सरचार्ज का भुगतान करना होगा ।

7.13 इस संहिता के लागू होने से पहले निष्पादित सभी विद्यमान अनुबन्धों में यदि संविदा मांग में कमी पर प्रतिबंध के लिये यदि कोई प्रावधान है, तो वह इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार संशोधित माना जावेगा ।

7.14 जब संविदा मांग में कमी की सहमति हो जाती है, तो उपभोक्ता एक पूरक अनुबन्ध निष्पादित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा निधि की पुर्नगणना करेगा तथा कोई अधिक बची सुरक्षा निधि बराबर किश्तों में अगले पाँच बिलों में समायोजित की जायेगी ।

अनुबन्ध

7.15 आवेदक द्वारा, निर्धारित मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर नया कनेक्शन लेने के लिये तथा संविदा मांग परिवर्तन या अन्य किसी सहमत किये गये परिवर्तन के लिये मानक प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा । विशेष परिस्थितियों में, उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी दोनों की सहमति से, अनुबन्ध में कुछ विशिष्ट खण्डों को जोड़ा जा सकता है, यदि ऐसे खण्ड विद्युत अधिनियम

2003, विद्युत प्रदाय संहिता एवं प्रभावशील अन्य नियमों तथा विनियमों के विपरीत नहीं हों । ये विशिष्ट खण्ड अनुबन्ध का हिस्सा होंगे । निष्पादित किये गये अनुबन्ध की एक प्रति उपभोक्ता को दी जायेगी । जमा किये नक्शे, जिस पर उपभोक्ता एवम् अनुज्ञप्तिधारी की सहमति एवं हस्ताक्षर हों, अनुबन्ध का हिस्सा होंगे ।

7.16 इस संहिता में निहित प्रावधानों के अनुरूप, अनुज्ञप्तिधारी, अनुबंध प्रपत्र के विद्यमान स्वरूप में परिवर्तन कर सकेगा।

7.17 अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य विद्यमान अनुबन्ध को यदि संशोधित/परिवर्तित करने की आवश्यकता हो तो इसे एक पूरक अनुबन्ध निष्पादित कर किया जा सकता है।

7.18 नाम परिवर्तन, परिसर का स्थानांतरण, या संयोजित भार में परिवर्तन के उद्देश्य से किये जाने वाले संशोधन तब ही किये जायेगें, जब उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों, ऐसे संशोधनों के लिये सहमत हों तथा इन संशोधनों को अनुबन्ध में समाहित करने के लिये पूरक अनुबन्ध का निष्पादन किया जाय ।

अनुबन्ध की समाप्ति

7.19 यदि किसी उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के अंनुसार जारी किये गये किसी निर्देश का पालन न करने के कारण 60 दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहती है, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबन्ध की समाप्ति के लिये "कारण बताओ नोटिस" जारी करेगा जिसका उत्तर देने की समय सीमा 7 दिवस होगी। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिये या विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाता है, तो 7 दिवस की अवधि समाप्त होने के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत आपूर्ति के लिये उपभोक्ता के साथ हुआ अनुबंध समाप्त माना जायेगा, बशर्ते अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि समाप्त हो चुकी हो । अस्थायी विच्छेदन की अवधि में उपभोक्ता, मांग/न्यूनतम प्रभार भुगतान करने के लिये बाध्य होगा ।

7.20 घरेलू या एकल फेज़ गैर–घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता एक माह का नोटिस दे कर अनुबन्ध समाप्त कर सकते हैं। अन्य उपभोक्ता अनुबन्ध की दो वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के समाप्त होने के बाद एक महीने का नोटिस दे कर, अनुबन्ध समाप्त कर सकते हैं। तथापि घरेलू तथा एकल फेज़ गैर–घरेलू श्रेणियों के अलावा अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता किसी कारणवश यदि अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि के समाप्त होने के पहले अनुबन्ध समाप्त करना चाहते हैं, तो वे 2 साल की अवधि में से बची हुई अवधि के लिये प्रचलित टैरिफ के अनुसार प्रभारों का भुगतान करने को बाध्य होंगे। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता का अन्तिम बिल बनाने में सुविधा हेतु, आपसी सहमति से निश्चित की गई तिथि पर, विशेष मीटर रीडिंग लेने का प्रबन्ध करेगा। अनुबन्ध माह के अन्तिम दिन समाप्त होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी तद्नुसार अन्तिम बिल बनायेगा ।

7.21 अनुबन्ध की समाप्ति के बाद अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर से, विद्युत आपूर्ति हेतु लगाये गये अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण तथा सर्विस लाईन हटाने के लिये अधिकृत होगा। स्थाई विच्छेदन के बाद यदि उपभोक्ता संयोजन फिर से लेना चाहता है, तो उसके इस आवेदन को नवीन कनेक्शन के आवेदन की तरह माना जायेगा तथा तब ही स्वीकार किया जायेगा जब सभी बकाया देय राशि का भुगतान कर दिया गया हो ।

विविध

7.22 कोई भी उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसको प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं करेगा ।

7.23 यदि अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आपूर्ति प्रणाली में व्यवधान आता है तो परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार विद्युत की आपूर्ति कम की जा सकती है, रूक–रूक कर की जा सकती है या बंद की जा सकती है । अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत आपूर्ति प्रणाली के नियमित रख–रखाव हेतु भी, उपभोक्ताओं को उचित सूचना देने के पश्चात्, उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की पूर्ति कम, रोक–रोक कर सकता है या उसे पूरी तरह से बन्द कर सकता है ।

7.24 आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त आदेशों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं की आपूर्ति को, उचित सूचना के उपरान्त, विनियमित (योजनाबद्ध विद्युत कटौती) कर सकता है ।

7.25 उपभोक्ता को आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा का उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के हितों के विरूद्ध उपयोग नहीं किया जायेगा तथा सभी उपयोग लागू अधिनियम तथा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार ही किये जावेगें ।

7.26 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता द्वारा केवल स्वयं के उपयोग के लिये अनुबंध में निहित प्रावधानों तथा प्रयोजन के अनुसार ही किया जावेगा। कोई भी उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई स्वीकृति तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधानों के विपरीत किसी अन्य प्रयोजन के लिये ऊर्जा का उपयोग नहीं करेगा अथवा लाईन का विस्तार परिसर के बाहर नहीं करेगा जब तक कि ऐसे विस्तार/विचलन के लिये अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम आवश्यक स्वीकृति न ली गई हो ।

7.27 जब किसी उपभोक्ता की स्थापना को शासन, विद्युत निरीक्षक या अन्य समुचित प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से विच्छेदित किया जाता है, तो आपूर्ति का पुर्नसंयोजन शासन, विद्युत निरीक्षक या अन्य समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन, जैसा आवश्यक हो, के उपरांत तथा पूर्नःसंयोजन शुल्क के भुगतान के बाद किया जायेगा। उपभोक्ता के अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान, उपभोक्ता, मांग/न्यूनतम प्रभार के भुगतान के लिये बाध्य होगा।

सुरक्षा निधि

(देखें अधिनियम की धारा 47 (1) एवं (4) तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम, 2005)

प्रारम्भिक सुरक्षा निधि

7.28 अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित तालिका में दर्शाई हुई अवधि की अनुमानित खपत के समतुल्य सुरक्षा निधि उपभोक्ताओं से ले सकता है :–

क्र. सं.	उपभोक्ता का प्रकार	अवधि (दिवसों में)	रिमार्क
1.	कृषि	90	अनुमानित / वास्तविक वार्षिक औसत के आधार पर
2.	स्टोन क्रेशर, हाट मिक्स प्लाण्ट	90	अनुमानित / वास्तविक वार्षिक औसत के आधार पर
3.	ऐसे उपभोक्ता जो परिसर के कानूनी अधिवासी होने का प्रमाण देने में असमर्थ हों ।	90	अनुमानित / वास्तविक वार्षिक औसत के आधार पर
4.	अन्य उपभोक्ता	45	अनुमानित / वास्तविक वार्षिक औसत के आधार पर

7.29 उपभोक्ता के पास अग्रिम भुगतान का विकल्प होगा और ऐसी स्थिति में सुरक्षा निधि की राशि अनुपातिक रूप से तय की जायेगी । अलग–अलग श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये सुरक्षा राशि के निर्धारण की प्रक्रिया अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, आयोग के अनुमोदन से, निर्धारित की जायेगी। निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में नगद या ड्राफ्ट तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में केवल ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में ही सुरक्षा निधि स्वीकार की जायेगी। चैक केवल इस शर्त के अधीन स्वीकार किये जा सकेंगे कि चैक राशि का भुगतान प्राप्त होने पर विद्युत प्रदाय चालू होगी। अनुबन्ध की समाप्ति के उपरांत तथा उपभोक्ता द्वारा देय यदि कोई राशि हो तो उसके समायोजन के उपरान्त शेष राशि, उपभोक्ता को वापस की जायेगी ।

अतिरिक्त सुरक्षा निधि

7.30 उपभोक्ता द्वारा जमा सुरक्षा निधि की राशि की, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिये वार्षिक रूप से पिछले 12 महीने की खपत के आधार पर तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिये पिछले 6 महीने की खपत के आधार पर अर्ध–वार्षिक रूप से, समीक्षा की जायेगी । यदि प्रचलित टैरिफ के अनुसार उपरोक्त संबंधित अवधि के दौरान की गई औसत मासिक खपत के मासिक बिल की डेढ़ गुना राशि, उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी सुरक्षा निधि की राशि से 20 प्रतिशत से अधिक हो तो तद्नुसार उपभोक्ता को राशि की वापसी की जायेगी या 20 प्रतिशत से कम हो होती है तो उसे अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी ।

7.31 एक वित्तीय वर्ष में यदि उपभोक्ता तीन बार से अधिक बिल भुगतान न करने का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी उसकी सुरक्षा निधि को 45 दिन की खपत के स्तर की जगह 90 दिन की खपत के आधार पर मांग कर सकता है ।

7.32 ऐसे उपभोक्ताओं के प्रकरण में जिन्हें अतिरिक्त भार की स्वीकृति दी गई है अतिरिक्त भार के लिये अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना इस तरह से की जायेगी, जैसे कि वह एक नये विद्युत कनेक्शन के लिये की जाती है ।

7.33 उपभोक्ता के आवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को अतिरिक्त सुरक्षा निधि का भुगतान करने के लिये तीन किश्तों की सुविधा दे सकता है ।

7.34 अतिरिक्त सुरक्षा निधि को जमा करने के लिये अनुज्ञप्तिधारी कम से कम एक महीने की सूचना देगा । यदि सूचना के अनुसार उपभोक्ता अतिरिक्त सुरक्षा निधि का भुगतान नहीं करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अवधि के लिये, जब तक भुगतान नहीं किया जाता है, उपभोक्ता की विद्युत

आपूर्ति बन्द करने का अधिकारी होगा । सुरक्षा निधि के भुगतान में विलंब की दशा में, उपभोक्ता, अधिभार के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा ।

7.35 वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से ली गई ऐसी सुरक्षा निधियों पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार बैंक दर पर ब्याज देगा।

7.36 अनुबन्ध की समाप्ति के बाद तथा सभी देय बकाया राशि के समायोजन तथा औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद से 60 दिन की अवधि में सुरक्षा निधि उपभोक्ता को वापस की जावेगी । 60 दिनों की अवधि से ज्यादा देरी पर, माह या उसके भाग के लिये, 1 % की दर से उपभोक्ता को ब्याज देय होगा ।

अध्याय–8: मीटर

मीटरों की आवश्यकता

8.1 इस संहिता के जारी होने की दिनांक के बाद कोई भी नया कनेक्शन समुचित मापदण्ड के मीटर एवं कट आउट या एमसीबी (मिनीएचर सर्किट ब्रेकर) अथवा सी.बी. (सर्किट ब्रेकर), के बिना नहीं दिया जाएगा ।

8.2 जब भी अनुज्ञप्तिधारी बताये, सभी उपभोक्ताओं को उपयुक्त मीटरिंग उपकरण या लोड लिमिटर, छेड़–छाड़ रोधी बॉक्स या अन्य उपकरण स्थापित करना स्वीकार करना होगा एवम् उपभोक्ता को मीटर और संबंधित उपकरणों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि के अनुसार उपयुक्त स्थान प्रदान करना होगा ।

8.3 उच्चदाब विद्युत आपूर्ति के प्रकरण में यदि उच्चदाब मीटरिंग प्रणाली तुरंत स्थापित नहीं की जा सकती है तो उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्नदाब की ओर निम्नदाब (एल.टी.) मीटरिंग लगाई जा सकती है । ऐसे प्रकरणों में बिलिंग हेतु विद्युत मात्राओं की गणना, ट्रांसफार्मेशन क्षति हेतु, एल.टी. मीटरिंग में दर्ज खपत में उसका 3 प्रतिशत् जोड़कर की जावेगी । यह व्यवस्था तीन माहों से अधिक अवधि तक जारी नहीं रखी जा सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी इन तीन माहों के भीतर ट्राँसफार्मर के उच्चदाब की ओर मीटरिंग प्रणाली स्थापित करने का प्रबंध करेगा।

8.4 यदि उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ता को केवल उसके उपयोग के लिये विद्युत आपूर्ति एक अलग स्वतंत्र फीडर पर की जाती तो मीटरिंग की व्यवस्था या तो उपभोक्ता के परिसर में या, यदि आपसी सहमति हो तो, अनुज्ञप्तिधारी के उपकेन्द्र पर की जा सकती है ।

8.5 अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान मीटरों की स्थिति की समीक्षा करने हेतु अधिकृत है। तकनीक में सुधार के कारण यदि बेहतर मीटर उपलब्ध होते है तो उपभोक्ता के परिसर में मीटर स्थापित करने के स्थान की उपयुक्तता की समीक्षा करते हुए इन्हें पुनःस्थापित किया जावे। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में रिमोट मीटरिंग प्रणाली, इस प्रणाली की तकनीकी आवश्यकताओं अनुसार, स्थापित कर सकता है एवम् ऐसी दशा में उपभोक्ता को अपने दूरभाष के माध्यम से इस प्रणाली से वाचन करने हेतु आवश्यक पहुंच की सुविधा प्रदान करनी होगी । अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में उच्चतम मांग मीटर, जिसमें उच्चतम मांग एवं टाईम आफ डे रिकार्ड करने संबंधी विशेषताऐं या अन्य अतिरिक्त विशेषताऐं उपलब्ध हों, लगा सकता है । अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी एक उपभोक्ता के कनेक्शन अथवा

उपभोक्ताओं के कनेक्शनों के समूह के लिये चेक मीटर स्थापित कर सके । चैक मीटर व बिलिंग मीटर में दर्ज खपत में अंतर यदि स्वीकृत सीमा से ज्यादा हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को लिखित सूचना देने के उपरान्त, बिलिंग मीटर को पोल या पिलर बाक्स में स्थापित कर सकता है।

मीटर तथा कट–आऊट/एमसीवी/सीबी की आपूर्ति और स्थापना

8.6 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को नया कनेक्शन देते समय अथवा आवश्यकता अनुसार किसी अन्य समय, मीटर एवं मीटरिंग उपकरण, कट– आऊट /एमसीबी /सीबी/लोड लिमिटर उपलब्ध कराया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी मीटर को सही कार्यस्थिति में रखेगा और उपभोक्ता उसका मासिक किराया, आयोग द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार, अदा करेगा । अनुज्ञप्तिधारी यदि मीटर या मीटरिंग उपकरण को सही कार्य स्थिति में नहीं रख पाता है तो मीटर खराब रहने की अवधि का किराया उपभोक्ता से नहीं लिया जावेगा।

यदि कोई उपभोक्ता चाहे तो वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित मापदण्डों के अनुरूप अपना मीटर/मीटरिंग उपकरण खरीद कर लगा सकता है । ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को मीटर को सही चालू हालत में रखना होगा । अनुमोदित ,टैस्टिंग चार्ज का भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर/मीटरिंग उपकरण की अनुसूचित जाँच की जायेगी । ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा मासिक मीटर किराये का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

8.7 मीटर सामान्यतः परिसर के बाहर इस तरह से स्थापित किया जावेगा ताकि यह हवा, पानी, धूप इत्यादि से सुरक्षित रहे और मीटर रीडर द्वारा इसकी रीडिंग बाहर से ही की जा सके तथा रीडिंग के लिये परिसर को खोलने की आवश्यकता न हो । विशेष अवस्था में अनुज्ञप्तिधारी मीटर को उपरोक्त वर्णित स्थान से भिन्न स्थान पर स्थापित कर सकता है तथापि इसकी अनुमति लिखित रूप से सहायक यंत्री स्तर या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा दी जावेगी। उपभोक्ता, मीटर की स्थापना के निर्धारित स्थान से अपनी आंतरिक वायरिंग करेगा । मीटर बाक्स सामान्यतः ऐसी उंचाई पर स्थापित किया जावेगा ताकि मीटर रीडिंग काऊण्टर/डिस्प्ले विण्डो को मीटर रीडर द्वारा खड़े रहकर आसानी से पढ़ा जा सके । निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में मीटर तथा कट–आऊट / एमसीबी और उच्चदाब /अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में मीटर, सर्किट ब्रेकर तथा केबल सहित अन्य सहयोगी उपकरण की स्थापना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के संरक्षित परिसर में मुख्य द्वार के समीप, आपूर्ति बिन्दु (बिन्दुओं) पर की जावेगी ।

8.8 सभी नये कनेक्शनों के मीटरों की स्थापना टेम्पर प्रूफ बाक्स में की जावे । अनुज्ञप्तिधारी, चरण–बद्ध योजना बनाकर ऐसे सभी मीटर, जो वर्तमान में टेम्पर प्रूफ मीटर बाक्स में स्थापित नहीं हैं, को टेम्पर प्रूफ मीटर बाक्स में स्थापित करेगा ।

8.9 कच्चे मकानों के प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मीटर दीवार पर ठीक तरीके से स्थापित किया जावे और मीटर तक मीटर रीडर की पहुंच सुगम हो । यदि उपभोक्ता अच्छी गुणवत्ता की दीवार मीटर स्थापित करने के लिये उपलब्ध नहीं करा पाता तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी मीटर को पोल पर या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये गये पिलर बक्से में लगा सकता है । अनुज्ञप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्थापना का भू–संयोजन (अर्थिंग) सही हो ।

8.10 ऐसे प्रकरणों में जहां मीटर परिसर के भीतर स्थापित किया जाता है तो मीटर तथा अनुज्ञप्तिधारी के अन्य उपकरण, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करने हेतु डाली गयी विद्युत लाईन के परिसर में प्रवेश बिन्दु के निकट स्थापित किये जावेंगे ताकि मीटरिंग युनिट परिसर के बाहर

से दृष्टव्य हो एवं मीटर या मीटरिंग क्यूबिकल के लिये स्वतंत्र एवं निर्बाध प्रवेश उपलब्ध हो सके । जहां आवश्यक हो वहां पर उपभोक्ता अपने व्यय पर अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदित किये अनुसार उसके (अनुज्ञप्तिधारी के) उच्च दाब स्विच गेयर तथा उपकरणों को स्थापित करने के लिये मौसम रोधी एवं तालायुक्त बाक्स/कमरा/अहाता उपलब्ध करायेगा एवं अपने खर्च पर इसका रख-रखाव भी करेगा ।

8.11 जब कभी भी कोई नया मीटर स्थापित किया जाएगा (बदलने या फिर नए कनेक्शन के लिए) अनुज्ञप्तिधारी की ओर से इसे उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ठीक तरह से सील किया जाएगा। सील लगाये जाने के कार्य के प्रत्यक्षदर्शी दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपने पूरा नाम लिखकर निर्धारित दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करेंगे। मीटर या मीटरिंग प्रणाली की सील, नाम पट्टिकाओं और उन पर खुदे हुए विभेदकारी अंक या चिन्ह किसी भी स्थिति में उपभोक्ता या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तोड़े, मिटाए, परिवर्तित या बाधित नहीं किये जाएंगे, जब तक दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित न हों ।

8.12 (i) अनुज्ञप्तिधारी के परिसर में स्थापित मीटर, कट-आउट, एम.सी.बी./सी.बी. आदि, को छोड़कर, उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर, कट-आउट, एम.सी.बी./सी.बी. आदि को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का उत्तरदायित्व उपभोक्ता का होगा ।

(ii) उस मामले में, जहाँ उपभोक्ता के परिसर से मीटर गुम हो जाये अथवा चोरी हो जाये, तो वह उपभोक्ता इस विषय की रिपोर्ट पुलिस थाने में करवायेगा और विद्युत की आपूर्ति की पुनर्स्थापना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के खर्च पर नये मीटर की स्थापना होने पर की जायेगी ।

मीटरों का परीक्षण

8.13 अनुज्ञप्तिधारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि मीटर की स्थापना के पूर्व मीटर की परिशुद्धता से अपने को संतुष्ट कर ले और इस प्रयोजन हेतु वह मीटर का परीक्षण कर सकता है ।

8.14 अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित समयावधि के अनुसार मीटरों का निरीक्षण/परीक्षण करेगाः

(ए)	एकल फेज़ मीटर	पांच वर्ष में एक बार
(बी)	एल.टी. 3 फेज़ मीटर	तीन वर्ष में एक बार
(सी)	एमडीआई सहित एच.टी. मीटर	वर्ष में एक बार

सीटी एवं पीटी का परीक्षण भी मीटरों के साथ ही किया जावेगा । परीक्षण परिणामों के उल्लेखों को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 के नियम 57 के अनुसार अनुरक्षित रखा जायेगा।

यदि अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान मीटर को निकालना चाहता है तो अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि को प्राधिकृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा मीटर निकालने के पूर्व नाम व पद सहित हस्ताक्षर कर उपभोक्ता को पावती का कागज देना होगा । उपभोक्ता, ऐसे मीटर निकालने पर प्रतिवाद नहीं करेगा ।

दोष-युक्त मीटर

8.15 मीटर की परिशुद्धता के बारे में युक्तियुक्त शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को किसी मीटर एवं संबंधित उपकरण का परीक्षण करने का अधिकार होगा और उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण करने में सहायता उपलब्ध करायेगा। परीक्षण के समय उपभोक्ता को उपस्थित रहने की अनुमति होगी ।

8.16 कोई उपभोक्ता मीटर की परिशुद्धता के बारे में शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को मीटर का परीक्षण करने के लिए आवश्यक परीक्षण फीस के साथ आवेदन दे सकता है । आवेदन प्राप्त होने से 30 दिनों के अंदर, अनुज्ञप्तिधारी, मीटर के परीक्षण की व्यवस्था करेगा । इलेक्ट्रानिक मीटर की प्राथमिक जांच उपभोक्ता के परिसर में इलेक्ट्रानिक परीक्षण उपकरण से की जा सकती है ।

8.17 मीटर के प्रयोगशाला में परीक्षण किये जाने वाले सभी प्रकरणों में उपभोक्ता को परीक्षण के समय व्यक्तिगत् रूप से या उसके किसी अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित रहने के लिए सूचना, परीक्षण की प्रस्तावित दिनांक के कम से कम 7 दिन पहले, दी जाएगी । परीक्षण परिणाम पत्रक पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि, परीक्षण के समय यदि उपस्थित हो तो उसके हस्ताक्षर कराये जावें ।

8.18 यदि उपभोक्ता मीटर के परीक्षण परिणामों पर आपत्ति दर्ज कराता है तो वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परीक्षण परिणामों के सूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर विद्युत निरीक्षक को अभ्यावेदन दे सकेगा जो भारतीय विद्युत नियम, 1956 के परिशिष्ट–VI, खण्ड 18 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय देगा।

मीटर (एमडीआई सहित) जो वाचन दर्ज ना कर रहा हो

8.19 उपभोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि जैसे ही मीटर के रूकने/वाचन दर्ज न करने का पता लगे, वह अनुज्ञप्तिधारी को लिखित सूचना दे, जिसकी पावती अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जावेगी ।

8.20 समय–समय पर किये गये या अन्य निरीक्षणों के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई मीटर यदि चलता हुआ नहीं पाया जाता है या उपभोक्ता इस संबंध में शिकायत् करता है तो अनुज्ञप्तिधारी, मीटर का परीक्षण 7 दिन के भीतर करने की व्यवस्था करेगा। यदि निम्नदाब उपभोक्ता का मीटर खराब पाया जाता है तो इसे शहरी क्षेत्रों में 15 दिवस के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिन के भीतर सुधारना/बदलना होगा । उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में 15 दिवस के भीतर मीटर को सुधारना या बदलना होगा ।

8.21 यदि मीटर बंद हो जाय और जाँच हेतु लगाया गया मीटर, जहाँ अनुज्ञप्तिधारी ने लगाया हो, कार्य कर रहा हो तो उपभोक्ता जाँच हेतु लगाये गये मीटर के अनुसार विद्युत ऊर्जा के प्रभारों का भुगतान करेगा।

8.22 मीटर जल जाने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी, मीटर की कीमत वसूल करने का अधिकारी होगा।

अध्याय – 9: बिलिंग

मीटर रीडिंग, बिलों का बनाना एवं बिलों का वितरण

9.1 विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी के लिये मीटर वाचन की समयावधि निम्नानुसार है । फिर भी, यदि अनुज्ञप्तिधारी इसे आवश्यक एवं उपयोगी समझे तो इस समयावधि को कम करके सुधार ला सकता है ।

उपभोक्ता श्रेणी	मीटर वाचन
घरेलू – ग्रामीण	तीन माह में एक बार
घरेलू – शहरी (केवल रायपुर, बिलासपूर, दुर्ग एवं भिलाई नगर निगम के क्षेत्र में)	प्रत्येक माह
अन्य शहरी घरेलू	दो माह में एक बार
गैर–घरेलू – 10 कि.वा. से कम – ग्रामीण	दो माह में एक बार
गैर–घरेलू – अन्य (शहरी एवं ग्रामीण)	प्रति माह
निम्न दाब औद्योगिक	प्रति माह
कृषि – ग्रामीण	तीन माह में एक बार
कृषि – शहरी	दो माह में एक बार
स्ट्रीट लाईट, जलकार्य, एक्स–रे प्लान्ट, विद्युत शवदाह गृह.	प्रतिमाह
उच्च दाब	प्रति माह (जहाँ तक व्यावहारिक हो, प्रत्येक माह की एक ही दिनांक को रीडिंग ली जाय)

घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर का वाचन केवल दिन के समय किया जावेगा ।

9.2 मीटर वाचन के दौरान मीटर रीडर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी फोटो परिचय–पत्र अपने साथ रखेंगे ।

9.3 ऐसे बड़े उपभोक्ता, जिनकी खपत ज्यादा है, की मीटर रीडिंग एवं भुगतान की स्थिति को इण्टरनेट पर दर्शाने की व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी करेगा ।

9.4 उपभोक्ता अपने विद्युत बिलों को रिकार्ड में रख सकते हैं, क्योंकि इन बिलों में पूर्व में की गई मीटर रीडिंग का विवरण दर्शाया जाता है । जहां कहीं भी विद्युत बिलों में इस प्रकार का विवरण दर्शाया न गया हो तो उपभोक्ता इसकी सूचना अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में दे सकता है ।

9.5 अनुज्ञप्तिधारी, हाथ में रखे जाने वाले उपकरणों, मीटर रीडिंग इन्सट्रूमेण्ट (एम.आर.आई) अथवा वायरलेस उपकरण का उपयोग, मीटर वाचन और उसी समय बिल बनाने हेतु कर सकेगा । यदि रिमोट मीटर रीडिंग व्यवस्था या एम.आर.आई. डाउन लोड प्रक्रिया का उपयोग कर बिल बनाये जाते हैं तथा यदि उपभोक्ता इस प्रकार की गई रीडिंग का रिकार्ड चाहता है तो वह कर्मचारी, जो कि मीटर रीडिंग ले रहा है, इसे उपभोक्ता को उपलब्ध करायेगा ।

9.6 स्पाट बिलिंग प्रक्रिया के दौरान यदि अनुज्ञप्तिधारी का प्रतिनिधि उपभोक्ता की अनुपस्थिति अथवा परिसर के बन्द होने की दशा में रीडिंग नहीं ले पाता तो वह परिसर में इस आशय का सूचना–पत्र देगा कि उपभोक्ता अपने मीटर की रीडिंग दूरभाष पर दे सकता है। तत्पश्चात् उपभोक्ता किसी भी सुविधाजनक तिथि पर अपना बिल प्राप्त कर सकता है। तथापि, दूरभाष पर मीटर रीडिंग प्राप्त कर बिल देने की प्रक्रिया एक बिलिंग चक्र से ज्यादा अवधि के लिये नहीं होगी ।

9.7 अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक असाधारण उपभोक्ता क्रमांक आवंटित करे तथा इसको संबंधित उपभोक्ता को सूचित् करे। इस असाधारण उपभोक्ता क्रमांक में पोल क्रमांक, ट्रांसफार्मर क्रमांक, 11 किलो वोल्ट फीडर (संभरक) क्रमांक, वितरण केन्द्र क्रमांक तथा संभाग क्रमांक निहित हो सकते हैं ।

9.8 अनुज्ञप्तिधारी यदि चाहे तो विद्युत के प्रभारों की अग्रिम भुगतान योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिये लागू कर सकता है जिनके विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत नहीं हैं एवं इस अग्रिम भुगतान योजना का विवरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग से अनुमोदित कराना होगा तथा व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने के बाद लागू करना होगा ।

9.9 आयोग के प्रचलित विद्युत दर आदेश में दी गई जानकारी के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के बिल बनाए जायेंगे ।

9.10 यदि किसी नये उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन महीने के मध्य किसी तिथि से प्रारम्भ होता है तो ऐसी दशा में मांग प्रभार, न्यूनतम प्रभार और/या अन्य इसी प्रकार के नियत प्रभारों की, महीने के जितने दिनों में विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया है, अनुपातिक आधार पर बिलिंग की जावेगी । दर्ज की गई खपत को भी इसी प्रकार, खपत की विभिन्न निर्धारित श्रेणियों में, अनुपातिक रूप से प्रभारित किया जावेगा । इस कण्डिका के परिप्रेक्ष्य में महीने की अवधि 30 दिवसों की होगी ।

9.11 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को निम्नलिखित जानकारी की सूचना देगा :–

(ए) तिथि जिस पर उपभोक्ता को प्रत्येक माह बिल जारी होगा;

(बी) तिथि जिस पर उपभोक्ता को प्रत्येक माह बिल दिया जायेगा; और

(सी) उसके बिल के भुगतान की नियत तिथि।

उपरोक्त वर्णित तिथियां एक उपभोक्ता के लिये सामान्यतः वित्तीय वर्ष के दौरान सभी बिलिंग चक्रों के लिये नियत रहेंगी । अनुज्ञप्तिधारी, बिल पर, बिल वितरक का नाम, रबर मोहर लगाकर दर्शायेगा तथा बिल वितरक उपभोक्ता को बिल प्रदाय करते समय बिल पर बिल वितरण की दिनांक दर्ज करेगा ।

9.12 अतिरिक्त सुरक्षा निधि की मांग को छोड़कर, आडिट एवं अन्य बकाया राशि की मांग के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक बिल जारी किये जावेंगे । ऐसे बिलों के साथ बिलिंग के आधार का विवरण तथा बिल की अवधि इत्यादि लिखित में दिया जावेगा ।

9.13 एम.आर.आई. डाउन लोड सहूलियत वाले सभी मीटरों का प्रतिमाह एम.आर.आई प्रिन्ट लेने का अनुज्ञप्तिधारी प्रयास करेगा ।

9.14 यदि किसी कारणवश वाचन के लिये मीटर तक नहीं पहुंचा जा सकता हो तो अनुज्ञप्तिधारी, वाचन के लिये मीटर उपलब्ध कराने हेतु उपभोक्ता को लिखित में नोटिस, जिसमें समय एवं दिनांक का उल्लेख होगा, भेजेगा । उपरोक्तानुसार नोटिस दिये जाने के बाद यदि वाचन के लिये उपभोक्ता मीटर उपलब्ध नहीं कराता है तो अनुज्ञप्तिधारी अधिभार सहित प्रावधिक बिल भेजने को स्वतंत्र होगा । अधिभार की राशि विविध प्रभारों की अनुसूची (शिड्यूल ऑफ मिसलेनियस चार्जेस) के अनुसार होगी । पूर्व वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर प्रावधिक बिल बनाया जायेगा ।

9.15 इस प्रकार बिल की गई राशि का समायोजन बाद के वास्तविक मीटर वाचन के आधार पर बनाये जाने वाले बिल में किया जायेगा । ऐसी प्रावधिक बिलिंग एक बार में दो से अधिक मीटर रीडिंग चक्र के लिये नहीं जारी रहेगी । द्वितीय मीटर वाचन चक्र के समय भी यदि मीटर, वाचन हेतु उपलब्ध नहीं होता है तो उपभोक्ता को नियत समय एवं दिनांक पर, मीटर वाचन हेतु परिसर खुला रखने हेतु नोटिस दिया जायेगा । नोटिस में नियत किये गये समय पर यदि मीटर, वाचन हेतु उपलब्ध नहीं होता है तो अधिनियम की धारा – 163 (3) के तहत् 24 घण्टों की सूचना देकर, विद्युत प्रदाय विच्छेदित किया जा सकता है।

9.16 प्रत्येक बंद/खराब मीटर का ब्यौरा अभिलिखित करना मीटर वाचक की जिम्मेदारी होगी तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिये वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी और उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिये वृत्त कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को तत्परता से रिपोर्ट दी जाय । प्रभारी अधिकारी, बंद/खराब मीटर को बदलने अथवा सुधारने हेतु तुरंत कार्यवाही करने हेतु जिम्मेदार होगा । वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा मीटर वाचन पुस्तिका में इन्द्राज करने के अतिरिक्त सभी बंद मीटरों और उनको बदलने हेतु की गई कार्यवाही संबंधी मासिक रिपोर्ट उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी एवं संभागीय कार्यालय को आवश्यक रूप से दी जायेगी ।

9.17 जिस अवधि में मीटर कार्यरत नहीं रहा उस अवधि के विद्युत प्रभार वसूली हेतु पूर्व तीन मीटर वाचन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर बिल बनाया जायेगा । यदि चेक मीटर लगा हो तो चेक मीटर से उपलब्ध रीडिंग के आधार पर उपभोग की गई यूनिटों पर बिलिंग की जा सकती है । उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरणों में यदि मीटर कार्यरत् नहीं रहा हो तथा चेक मीटर नहीं लगा हो या खराब हो तो ऐसी दशा में बिलिंग उपरोक्त दर्शाये आधार पर की जावेगी। यदि अनुज्ञप्तिधारी के मत से उपभोक्ता के परिसर की स्थितियां जिस महीने की औसत बिलिंग की जानी हो उस महीने ऐसी रही हो जिससे उपरोक्त आधार पर की गई औसत बिलिंग अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता के पक्ष में सही नहीं हो तो ऐसी दशा में इस अवधि की औसत बिलिंग संबंधित वृत्त के प्रभारी द्वारा निर्धारित की जावेगी । यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से संतुष्ट नहीं हो तो वह स्थानीय क्षेत्र के प्रभारी को अपील कर सकता है।

9.18 निम्न दाब उपभोक्ताओं के दोषपूर्ण मीटर, त्रुटि ज्ञात होने की दिनांक से, 30 दिवस में प्रति–स्थापित किये जायेंगे । उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में त्रुटि ज्ञात होने की दिनांक से पंद्रह दिवस के भीतर दोषपूर्ण मीटर बदले जायेंगे ।

9.19 मीटर वाचक, ऐसे संयोजनों की सूची, जहाँ मीटर रीडिंग अभिलिखित नहीं की जा सकी हो या मीटर में को खपत दर्ज नहीं हुई हो, वितरण केन्द्र के प्रभारी को प्रस्तुत करेगा । प्रभारी यंत्री ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार करेगा, जहाँ मीटर रीडिंग नहीं ली जा सकी या दोषपूर्ण मीटर (कण्डिका – 8.20 देखें) तीस दिवस के भीतर प्रतिस्थापित नहीं किए जा सके और यह प्रतिवेदन सहायक यंत्री तथा कार्यपालन यंत्री को प्रस्तुत करेगा । अनुज्ञप्तिधारी, दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन संबंधी पद्धति, प्रक्रिया और जवाबदेही के विस्तृत दस्तावेज़ बनायेगा और इन्हें कार्यालयों में रखेगा ।

9.20 स्थानीय वृत्त के प्रभारी द्वारा जारी अनुसूची के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारी, नमूने के बतौर, मीटर रीडिंग की जाँच का कार्य करेंगे । अनुज्ञप्तिधारी का यह प्रयास होना चाहिये कि वर्ष में न्यूनतम 10 प्रतिशत निम्नदाब मीटरों की जाँच अधिकारियों के समूह द्वारा कराई जाए, जिसमें कनिष्ठ यंत्री से निम्न श्रेणी के अधिकारी न हों ।

9.21 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं को बिल हाथ से अथवा डाक से भेज सकता है (बिल वितरण के लिये कण्डिका – 9.11 देखें) । हाथ से प्रेषित किये जाने वाले बिलों की पावती के प्रमाण संबन्धी अभिलेख अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित कार्यालय में रखे जावेंगे । उपभोक्ता के लिखित आवेदन पर पंजीकृत डाक से बिल भेजे जावेंगे और इस प्रकार के बिल दिये जाने पर होने वाला खर्च उपभोक्ता से वसूली–योग्य होगा ।

9.22 अनुज्ञप्तिधारी, यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को बिलों का वितरण, बिल की नगद जमा करने की नियत तिथि से, कम से कम 7 (सात) दिवस पूर्व हो ।

घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा परिसर के परिवर्तन/रिक्त करने की दशा में विशेष मीटर रीडिंग

9.23 कनेक्शन के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह परिसर के परिवर्तन अथवा रिक्त होने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी को संपर्क कर, विशेष मीटर रीडिंग करवाये ।

9.24 कनेक्शन का स्वामी/उपभोगकर्ता, परिसर के रिक्त होने या उपभोगकर्ता के परिवर्तित होने की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम 7 (सात) दिवस पूर्व लिखित में विशेष मीटर वाचन हेतु आवेदन दे सकता है ।

9.25 उपभोक्ता के आवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी विशेष मीटर रीडिंग करवाने की व्यवस्था करेगा एवं बिलिंग की दिनांक तक की सभी पूर्व बकाया राशियों को सम्मिलित कर, उपभोक्ता को अन्तिम बिल प्रदाय करेगा ।

9.26 अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त सेवा के लिये आयोग द्वारा अनुमोदित विविध प्रभारों के अनुसार, युक्ति–युक्त शुल्क ले सकता है ।

विद्युत बिल की विषय–वस्तु

9.27 मीटरयुक्त कनेक्शन के बिल में निम्नलिखित विवरण होगें :–

(ए) सर्विस कनेक्शन क्रमांक

(बी) बिल क्रमांक

(सी) बिल अवधि

(डी) उपभोक्ता का नाम और पता

(ई) पोल क्रमांक, जिससे कनेक्शन दिया गया है

(एफ) वितरण केन्द्र का नाम, पता और दूरभाष क्रमांक

(जी) बिल जारी करने की तारीख

(एच) टैरिफ श्रेणी

(आई) विद्युत दर, विद्युत शुल्क एवं उपकर की लागू दरें

(जे) अनुबन्ध/संबद्ध भार/माँग

(के) एक फेज अथवा तीन फेज कनेक्शन

(एल) मीटर की पहचान का विवरण

(एम) वाचन दिनांक – पूर्व तथा वर्तमान

(एन) मीटर वाचन – पूर्व तथा वर्तमान

(ओ) आंकलित खपत

(पी) राशि जो उपभोक्ता द्वारा जमा है

(क्यू) बिल आधार

(आर) मीटर किराया

(एस) चालू माह के प्रभार – ऊर्जा प्रभार, नियत/मांग प्रभार, न्यूनतम प्रभार, वी.सी.ए. चार्ज, विद्युत शुल्क, उपकर, मीटर किराया, वेल्डिंग/ केपेसिटर अधिभार, सुरक्षा निधि किश्त, रियायत राशि, अन्य यदि कोई हो ।

(टी) बकाया विद्युत प्रभार, विलम्बित भुगतान पर अधिभार का बकाया

(यू) बिल वितरण प्रभार, यदि लागू हो

(व्ही) कुल प्रभार

(डब्ल्यू) विलम्ब भुगतान अधिभार

(एक्स) भुगतान की अंतिम तिथि ... चेक द्वारा और नगद भुगतान हेतु

(वाय) प्राधिकारी जिसके पक्ष में चेक/बैंक ड्राफ्ट जारी किए जाने हैं (बिल के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित किए जाएं)

(जेड) सुरक्षा निधि, जो जमा है एवं जो लेना है।

9.28 निम्नलिखित जानकारी भी बिल के साथ नत्थी कर अथवा बिल पर छपवाकर अथवा मुद्रांकित की जाकर उपभोक्ता को उपलब्ध कराना होगी :–

(ए) संग्रहण केन्द्रों के नाम/पते

(बी) बिलों के संग्रहण के लिए कार्यालयीन समय

(सी) प्राधिकारी का पद तथा पता, जिसको बिल, मीटर, मीटर वाचन, इत्यादि से संबंधित शिकायतें की जा सकती हैं

(डी) कोई अन्य संदेश जो कि अनुज्ञप्तिधारी देना चाहे, जैसे – अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान के बाद रखे जाने वाले बिल के भाग पर, उपभोक्ता से उसका फोन नम्बर (यदि हो तो) दर्शाने का अनुरोध करना । यह जानकारी उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संसूचना के लिए उपयोग की जा सकती है ।

9.29 बिल में अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, अंतर्विष्ट होगी, जो अनुज्ञप्तिधारी उचित समझे।

9.30 किसी भी उपभोक्ता को दूरभाष पर मार्गदर्शन तथा जानकारी देने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी प्रबंध करेगा और इस हेतु काल सेण्टर अथवा आयोग द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुरूप अन्य केन्द्रों को स्थापित करेगा । प्रथम चरण में सभी शहरी क्षेत्रों को और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों को इस प्रकार की सहूलियत प्रदान की जाय । उपभोक्ता द्वारा अपना संयोजन क्रमांक तथा पता बताये जाने पर उसे भुगतान, बकाया राशि, अधिकृत भार, अनुबंधित मांग

इत्यादि का ब्यौरा दिया जाय । आयोग द्वारा निर्देशित यथोचित समयावधि में, अनुज्ञप्तिधारी, बिल का ब्यौरा इंटरनेट पर दर्शाने की विधि बनायेगा तथा उसको कार्यान्वित करेगा और प्रारंभ में इसे संभागीय मुख्यालयों में और बाद में सभी जिला मुख्यालयों में लागू किया जायगा । इस प्रकार की जानकारी को देखने के लिये पासवर्ड प्रणाली से नियंत्रण रखा जायेगा ।

अध्याय — 10: भुगतान एवं विच्छेदन

भुगतान :

10.1 उपभोक्ताओं से अपेक्षा है कि वे उपभोग की जाने वाली ऊर्जा के प्रभारों का प्रत्येक माह में भुगतान करें ।

10.2 अनुज्ञप्तिधारी, संग्रहण केन्द्रों के पते/स्थान तथा उनके कार्यकारी घण्टे, जिसमें उन बैंको को भी सम्मिलित किया जाय जहाँ उपभोक्ता भुगतान कर सकता है, का पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी भुगतान के अधिकतम वैकल्पिक तरीके, जैसे नकद, स्थानीय चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, इलेक्ट्रानिक निकासी पद्धति (ई.सी.एस.) एवं क्रेडिट/डेबिट–कार्ड आदि उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा । उपभोक्ताओं को रू. 100/– (सौ रूपये) से अधिक की राशि का भुगतान चेक से करने की अनुमति होगी ।

10.3 ऐसे दिवसों में, जब संग्रहण केन्द्रों पर अधिक भीड़ हो तो अनुज्ञप्तिधारी वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा विकलांगों के लिये अलग से कतार लगाकर भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा तथा इन्हें प्राथमिकता दी जावेगी ।

10.4 संग्रहण केन्द्रों पर एक से अधिक उपभोक्ताओं के बिल भुगतान करने के इच्छुक उपभोक्ता/उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों से भुगतान प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। इस सुविधा हेतु अलग खिड़की रखी जायेगी जिससे अन्य उपभोक्ताओं का प्रतीक्षा समय न बढ़े ।

10.5 संग्रहण केन्द्रों का कार्यभार कम करने के लिये, रू. 5,000/– (पांच हजार) से ज्यादा की राशि के सभी बिलों का भुगतान, संबन्धित बैंक की स्थानीय शाखा में देय चेक/बैंकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट से करना होगा ।

10.6 अनुज्ञप्तिधारी, ड्राप बाक्स के माध्यम से भुगतान लेने का प्रबंध करेगा, जिसमें उपभोक्ता केवल आदाता खाता के रेखांकित चेक डाल सकेगा । बिल भुगतान हेतु कतार में खड़े होने से बचने के लिये अनुज्ञप्तिधारी, संग्रहण केन्द्रों एवं समय–समय पर अधिसूचित स्थानों पर, ड्राप बाक्स रखेगा । चेक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल / अनुज्ञप्तिधारी के नाम पर लिखा जाना चाहिये। चेक के पीछे सर्विस कनेक्शन क्रमांक, बिल माह, उपभोक्ता का नाम तथा पते के साथ दूरभाष क्रमांक, यदि कोई हो, स्पष्ट शब्दों में लिखा जावे । यदि बैंक द्वारा कोई शोधन प्रभार वसूल किया जाता है तो वह राशि उपभोक्ता से पश्चात्‌वर्ती बिलों में वसूल योग्य होगी ।

10.7 समस्त उपभोक्ताओं के लिये भुगतान की अंतिम तारीख, बिल जारी किये जाने की तारीख से सामान्यतः 15 (पन्द्रह) दिनों तक की होगी । यदि बिल में वर्णित भुगतान की अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश हो तो अगला कार्यदिवस अंतिम तिथि माना जाएगा ।

10.8 चेक अस्वीकृत होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता की सुरक्षा राशि बढ़ाने का अधिकार होगा । चेक के अस्वीकृत होने का शोधन भार लेना और विधि सम्मत अन्य कार्यवाही करने की पहल करने के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी को भविष्य में डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद भुगतान देने का आग्रह करने का अधिकार होगा ।

10.9 बिल प्राप्त होने की निर्धारित तिथि (जैसा कि कण्डिका – 9.11 (बी) में दर्शाया गया है) तक बिल प्राप्त न होने की दशा में उपभोक्ता बिल जारी करने वाले कार्यालय से संपर्क कर बिल की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है और भुगतान करने की व्यवस्था कर सकता है । यदि अनुज्ञप्तिधारी, द्वितीयक बिल प्रदाय करने की स्थिति में नहीं है तो उपभोक्ता पूर्व बिलों की औसत रकम के आधार पर भुगतान करेगा । अनुज्ञप्तिधारी, बिल प्राप्त न होने के कारणों की जांच कर उचित कार्यवाही कर सुनिश्चित करेगा कि तदुपरान्त उपभोक्ता को बिल निर्धारित समयावधि में प्राप्त हों।

10.10 भुगतान प्राप्त होने के टोकन स्वरूप एक रसीद प्रत्येक उपभोक्ता को जारी की जाएगी ।

10.11 उपभोक्ता, आगामी बिलों के भुगतान के लिए अग्रिम के रूप में रकम भी जमा कर सकता है, जो उत्तरवर्ती माहों के बिलों में समायोजित की जाएगी । तथापि, अग्रिम भुगतान में से नियमित बिलों की राशि का ही समायोजन किया जावेगा । किन्हीं अन्य प्रभारों की राशि का समायोजन करने से पूर्व उपभोक्ता की सहमति प्राप्त की जावेगी । अनुज्ञप्तिधारी, अग्रिम भुगतान के प्रकरणों में उचित रियायत देने पर विचार करेगा ।

10.12 बिल की गई रकम के भुगतान में चूक करने वाले समस्त उपभोक्ता, आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित दर पर, बकाया राशि पर, विलम्ब भुगतान अधिभार का भुगतान करने को बाध्य होंगे ।
अंतिम तिथि के बाद भुगतान स्वीकार करते समय भुगतान योग्य अधिभार की गणना की जायगी और सामान्य बिल राशि के साथ इस अतिरिक्त राशि का भुगतान लिया जायगा।

10.13 उपभोक्ता द्वारा दिये समस्त भुगतान, प्राथमिकता के निम्नांकित क्रम में समायोजित होंगे:–

(ए) वर्तमान माह के उपभोग पर विद्युत शुल्क और उपकर

(बी) विद्युत शुल्क का बकाया और उपकर का बकाया

(डी) विलम्ब भुगतान अधिभार

(ई) बकाया का शेष, यदि कोई हो.

(एफ) वर्तमान बिल की राशि।

10.14 **किश्तों में भुगतान की सुविधाएं:**

अनुज्ञप्तिधारी, देय राशि की वसूली के प्रयोजन के लिए, आयोग के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, किश्त सुविधा प्रदान करने के लिए एक नीति अधिकथित करेगा । इस नीति में किश्त सुविधा स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को पदांकित किया जायेगा ।

10.15 **विवादित/गलत बिल :**

(ए) बिल रकम के संबंध में किसी आपत्ति की दशा में उपभोक्ता, विद्युत बिल में दर्शाये गये पदांकित अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकेगा । उसका विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं किया जायेगा, यदि ऐसा व्यक्ति असहमति के अधीन निम्नलिखित राशि का भुगतान करता है:–

(i) उससे मांगी गई राशि के बराबर राशि, अथवा

(ii) उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये गये पूर्व के 6 माह के औसत प्रभार के आधार पर गणना किये गये प्रत्येक माह के विद्युत प्रभार की राशि ।

अनुज्ञप्तिधारी एवं उपरोक्त के बीच विचाराधीन विवाद के निपटारे तक, इनमें से जो भी कम हो।

(बी) अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में उपलब्ध शिकायत के प्ररूप में पदाभिहित अधिकारी के पास शिकायत दर्ज की जाएगी । कार्यालय में ऐसे प्ररूप के उपलब्ध न होने की दशा में निम्नलिखित विवरण के साथ एक सादे कागज पर शिकायत दी जा सकेगी:–

(i) उपभोक्ता के नाम और पते के साथ टेलीफोन नम्बर, यदि कोई हो,

(ii) सर्विस कनेक्शन क्रमांक

(iii) कनेक्शन की श्रेणी

(iv) संक्षिप्त में शिकायत

प्राधिकृत अधिकारी विवाद को लिखित शिकायत की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 7 (सात) दिनों की कालावधि के भीतर निपटायेगा और यदि कोई कमी हो तो कारण बताते हुए संभाग के प्रभारी अधिकारी को प्रतिवेदन भेजेगा।

(सी) शिकायत की जाँच करने पर यदि बिल त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को पुनरीक्षित अंतिम तारीख दर्शाते हुए, जो कि पुनरीक्षित बिल जारी करने के 7 (सात) दिवसों से कम नहीं हो, सही किया पुनरीक्षित बिल देगा । उपभोक्ता द्वारा संदत्त अधिक राशि, यदि कोई हो, का समायोजन पश्चात्वर्ती बिलों में किया जाएगा ।

(डी) यदि यह साबित हो जाता है कि अभिलिखित मीटर रीडिंग सही नहीं थी तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर, अनुज्ञप्तिधारी, दोषी कर्मचारी के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है ।

(ई) यह साबित हो जाने की दशा में कि मूल बिल सही था, तब उपभोक्ता को अतिशेष, यदि कोई हो, का भुगतान अनुज्ञेय विलंब प्रभार के साथ 7 (सात) दिवस के भीतर करने हेतु तद्नुसार अधिसूचित किया जाएगा ।

(एफ) विवाद पर दिये गये निर्णय से उपभोक्ता को असंतोष होने की दशा में वह शिकायत निवारण प्रक्रिया में दर्शाये अनुसार आगे कार्यवाही कर सकता है ।

10.16 उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में विधि–मान्य उत्तराधिकारी, ऐसे उपभोक्ता पर बकाया राशि का भुगतान करने को बाध्यकारी होगा । संयोजन को तीन माह में अपने नाम पर परिवर्तित कराने हेतु विधि–मान्य उत्तराधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिये।

विच्छेदन :

10.17 यह अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि युक्तियुक्त अवधि, जो कि अधिकतम 3(तीन) माह होगी, में उपभोक्ता द्वारा भुगतान में चूक किये जाने की दशा में उसके कनेक्शन को अस्थायी विच्छेदन के बिना न रहने दें। अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी का दायित्व होगा कि वह भुगतान में चूक करने वाले सभी प्रकरणों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करे तथा अस्थायी या स्थायी रूप से विच्छेदन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्परता से कार्यवाही प्रारम्भ करे ।

10.18 यदि कोई उपभोक्ता, प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बिना, नियत तिथि तक किसी बिल का पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है तो उपभोक्ता का सर्विस कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित किया जा सकता है । उपभोक्ता के सर्विस कनेक्शन का विच्छेद करने से पूर्व

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्ट 15 (पंद्रह) दिवस का लिखित नोटिस दिया जाएगा। घरेलू कनेक्शन को विच्छेद करने के पूर्व यह प्रयास किया जाना चाहिये कि परिवार के बालिग सदस्य को सूचित किया जाए । यदि विच्छेद किये जाने के कारण को हटाने के प्रमाण से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विच्छेदन के प्रयोजन के लिए तैनात कर्मचारी को संतुष्ट कर दिया जाता है तो आपूर्ति का विच्छेद नहीं किया जायेगा । इस संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 में दिए प्रावधानों का अनुज्ञप्तिधारी कड़ाई से पालन करेगा ।

10.19 किसी उपभोक्ता से देय राशि, जब यह पहली बार जिस तिथि से देय हुई उससे दो वर्ष के बाद, वसूली–योग्य नहीं होगी और अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं करेगा जब तक कि ऐसी राशि, प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों की बकाया राशि के रूप में, लगातार वसूली योग्य दर्शाई न जाती रही हो ।

10.20 अस्थाई विच्छेदन के पश्चात्, आपूर्ति तभी शुरू की जाएगी, जब उपभोक्ता बकाया प्रभार/देय/किश्त की रकम, कनेक्शन काटने – जोड़ने के प्रभारों सहित भुगतान कर देता है।

10.21 यदि उपभोक्ता अपना कनेक्शन अस्थाई रूप से छः माह हेतु कटवाना चाहता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में लिखित आवेदन देना होगा । संयोजन के अस्थाई विच्छेदन की अवधि के लिये उपभोक्ता ऐसे सभी मासिक नियत प्रकार के प्रभारों जैसे – मांग प्रभार, न्यूनतम दर प्रभार, मीटर किराया इत्यादि का अग्रिम भुगतान करने को बाध्यकारी होगा । अस्थाई विच्छेदन की सुविधा को प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता, विच्छेदन –संयोजन प्रभार का भुगतान करने को भी बाध्य होगा । निवेदन पर अस्थाई विच्छेदन की अवधि, उपभोक्ता से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर एवं आवश्यक प्रभारों का अग्रिम भुगतान करने पर, बढ़ाई जा सकती है ।

अध्याय – 11: विद्युत प्रदाय का प्रतिकूल उपयोग

11.1 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत के विपथन, चोरी अथवा विद्युत के अनाधिकृत उपयोग या विद्युत संयन्त्रों, विद्युत लाइनों, उपकरणों अथवा मीटरों से छेड़–छाड़, उन्हें खतरे में डालने या क्षति पहुँचाने से रोकने हेतु सभी आवश्यक उपाय करेगा।

11.2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को की गई विद्युत प्रदाय का वह ऐसी रीति में उपयोग नहीं करेगा जो अनुज्ञप्तिधारी के हित के प्रतिकूल हो।

अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही

11.3 अधिनियम की धारा 126 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा किये जाने वाले निम्न लिखित कृत्य विद्युत का अनाधिकृत उपयोग माने गये हैं:

(i) कृत्रिम साधनों से विद्युत का उपयोग; या

(ii) ऐसे साधनों द्वारा विद्युत का उपयोग, जो सम्बन्धित व्यक्ति या प्राधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत नहीं किये गये;या

(iii) बिगाड़े गये मीटर से विद्युत का उपयोग; या

(iv) जिस प्रयोजन के लिये विद्युत का उपयोग प्राधिकृत किया गया हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु विद्युत का उपयोग।

11.4 उपभोक्ता द्वारा किये गये निम्न कृत्य भी विद्युत के प्रतिकूल उपयोग माने जावेंगे और अधिनियम की धारा 126 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उन पर कार्यवाही की जावेगी:

(i) जिस समयावधि में एकल फेज़ पर विद्युत प्रदाय किया जा रहा हो उस समय फेज़ बदलने वाले उपकरण का प्रयोग कर तीन–फेज़ मीटर/यन्त्रों का चलाया जाना;

(ii) अनुबन्ध के अनुसार स्वीकृत संयोजित भार या संविदा भार में वृद्धि;

(iii) अनुबन्ध में अनुज्ञापित प्रदाय क्षेत्र के बाहर विद्युत प्रदाय का विस्तार किया जाना;

(iv) मीटर का स्थान बदलना या स्थापना में अनाधिकृत परिवर्तन;

(v) न्यूट्रल का विच्छेदन; या

(vi) विद्युत प्रदाय के मापन हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये गये मीटर या इससे जुड़े यन्त्रों की आकस्मिक क्षति।

11.5 जब कोई उपभोक्ता विद्युत का दुरूपयोग करते हुए पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी, अपने अन्य अधिकारों पर बिना प्रभाव डाले, उपभोक्ता की विद्युत प्रदाय का विच्छेद कर सकेगा और मीटर, विद्युत लाइन, विद्युत यन्त्र तथा अन्य उपकरण हटा सकेगा।

11.6 (ए) यदि किसी स्थान या परिसर का निरीक्षण करने पर, अनुज्ञप्तिधारी, इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसा व्यक्ति विद्युत का अनाधिकृत उपयोग करने में लिप्त है तो अनुज्ञप्तिधारी का बिल निर्धारण करने वाला अधिकारी (एसेसिंग ऑफीसर) अपने पूर्ण विवेक से, अधिनियम की धारा 126 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार, ऐसे व्यक्ति या इस प्रकार के उपयोग से लाभान्वित कोई अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य विद्युत प्रभारों का अन्तिम निर्धारण करेगा।

(बी) अनन्तिम निर्धारण आदेश को उस स्थान या परिसर के प्रभारी या कब्जा रखने वाले या अधिपत्य रखने वाले व्यक्ति को पंजीकृत डाक अथवा हाथ में देकर तामील कराया जायेगा और पावती को संभाल कर रखा जायगा।

परंतु यदि अनन्तिम निर्धारित रकम, अनन्तिम बिल के तामील होने के सात दिवस के भीतर जमा करा दी जाती है तो ऐसा व्यक्ति किसी अतिरिक्त दायित्व अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही, जो कुछ भी हो, के अध्याधीन नहीं होगा।

(सी) निर्धारण करने वाला अधिकारी, विद्युत के अनाधिकृत उपयोग हेतु बिल यह मान कर बनायेगा कि घरेलू और कृषि कनेक्शनों के प्रकरण में, निरीक्षण के दिनांक से तत्काल तीन माह पहले तक, विद्युत का ऐसा अनाधिकृत उपयोग जारी रहा हो। इसी प्रकार अन्य सभी श्रेणियों के कनेक्शनों में यह मान कर बिल बनाया जायगा कि विद्युत का ऐसा अनाधिकृत उपयोग निरीक्षण के दिनांक से तत्काल छः माह पहले तक जारी रहा हो जब तक कि अनाधिकृत उपयोग के दोषी व्यक्ति द्वारा इसके प्रतिकूल प्रमाण प्रस्तुत न किया जाय। संबद्ध श्रेणी के लिये लागू टैरिफ की डेढ़ गुना के बराबर दर पर अनन्तिम बिल का निर्धारण किया जायगा।

(डी) असंतुष्ट व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह निर्धारण करने वाले अधिकारी (एसेसिंग ऑफिसर) को आपत्ति दर्ज करा सकेगा। ऐसे व्यक्ति को सुनवाई के लिये पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात्, निर्धारण करने वाला अधिकारी, विद्युत के प्रभारों का भुगतान योग्य अन्तिम आदेश पारित करेगा।

(ई) अन्तिम आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति, अंतिम आदेश से 30 दिवस के भीतर, अधिनियम की धारा 126 के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी

को अपील कर सकता है जबकि उसने निर्धारित राशि की एक तिहाई राशि अनुज्ञप्तिधारी को जमा कर दी हो।

विद्युत चोरी

11.7 अधिनियम की धारा 135 में विद्युत की चोरी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:
जो कोई भी, बेईमानी से:—

(ए) शिरोपरि, भूमिगत या पानी की लाइनों के नीचे या केबल या सर्विस तारों या अनुज्ञप्तिधारी की सर्विस सुविधाओं को टैप (Tap) करता हैं या कोई कनेक्शन करता या कराता है; या

(बी) मीटर से छेड़—छाड़ करता है, बिगाड़े हुए मीटर को स्थापित करता है या उपयोग करता है, विद्युत प्रवाह उलटने वाला ट्रांसफार्मर, लूप कनेक्शन या कोई अन्य उपाय या तरीका जिससे उचित और पूर्ण मापन, अंकन या विद्युत प्रवाह के मापन में बाधा उत्पन्न हो या अन्यथा जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत की चोरी या क्षति हो; या

(सी) विद्युत मीटर, उपकरण, यंत्र या तार को क्षति पहुँचाता है या नष्ट करता है या इनमें से किसी को ऐसी क्षति पहुँचाने या नष्ट करने देता है जिससे कि विद्युत के उचित और पूर्ण मापन में बाधा पहुँचे।
इस प्रकार से विद्युत का लेना या उपयोग या प्रयोग करना अधिनियम की धारा 135 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दण्डनीय होगा।

अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही

11.8 (ए) विद्युत की चोरी का उपराध का पता लगने पर, अनुज्ञप्तिधारी का अधिकृत अधिकारी मौके की उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए एक विस्तृत पंचनामा बनायेगा जिसमें यह तथ्य आये कि अधिनियम 135 के अनुरूप अपराध हुआ है।

(बी) पंचनामा बनाने के बाद, इस प्रकार के अनाधिकृत कृत्य में लिप्त व्यक्ति की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित की जायगी और मीटर, विद्युत लाइन, विद्युत यन्त्र तथा अन्य उपकरण को हटाया जायगा और अपराध किया जाना सिद्ध करने के साक्ष्य तथा समान को सुरक्षित रखा जायगा।

(सी) नियमित कनेक्शन के प्रकरण में, अपराध के पता लगने की दिनांक से लगभग दो वर्ष पूर्व के विद्युत उपयोग के अभिलेख की समीक्षा बिल का निर्धारण करने वाले अधिकारी (एसेसिंग ऑफिसर) द्वारा की जायगी।

(डी) इलेक्ट्रानिक मीटर लगा होने की दशा में, इसके आँकड़ों का विश्लेषण कर, अपराध चलते रहने की समयावधि का यथोचित निष्कर्ष निकल सकता है। विद्युत उपभोग का तरीका, पूर्व में किये गये निरीक्षण और परीक्षण जैसे तथ्यों को भी ध्यान में रखा जायगा।

(ई) यदि किन्हीं कारणों से अपराध की समयावधि का सही निर्धारिण नहीं हो पाता तो एक वर्ष या कनेक्शन दिये जाने की दिनांक से अवधि, इनमें से जो कम हो, को उस विद्युत की मांत्रा, जिसे मापा नहीं जा सका, का निर्धारण करने हेतु लिया जायगा।

(एफ) अनुज्ञप्तिधारी का अधिकृत अधिकारी, संबन्धित श्रेणी के लागू टैरिफ के ढाई गुना के बराबर की दर पर, विद्युत चोरी का पता लगने से पहले के 12 माह या यथार्थ विद्युत चोरी की समयावधि, इनमें से जो भी कम हो, हेतु बिल बनायेगा जब तक कि विद्युत

चोरी के दोषी व्यक्ति द्वारा इसके विपरीत सबूत प्रस्तुत न किया जाय। यह ढ़ाई गुना दर नियत/माँग प्रभार और ऊर्जा प्रभार, दोनों पर लगेगी।

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी से नियमित कनेक्शन प्राप्त किये हुआ व्यक्ति यदि प्रावधिक निर्धारित राशि का भुगतान कर देता है तो विद्युत चोरी के कारण को हटा कर 48 घण्टों में विद्युत आपूर्ति चालू की जायगी।

अनुज्ञप्तिधारी, आपूर्ति बहाल करने से पहले, उसी परिसर में दोबारा से विद्युत चोरी न होने के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा।

(जी) बिल बनाने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी उसे पंजीकृत डाक से अथवा हाथ में दिये जाने का प्रबन्ध करेगा और पावती संभाल कर रखेगा

(एच) असंतुष्ट व्यक्ति, अनुज्ञप्तिधारी के नामांकित अधिकारी को प्रतिवेदन, यदि कोई हो, दे सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी का अधिकारी, ऐसे व्यक्ति की समुचित सुनवाई करके, प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर देय विद्युत प्रभारों का निर्धारण कर अंतिम आदेश पारित करेगा।

नामांकित अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टि में प्रावधिक बिल की समीक्षा के उचित कारण पाये जाने की दशा में, वह, सुनवाई प्रारम्भ करने के पहले, व्यक्ति को बिल की एक तिहाई राशि जमा करने की अनुमति दे सकता है। ऐसी राशि के जमा होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, अंतिम निर्धारण के विचाराधीन रहते हुए, विद्युत आपूर्ति को चालू कर सकेगा।

(आई) यदि अंतिम निर्धारण आदेश के अनुसार, व्यक्ति, शेष राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी, विच्छेदन की सूचना देकर विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने को स्वतंत्र होगा।

(जे) इस प्रकार के निर्धारित किये गये बिल का भुगतान का अर्थ यह नहीं होगा कि विद्युत चोरी में लिप्त व्यक्ति के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जायगा।

11.9 अधिनियम की धारा 135 के अधीन अपराधी के विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा दाण्डिक कार्यवाही किये जाने या अन्य प्रचलित विधि के अनुसार किसी व्यक्ति पर बकाया राशि की वसूली और अनुज्ञप्तिधारी की आस्तियों और हितों की रक्षा करने में उपरोक्त सभी प्रावधान, अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारों के प्रतिकूल नहीं होंगे।

अध्याय – 12: विविध मामले

आकस्मिक विशेष परिस्थितियाँ

12.1 यदि विद्युत आपूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, सैनिक विद्रोह, सिविल विद्रोह, दंगे, आतंकवादी कार्यवाही, बाढ़, आग लगने, हड़ताल (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणित होने पर), तालाबंदी (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणित होने पर), तूफान, अन्धड, बिजली गिरने, भूकंप या दैवीय प्रकोप के कारण असफल होती है तो उससे होने वाले नुकसान, टूट–फूट अथवा मुआवजे के लिए, अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता उत्तरदायी नहीं होगा ।

12.2 अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य हुए अनुबंध के कार्यकाल के दौरान यदि उपभोक्ता के संयत्र अथवा परिसर में कंडिका 12.1 में दर्शाई विशेष आकस्मिक परिस्थितियों के कारण संयत्र

अथवा परिसर में कोई आंशिक अथवा पूर्ण नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को 07 दिवस की सूचना देकर विद्युत प्रदाय में आवश्यक और साध्य कमी कर सकता है । ऐसे सभी प्रकरणों में जहां उपभोक्ता आकस्मिक रूप से आई परिस्थितियों के अंतर्गत किसी प्रकार की छूट की मांग करता है तो अनुज्ञप्तिधारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उसकी जांच की जाएगी। इस प्रकार की सुविधा, जिसमें उपभोक्ता को अनुबंधित मात्रा से कम मात्रा में विद्युत आपूर्ति दी जानी है, की अवधि न्यूनतम 60 (सांठ) दिवस और अधिकतम 6 (छः) माह होगी । उपर्युक्त अवधि को उपभोक्ता के प्रारंभिक अनुबंध काल में जोड़ा नहीं जाएगा बल्कि अनुबंध को, कम मात्रा की कालावधि के बराबर अवधि के लिए, आगे बढ़ा दिया जायेगा।

12.3 उस मामले में जहाँ कि अनुज्ञप्तिधारी, किसी उपभोक्ता को, जो अन्यथा बकायेदार न हो अथवा जिसका विद्युत संयोजन विच्छेदित या असंयोजित हो, एक कैलेण्डर माह में दस दिनों (जिसमें प्रत्येक दिन 00 घंटे से 24.00 घंटे तक विद्युत प्रदाय बंद हो) या अधिक के लिये विद्युत प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता से निम्नलिखित रीति से प्रभार प्राप्त करेगा:—

(ए) ऊर्जा प्रभार मीटर में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर होगा ।

(बी) अन्य प्रभारों (विद्युत शुल्क और उपकर सेस को छोड़कर) की गणना, जितने दिन तक बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता को की गई है, उसके अनुपातिक आधार पर की जावेगी।

यह सुविधा केवल उन उपभोक्ताओं को दी जाएगी जिनके कनेक्शन मीटरयुक्त हैं ।

विद्युत संयत्र, लाइन अथवा मीटर से छेड़—छाड़, क्षति पहुँचाना या खराब करना

12.4 उपभोक्ता के परिसर में लगाये गये विद्युत संयत्र, लाइन या मीटर या अन्य किसी उपकरण को छेड़ा जाता है, क्षति पहुँचाई जाती है या खराब पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे प्लाण्ट, लाईन, मीटर, या उपकरण को सुधार कर चालू करने या बदलकर चालू करने में आई लागत की वसूली उपभोक्ता से करने का अधिकारी होगा। तथापि, इससे अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम के प्रावधानों के तहत् प्रदत्त अन्य अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, जिसमें सुधार कार्य एवं उपकरण बदलने की लागत को उपभोक्ता द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में विद्युत प्रदाय के विच्छेदन का अधिकार, विद्युत चोरी की दशा में कार्यवाही तथा अनधिकृत उपयोग पाये जाने की दशा में किये जाने वाले आंकलन का अधिकार भी सम्मिलित है ।

फ्रेंचायज़ी का प्राधिकृत करना

12.5 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने विद्युत प्रदाय के क्षेत्र के किसी भाग में, अनुज्ञप्तिधारी की ओर से विद्युत वितरण के कार्य के लिए, किसी फ्रेंचायज़ी को, अधिनियम के प्रावधानों के तहत्, अधिकृत किया जा सकता है ।

अन्य संहिताएं और विनियमन

12.6 उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करना होगा कि नये भवन, ढांचे, तथा अतिरिक्त निर्माण कार्य, संपरिवर्तन और अन्य निर्माण परियोजनाओं की, अनुज्ञप्तिधारी की मौजूदा विद्युत आपूर्ति लाइनों से न्यूनतम दूरी बनायी रखी जाय । इन न्यूनतम दूरियों के मानदण्ड भारतीय विद्युत नियम, 1956 और आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने वाली वितरण संहिता तथा सुरक्षा संहिता में दर्शाये अनुसार होंगे।

नोटिस की तामील

12.7 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को संबोधित कोई पत्र, आदेश अथवा दस्तावेज, दिया हुआ मान लिया जायेगा यदि इसे लिखित में भेजा जाता है और व्यक्तिगत् रूप से सौंपा जाता है अथवा डाक/कोरियर द्वारा उस पते पर भेजा जाता है जो कि उपभोक्ता ने विद्युत आपूर्ति मांगते समय आवेदन पत्र या अनुबंध (यदि किया हो) में दर्शाया हो या उपभोक्ता द्वारा बाद में सूचित किया गया हो । यदि परिसर में ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है जिसे युक्ति–युक्त तरीके से उपरोक्त पत्र दिया ज़ा सके तब इसे उपभोक्ता के परिसर में सुगमता से दृष्टव्य भाग पर चिपका कर मान लिया जायेगा कि यह पत्र उपभोक्ता को प्राप्त हो गया है।

12.8 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत भार विनियमन, नये टैरिफ अथवा बिल भुगतान की तिथि में परिवर्तन जैसी सामान्य सूचना, आदि को बहुप्रसारित स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित् करेगा।

12.9 अनुज्ञप्तिधारी को भेजे जाने वाले पत्रों को निम्नांकित पतों पर प्रेषित किया जावे :–

(ए) उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारी कंपनी के सचिव को उसके कार्पोरेट कार्यालय में अथवा इस हेतु अधिकृत और पदांकित कोई अन्य अधिकारी ।

(बी) निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारी का कार्यपालन अभियंता अथवा समकक्ष अधिकारी अथवा उसका प्राधिकृत व्यक्ति।

अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां

12.10 विद्युत प्रदाय संहिता में निहित् प्रावधानों के अलावा अप्रत्याशित् रूप से यदि कोई स्थिति निर्मित होती है तब अनुज्ञप्तिधारी को तुरंत प्रभावित् होने वाले व्यक्तियों से सद्भावना पूर्वक व्यवहारिक आधार पर सलाह–मशविरा कर सहमति पर पहुंचना होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी और प्रभावित होने वाले पक्षों के मध्य उपलब्ध समय–सीमा में सहमति नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी अपनी सामर्थ्य अनुसार युक्ति–युक्त निर्णय लेगा ।

12.11 जहां कहीं अनुज्ञप्तिधारी किसी निर्णय पर पहुंचता है तब उसे ध्यान रखना होगा कि प्रभावित् होने वाले पक्षों द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण पर यथासंभव ध्यान दिया गया है और किसी भी हालत में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त पूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पक्ष को अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय पर दिये गये सभी निर्देशों को मान्य करना होगा, बशर्ते ये निर्देश प्रचलित संहिता और विनियमों के अनुरूप हो । अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न हुई परिस्थितियां एवम् इस बाबत् लिये गये सभी निर्णय को अनुज्ञप्तिधारी, तुरंत आयोग को भेजेगा ।

व्याख्या

12.12 इस संहिता में निहित शर्तों को, वर्तमान में प्रचलित एवं समय–समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 तथा इनके लिये बनाये गये नियमों तथा विद्युत आपूर्ति से संबन्धित तत्समय में प्रचलित अन्य किसी विधि के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से पढ़ा एवं समझा जावेगा। इस संहिता में निहित कोई शर्त अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता को, केन्द्र या राज्य के किसी अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत्, दिये गये अधिकारों को कम या प्रभावित नहीं करेगी।

12.13 इस संहिता की व्याख्या में या अर्थ या विस्तार के संबन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, आयोग की व्याख्या अंतिम होगी एवं सभी संबंधितों के लिये बाध्य होगी ।

12.14 छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस संहिता के प्रकाशन की दिनांक से, इसके पूर्व में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा जारी "विद्युत ऊर्जा प्रदाय की सामान्य शर्तें एवं विविध व सामान्य प्रभारों के माप" का प्रचलन समाप्त हो जायगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

12.15 इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई के उत्पन्न होने पर मामला आयोग को संदर्भित किया जा सकता है, जो प्रभावित पक्षों से जहाँ आवश्यक समझा जाय, विचार–विमर्श करके कठिनाई दूर करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन, सामान्य अथवा विशेष आदेश पारित करेगा, और यह आदेश अधिनियम या तत्समय में प्रचलित विद्युत प्रदाय से संबंधित अन्य किसी विधि के प्रावधानों के विरोधाभासी नहीं होगा ।

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

12.16 इस संहिता के क्रियान्वयन और तद्नुसार निष्पादित किये अनुबंध से उत्पन्न सभी विवादों को केवल उस न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके क्षेत्रांतर्गत अनुबंध निष्पादित किया गया है ।

व्यावृत्ति :

12.17 इस संहिता की कोई भी बात, आयोग को ऐसे किसी भी आदेश को पारित करने हेतु प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हों ।

12.18 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख, आयोग को, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इस संहिता के किन्हीं भी प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

12.19 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख, स्पष्टतया या परोक्ष रूप से, आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गयी हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है ।

टीपः– इस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
अजय श्रीवास्तव, उप–सचिव.

परिशिष्ट

अनुज्ञप्तिधारी संलग्न परिशिष्टों में दिये प्रपत्रों को परिवर्तित करने के लिये अधिकृत होगा ताकि इस संहिता में निहित प्रावधानों के फलस्वरूप उत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके एवं ये प्रपत्र विद्यमान अधिनियम, नियम, विनियमन तथा इस संहिता के प्रावधानों के अनुरूप ही हों।

परिशिष्ट–1

निम्न दाब कनेक्शन हेतु आवेदन–पत्र

नवीन कनेक्शन / परिसर का परिवर्तन / संविदा मांग में परिवर्तन / टेरिफ श्रेणी में परिवर्तन / उपभोक्ता का नाम परिवर्तन

(कृपया जो लागू न हो, उसे काट दें)

प्रति,

____
____
____
____

महोदय,

मैं/हम अपने परिसर में बिजली प्रदाय हेतु निवेदन करता हूँ/करते हैं । इसके लिए वांछित जानकारी निम्नानुसार है:

1. आवेदक

(अ) व्यक्ति का नाम / संगठन का नाम:________________

(ब) पिता/पति/संचालक/भागीदार/ट्रस्टी का नाम:________________

(स) श्रेणी: सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ावर्ग/अन्य

(जो लागू न हो उसे काट दें तथा जो लागू हो उसे टिक करें)

(द) परिसर का पता जहां नवीन कनेक्शन के लिए आवेदन दिया जा रहा है या विद्यमान कनेक्शन को स्थानांतरित करना प्रस्तावित है ।

परिसर क्रमांक: ________________
गली : ________________
क्षेत्र/कालोनी: ________________
नगर : ________________
जिला: ________________
पिन कोड: ________________
दूरभाष क्रमांक: ________________
ई–मेल: ________________
बैंक लेखा क्रमांक (ऐच्छिक)________________

2. समीपस्थ विद्युत खम्भे का क्रमांक जहां से कनेक्शन लिया जाना संभावित है :____

3. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/प्लाट का क्षेत्रफल :________________(वर्ग फुट)

4. विद्युत आपूर्ति की श्रेणी(श्रेणियों की सूची संलग्न है) ________________

5. विद्युत आपूर्ति का उद्देश्य(उप श्रेणियों की सूची संलग्न है) ________________

6. विद्युत आपूर्ति का प्रकार : स्थाई/अस्थाई
(जो लागू हो उसे टिक करें और जो लागू न हो उसे काटें)
यदि अस्थाई है तो अवधि लिखें :–दिनांक ——— से ——— तक

7. प्रस्तावित संयोजित भार

(अ) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए————वॉट

(कृपया संयोजित भार की गणना के लिए प्रपत्र संलग्न करें)

(ब) अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता (घरेलू को छोड़कर) निम्न सारणी में विवरण भरें *(यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षर करके सूची अलग से दी जावे)*

उपकरण	विद्युत भार प्रति उपकरण(वॉट में)	संख्या	कुल विद्युत भार (वॉट में)

8. समीपस्थ वितरण मेन से प्रस्तावित विद्युत आपूर्ति के बिन्दु की दूरी ——— मीटर
(उपभोक्ता द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना केवल मार्गदर्शन हेतु होगी । साध्यता जाँच के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण मेन का बिंदु निर्धारित किया जावेगा एवं सर्विस केबिल या सर्विस लाईन का मार्ग निर्धारित किया जावेगा ।)

9. क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञप्तिधारी के कार्य क्षेत्र में किसी भी कनेक्शन पर कोई विद्युत बकाया राशि शेष है । हाँ/नहीं

10. जिस परिसर के लिए आवेदन किया गया है क्या वहां विद्युत बकाया राशि शेष है । हाँ/नही

11. क्या आवेदक ऐसे किसी प्रतिष्ठान का मालिक, भागीदार, संचालक अथवा प्रबंध संचालक है, जहाँ विद्युत बकाया राशि शेष है हाँ/नहीं।

(10,11,12 जहां लागू हैं वहां टिक करें, जहां लागू नहीं है वहां काटें । यदि जानकारी हाँ में है तो विवरण संलग्न करें)

12. मैं / हम यहां घोषणा करता हूँ/करते हैं कि
(अ) इस आवेदन में प्रस्तुत विवरण मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सही है।
(ब) मैंने/हमने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता को पढ़ा है तथा उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों से सहमत हूँ/हैं ।
(स) मैं / हम प्रत्येक माह लागू विद्युत के देयक का भुगतान, विद्युत टेरिफ और अन्य प्रभारों के अनुसार, नियत समय पर करूँगा/करेगें।
(द) मैं/हम विद्युत की आंतरिक स्थापना एवं मीटर, कट–आऊट आदि की प्रतिभूति एवं सुरक्षा की ज़वाबदारी लेता हूँ/लेते हैं ।

दिनांकः–
स्थानः–

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नामः————————
सील/पदनाम(यदि हो तो) ————

टीपः— आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें ।

1. परिसर के विधिक आधिपत्य में होने का विधि—सम्मत दस्तावेज जिसके साथ परिसर/भूमि का नक्शा, जो कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, तथा इस पर विद्युत आपूर्ति के प्रस्तावित बिन्दु की जानकारी दी जावे । सड़क बत्ती के प्रकरण में सड़क बत्ती के खम्बों की विद्यमान/प्रस्तावित स्थिति नक्शे पर दर्शानी होगी ।

2. यदि वैधानिक रूप से आवश्यक हो तो स्थानीय प्राधिकारी का अनुमोदन/ अनुमति पत्र संलग्न करें ।

3. भागीदारी प्रतिष्ठान के मामले में पार्टनरशिप डीड संलग्न करें ।

4. मर्यादित कंपनी के मामले में प्रतिष्ठान का ज्ञापन एवं नियमावली तथा अनुच्छेद एशोसियेशन एवं निगम की प्रति। (मेमोरण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ ऐसोसिएशन एण्ड सर्टिफिकेट आफ इनकार्पोरेशन)

5. उद्योग के प्रकरण में उद्योग विभाग से पंजीकरण प्रमाण—पत्र की प्रति।

6. आवेदक के स्थाई निवास का पता संबंधी दस्तावेजी प्रमाण और पी.ए.एन. (स्थाई आयकर क्रमांक, यदि हो तो) संलग्न करें । यदि भविष्य में आवेदक के स्थाई पते में परिवर्तन हो तो अनुज्ञप्तिधारी को तुरंत सूचित् करें ।

7. उद्योगों के प्रकरण में पर्यावरण संरक्षण विभाग की अनुमति ।

परिशिष्ट – 2

आवेदन प्रपत्र – नवीन उच्च दाब विद्युत संयोजन हेतु

नवीन विद्युत संयोजन/परिसर का परिवर्तन/संविदा मांग में परिवर्तन/
टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन/उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन
(जो संबंधित न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

____
____
____

महोदय,

मैं/हम, मेरे/ हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ /करते हैं । आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है :–

1.

(अ) आवेदक /संस्था का नाम : _______________

(ब) पिता/पति/संचालक/साझीदार/ न्यासी का नाम : _______________

(स) परिसर का पूर्ण पता, जहाँ विद्युत संयोजन के लिए आवेदन किया जाना है या जहाँ परिवर्तन प्रस्तावित है । : _______________ _______________

पिन : _______________

दूरभाष नं. :

(i) कारखाना/परिसर : _______________

(ii) पंजीकृत कार्यालय : _______________

(iii) निवास : _______________

ई–मेल : _______________

बैंक का खाता क्रमांक (ऐच्छिक) : _______________

2. वोल्टेज जिस पर विद्युत संयोजन चाहिए (के.वी.) :– 11 के.वी./33 के.वी. /132 के.वी. / 220 के.वी.

(जो संबंधित न हो उसे काट दें और संबंधित हो उस पर टिक लगायें)

3. विद्युत संयोजन का प्रकार : स्थायी/अस्थायी
(जो संबंधित न यहां उसे काट दें और संबंधित हो उस पर टिक लगायें)

यदि अस्थायी हो तो अवधि दर्शायें ___________ से ___________ तक

4. आवेदक द्वारा अधिष्ठापन की स्थापना हेतु अब तक उठाये गये कदम
   (अ) ______________________
   (ब) ______________________
   (स) ______________________
   (द) ______________________

5. आवेदित संविदा मांग के प्रक्षेपण का आधार
   (अ) अनुमानित विविधकरण कारक (अनुमानित डायवरसिटी फैक्टर) : ______________
   (ब) कुल संबद्ध भार : ______________

6. संविदा मांग के चरण

क्रमांक	आवश्यक संविदा मांग (के.वी.ए.)	प्रस्तावित दिनांक जब से आवश्यकता है।	टिप्पणी

7. अधिष्ठापन का प्रयोजन : ______________
8. टैरिफ की चयनित श्रेणी : ______________
9. उत्पादन क्षमता : ______________
10. उद्योग की श्रेणी : लघु/ मध्यम/वृहद्
    (जो संबंधित न हो उसे काट दें और जो संबंधित हो उसे दर्शायें)
11. भूमि के अधिग्रहण की स्थिति : ______________
12. अनुमानित दिनांक जब तक अर्थ प्रबंध प्राप्त हो जाएगा । : ______________
13. क्या छ.ग.राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल, रायपुर से वैधानिक आवश्यकतानुसार, आवश्यक अनुज्ञा/अनापत्ति (जहाँ आवश्यक हो) प्राप्त की है । (यदि हॉ तो प्रति संलग्न करें)
14. क्या अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि है । : हाँ/ नही
15. क्या इस परिसर पर कोई बकाया राशि है: जहॉ विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया है । हाँ/ नही
16. क्या ऐसी किसी संस्था, आवेदक जिसका स्वामी, साझीदार, संचालक या प्रबंध संचालक है, पर अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रांतर्गत कोई विद्युत बकाया राशि है । : हाँ / नही
    (क्रमांक 14, 15 एवं 16 के लिए यदि "हाँ" हो तो कृपया विवरण दें)
17. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि
    (अ) उपरोक्त प्रपत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।
    (ब) मैं/हम ने छ.ग.विद्युत प्रदाय संहिता के विषय–वस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।
    (स) मैं/हम विद्युत टैरिफ व अन्य चार्जेस के आधार पर (जो भी लागू हो) विद्युत बिलों की बकाया राशि का भुगतान प्रति माह करूँगा/करेंगे ।
    (द) मैं/हम मीटर, कट आउट एवं उसके बाद की संस्थापना की प्रतिभूति एवं सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं ।

दिनांक :
स्थान :

(आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं पदनाम/सील यदि हो तो)

नोट :– आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें ।

1. परिसर के स्वामित्व का प्रमाण ।
2. प्लांट/कार्यालय के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित विद्युत प्रदाय के बिन्दु को दर्शाता हुआ नक्शा। नक्शे का माप सामान्यतः 1 से.मी.त्र 1200 से.मी. के अनुपात में होना चाहिए।
3. यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अधिकारी से लायसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र या आवेदक का घोषणा–पत्र कि उसके कनेक्शन के लिये किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति की आवश्यकता नहीं हैं ।
4. आवेदक यदि स्वयं की संस्था के लिये विद्युत संयोजन चाहता है तो एक शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेखित हो कि वह उस संस्था का स्वयं मालिक है ।
5. साझीदारी संस्था के मामले में साझेदारी संबंधी दस्तावेज ।
6. मर्यादित (लिमिटेड) कंपनी के मामले में प्रतिष्ठान का ज्ञापन एवं नियमावली एवं निगमन प्रमाणपत्र की प्रति (मेमोरण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन)।
7. आवेदक के स्थायी निवास के पते का प्रमाण एवं यदि हो तो, आवेदक का आयकर का स्थायी लेखा क्र. (पी.ए.एन. नंबर) । स्थायी निवास के पते में भविष्य में यदि कोई बदलाव होता है तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को तद्नुसार सूचित करेगा ।
8. उत्पादन, उत्पादन में बढोत्तरी के लिए लैटर ऑफ इन्टैंट ।
9. प्रस्तावित उपकरणों की अनुमानित भार सहित सूची ।
10. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए सक्षम पारित प्रस्ताव ।
11. उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन ।
12. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वह भाग, जो उद्योग के विद्युत आवश्यकताओं तथा उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित हो ।
13. टैरिफ आदेश के संबंधित अनुभाग की प्रति, जिसको उपभोक्ता द्वारा चयनित कर हस्ताक्षरित किया हो । इसे औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर अनुबंध का हिस्सा मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जावेगा ।

परिशिष्ट – 3

संबद्ध भार की गणना
(घरेलू विद्युत संयोजन हेतु)

1. उपभोक्ता का नाम : ____________________
2. पता : ____________________
____
____
____
3. उपभोक्ता क्रमांक : ____________________
(विद्यमान संयोजन हेतु)

5. उपयोग हेतु प्रस्तावित विद्युत उपकरण : *(कृपया निम्नलिखित तालिका को भरें ताकि संबद्ध भार की गणना की जा सके । सामान्यतः संबद्ध भार की गणना के लिए परिसर के प्रत्येक विद्युत उपकरण का वास्तविक अंकित विद्युत भार ही लिया जाएगा । यदि किसी उपकरण की निर्धारित विद्युत क्षमता अंकित नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित तालिका के आधार पर विद्युत भार की गणना की जा सकती है ।)*

विद्युत उपकरण का नाम	विद्युत भार (वाट्स में)	संख्या	कुल भार (वाट्स में)
1	2	3	4 त्र 2 ग 3
बल्ब	60		
ट्यूब लाईट	50		
पंखा	60		
टेप रिकार्डर/म्यूजिक सिस्टम	100		
टेलिविजन	90		
मिक्सी	375		
इलेक्ट्रिक आयरन	750		
फ्रिज	150		
कूलर	250		
हीटर (खाना पकाने एवं पानी गर्म करने हेतु)	1000		
वाशिंग मशीन (कपड़े धोने की मशीन)	750		
गीज़र	2000		
माइक्रो वेव ओवन	2000		
एयर कंडिशनर (एक टन)	1500		
एयर कंडिशन (डेढ़ टन)	2250		
कम्प्यूटर	100		
प्रिन्टर	150		
पम्प सेट	375		
	योग–		

(अ) अतिरिक्त प्लग पाइंट/होल्डर को संबद्ध भार में नहीं जोड़ा जाएगा ।
(ब) कतिपय घरेलू परिसरों में गीज़र, रूम हीटर और एयर कंडिशनर (बिना हीटर के) स्थापित होते हैं । यदि गीजर तथा रूम हीटर, दोनों ही विद्युत उपकरण स्थापित हों तो इन दोनों के कुल विद्युत भार को जोड़कर इसकी तुलना एयर कंडीशनर के विद्युत भार से की जावेगी एवं तुलनात्मक रूप से जो भी अधिक होगा, उसे संबद्ध भार की गणना में जोड़ा जावेगा ।

(उपभोक्ता के हस्ताक्षर) (अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

दिनांक :———— दिनांक : ————
स्थान : ———— स्थान : ————

परिशिष्ट – 4

परीक्षण प्रपत्र
(अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा भरा जावे)

पुस्तक क्रमांक ———— प्रपत्र सरल क्र. ————————————

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भरा जावे

यह प्रपत्र श्री/श्रीमती/कुमारी ....के परिसर में विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु जारी किया जा रहा है ।

परिसर का पूर्ण पता ....

....

अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार का नाम एवं पता ....

इस प्रपत्र को जारी करने की दिनांक ....

(अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा भरा जावे)

5. मैं घोषणा करता हूँ कि,

(अ) मेरे नाम से .... श्रेणी अनुज्ञप्ति है, जो कि ....तक वैद्य है , जिसका अनुज्ञप्ति क्रमांक ....है ।

(ब) श्री/श्रीमती/कुमारी .... हेतु यह कार्य मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है । यह कार्य उनके ....हेतु किया गया है ।

(कार्य का विवरण)

क्रमांक	विवरण	220/230 वोल्ट						440/400 वोल्ट	
		आर फेज़		वाई – फेज़		ब्लु – फेज़			
		नग	कुल वाट्स	नग	कुल वाट्स	नग	कुल वाट्स	नग	कुल वाट्स
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									

(स)

(1) उस कर्मचारी का विवरण जिसके द्वारा कार्य संपादित किया गया है ।

क्रमांक	तार मिस्त्री/प्रशिक्षु का नाम	पद	अवधि	
			से	तक

(2) यह कार्य श्री ....के निरीक्षण/देख–रेख में संपादित किया गया है जिसका प्रमाण–पत्र क्रमांक ....है। दिनांक .... से दिनांक .... तक की अवधि में संपादित किये गये इस कार्य के लिए वह उत्तरदायी है ।

(द) यह प्रतिष्ठान भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अंतर्गत समस्त विनिर्देशों का पालन करता है।

6. **मैं यह घोषित/प्रमाणित करता हूं कि :**

(अ) स्थापित स्विच उपयुक्त क्षमता के हैं – हाँ/ नहीं ।

(ब) समस्त स्विच और वायरिंग स्थायी हैं एवं निर्धारित मानकों और मापदण्डों के अनुसार है । हाँ/ नहीं ।

(स) समस्त प्लग तीन पिन वाले हैं एवं अलग–अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित हैं । हाँ/ नहीं ।

(द) समस्त एकल पोल स्विच फेज़ से जुड़े हैं– हाँ/ नहीं ।

(इ) मेन स्विच बोर्ड पर न्यूट्रल पाइंट हेतु स्थाई निशान चिन्हित है । हाँ/ नहीं ।

(प) अर्थिंग की व्यवस्था भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 61 के अनुरूप है । हाँ/ नहीं ।

(फ) तीन फेस प्रतिष्ठानों में–

1. खतरा चिन्ह पटल , बाल्टियों के साथ अग्निशमन यंत्र, विद्युत आघात चार्ट एवं प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध हैं । हाँ/नहीं ।
2. प्रतिष्ठान में लगे स्विच बोर्ड भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 15 में निहित विनिर्देशों के अनुसार है । हाँ/नहीं ।

7. **परीक्षण परिणाम**

परीक्षण दिनांक ———————

	पृथ्वी से विद्युत रोधन	चालकों के बीच विद्युत रोधन
फेज़ 1		
फेज़ 2		
फेज़ 3		

भूमि प्रतिरोधकता	परीक्षण दिनांक

इलेक्ट्रोड क्रमांक 1	इलेक्ट्रोड क्रमांक–2

8. छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) के प्रपत्र (एल) के अनुसार पंजीकरण दिनाँक निम्नानुसार है :–

सरल क्रमांक ————————
दिनांक ————————

(अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार के हस्ताक्षर)

(निरीक्षक तारमिस्त्री द्वारा प्रमाण पत्र)

यह प्रमाणित किया किया जाता है कि उपर्युक्त कार्य श्री .... के द्वारा किया गया जिनके पास तारमिस्त्री अनुज्ञा क्रमांक .... है, जो कि दिनांक .... तक वैध है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिष्ठान का परीक्षण श्री .... द्वारा किया गया है जिनके पास अनुज्ञा क्रमांक .... है, जो कि दिनांक .... तक वैद्य है, ।

(तार मिस्त्री के हस्ताक्षर) (निरीक्षक तारमिस्त्री के हस्ताक्षर)

पावती

परीक्षण प्रपत्र क्रमांक .... जो कि श्री .... द्वारा श्री .... के परिसर में विद्युत स्थापना हेतु तैयार किया गया है एवं दिनांक .... को प्राप्त हुआ है ।

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :
पद :
दिनांक :

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
G.E. Road, Civil lines, Raipur - 492 001 (Chhattisgarh)
Tele: 771-5073555, Fax:771-5073553

Raipur, the 14th September 2005

No. 11/CSERC/2005. In exercise of powers conferred by section 43 (1) read with section 181 (t), section 44, section 46 read with section 181 (1), section 47 (1) read with section 181 (v), section 47(4) read with secfion 181 (w), section 47(2), (3) and (5), section 48 (b) and section 50 read with section 181 (x) and section 56 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) and the Electricity (Removal of Difficulties) order, 2005 issued by the Ministry of Power, Government of India on 08/06/2005, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Code to be known as **"Chhattisgarh State Electricity Supply Code-2005"** to govern distribution and supply of electricity and the procedures thereof, such as the systems of billing, modality of payment of bills, the powers, functions and obligations of the distribution licensees ,and the rights and obligations of consumers, etc.

CHAPTER 1: SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND REVIEW PROCESS

1.1 This Code may be called the "Chhattisgarh State Electricity Supply Code, 2005".

1.2 This shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Rajpatra.

1.3 It shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh.

1.4 It shall apply to all persons engaged in the business of distribution of electricity as distribution licensees including the Chhattisgarh State Electricity Board and its agents, under the Electricity Act, 2003 and to the consumers of electricity. It shall also apply to all persons exempted from distribution licence under sec.13 of the Act.

1.5 Copies of *this Code* and Guidelines for Redressal of Consumer Grievance, as duly amended from time to time, shall be kept in the registered offices, regional offices, circle offices, division offices, centres of the licensees and such other offices as may be specified by the licensees or by the Commission.

Mechanism for review of Electricity Supply Code

1.6 The Commission shall constitute an Electricity Supply Code Review Panel (Review Panel) to review this Code along with and Guidelines for Redressal of Consumer Grievance on regular basis. The Review Panel shall consist of such number of persons, as the Commission may consider necessary and adequate, to be appointed by the Commission, including persons representing the following:

(a) Each Distribution Licensee of the State;

(b) State Transmission Utility (STU) or Transmission licensees;

(c) LT consumers, HT consumers, EHT consumers, their associations and any consumer groups; and

(d) Any other interest group including NGO as the Commission may think fit.

1.7 The Commission shall appoint a Chairman from among the representatives of the licensees. The Chairman of the Review Panel, shall appoint an officer as Member Secretary. The concerned licensee shall provide all the required support, administrative or otherwise to the panel in the discharge of its functions. All members of the review panel shall be appointed for a period of two years.

1.8 The Review Panel shall meet at least once every six (6) months.

1.9 The Member Secretary of the Review Panel shall send the proceedings of the meetings of the Panel to the Commission within 15 days of the meetings.

1.10 The Commission may amend the Electricity Supply Code suo motu or on the recommendations of the said panel. However, before any amendment is made in the Code, comments on the proposed changes shall be obtained from all the Distribution licensees, STU, Transmission licensees and the public.

1.11 A notice of the gist of amendment made in the Electricity Supply Code shall be published by the licensee in at least two newspapers having wide circulation in the area of supply stating that copies of the amended Electricity Supply Code are available for purchase in the offices mentioned in clause1.5.

CHAPTER 2: DEFINITION

2.1 In this Code, unless it is repugnant to the context

(a) **'Act'** means The Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) as amended from time to time;

(b) **'Agreement'** with its grammatical variations and cognate expressions means an agreement entered in to between the licensee and the consumer under this Code;

(c) **'Apparatus'** means electrical apparatus and includes all machines, fittings, accessories and appliances in which conductors are used;

(d) **'Area of supply'** means the geographic area within which a licensee is authorized by his license to supply electricity;

(e) **'Average Power Factor'** means the monthly power factor and shall be the ratio expressed as a percentage of the total kilowatt hours to the total kilovolt ampere hours supplied during the month; the ratio being rounded off to two decimal figures, 5 or above in the third place of decimal being rounded off to the next higher place in the second. In case KWh or KVAh reading is not available, then power factor shall be calculated on the basis of KVARh reading, if the meter has KVARh recording feature.

(f) **'Billing Month'** means a period of about 30 days or between the two consecutive meter readings for the purpose of billing;

(g) **'Breakdown'** means an occurrence relating to the equipment of the electric energy supply system including electrical line that prevents its normal functioning;

(h) **'Code'** means the Chhattisgarh State Electricity Supply Code, as in force from time to time;

(i) **'Commission'** means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission;

(j) **'Conductor'** means any wire, cable, bar, tube, rail or plate used for conducting electrical energy and so arranged as to be electrically connected to a system;

(k) **'Connected load'** means aggregate of the manufacturer's rating of all energy consuming devices, in the consumer's premises, which can be simultaneously used. This shall be expressed in KW, KVA or HP units and shall be determined as per the procedure laid down in clauses 6.37 to 6.42 on 'Rating of Installations' in this Code;

(l) **'Consumer'** means any person who is supplied electricity by a licensee and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity from the licensee, persons who have applied for an electricity connection, persons whose supply is not yet connected even after due notice to avail connection or whose electricity supply has been disconnected. A consumer is -

(i) **'Low Tension Consumer (LT Consumer)'** if he obtains supply from the licensee at low or medium voltage;

(ii) **'High Tension Consumer (HT Consumer)'** if he obtains supply from the licensee at high voltage; and

(iii) **'Extra High Tension Consumer (EHT Consumer)'** if he obtains supply from the licensee at extra high voltage;

(m) **'Consumer's installation'** means any composite electrical unit including electric wires, fittings, motors and apparatus, portable and stationary, erected and wired by or on behalf of the consumer at the consumer's premises;

(n) **'Contract demand'** means the maximum load in *KW, KVA* or HP, as the case may be, agreed to be supplied by the licensee and contracted by the consumer and mentioned in the agreement;

(o) **'Cut-out'** means any appliance for automatically interrupting the transmission of energy through any conductor when the current rises above a predetermined quantum, and shall also include fusible cut-out;

(p) **'Date of commencement of supply'** means the day immediately following the date of expiry of a period of one month for in case of LT connections and three months in case of HT and EHT connections from the date of intimation to an intending consumer of the availability of power or the date of actual availing of supply by such consumer, whichever is earlier;

(q) **'Demand charge'** for a billing period means a charge levied on the consumer based on the contract demand or maximum demand and shall be calculated as per the procedure provided in the tariff order, passed by the Commission, under part VII of the Act;

(r) **'Distribution system'** means any system consisting mainly of overhead lines, underground cables, service lines, electrical plant, control switchgear and meters having design voltage of 33 KV and below and shall also include any other system of higher voltage as the Commission may specifically recognise. The distribution system shall not include any part of the transmission system except the terminal equipment (metering system, CT and PT) connected at consumer end and used for the supply of electricity to extra high voltage (66 KV and above) consumers;

(s) **'Earthed'** or **'connected with earth'** means connected with the general mass of earth in such manner as to ensure at all times an immediate discharge of energy without danger;

(t) **'Energy'** means electrical energy:

(i) generated, transmitted or supplied, for any purpose, or

(ii) used for any purpose except the transmission of a message;

(u) **'Energy charge'** refers to a charge levied on the consumer based on the quantity of electricity (units in *KWh* or *KVAh* as per tariff) supplied;

(v) **'Extra High Voltage'** means the voltage, which exceeds 33,000 volts subject, however, to the percentage variation allowed under the Indian Electricity Rules, 1956;

(w) **"Harmonics"** means a component of a periodic wave having frequency that is an integral multiple of the fundamental power line frequency of 50Hz causing distortion to pure sinusoidal waveform of voltage or current, and as governed by IEEE STD 519-1992, namely "IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems" and corresponding standard as may be specified in accordance with clause (c) of subsection (2) of section 185 of the Act;

(x) **'High Voltage (HV)'** means the voltage higher than 650 volts but which does not exceed 33,000 volts under normal conditions subject to the percentage variation allowed under the Indian Electricity Rules, 1956;

(y) **'Initial period of agreement'** means the period of two years starting from the date of commencement of supply or expiry of notice to avail supply. The initial period of agreement shall continue till the end of the month, on which the end date of the two year period expires;

(z) **'Installation'** means any composite electrical unit used for the purpose of generating, transforming, transmitting, converting, distributing or utilizing energy;

(aa) **'Licensed Electrical Contractor'** means a contractor licensed under rule 45 of the Indian Electricity Rules, 1956;

(bb) **'Licensee'** means a distribution licensee, unless the context otherwise requires.

(cc) **"Load Factor"** means the ratio of the total number of units consumed during a given period to the total number of units which may have been consumed had the contract demand/sanctioned load been maintained throughout the same period, and shall usually be expressed as a percentage;

(dd) **'Low Voltage (LV)'** means the voltage, which does not exceed 250 volts under normal conditions subject, however, to the percentage variation allowed under the Indian Electricity Rules, 1956;

(ee) **'Maximum demand'** for a category of consumer shall be calculated as per the procedure provided in the tariff order passed by the Commission;

(ff) **'Medium voltage'** means the voltage higher than 250 volts but which does not exceed 650 volts under normal conditions subject, however, to the percentage variation allowed under the Indian Electricity Rules, 1956;

(gg) **'Meter'** means a set of integrating instruments and equipments used to measure and/or record and/or store the electrical quantities like energy in KWh or KVAh, maximum demand in *KW* or *KVA*, reactive energy in *KVARh* etc. in a given time, which include whole current meter and metering equipment such as Current Transformers (CT), Capacitor Voltage Transformer (CVT), Potential Transformers (PT) with cable, wiring, where used in conjunction with such meter or its accessories and any devices like switches or MCB/ load limiter or fuses used for protection and testing purposes and any enclosure used for housing or fixing such meter or its accessories; and

(hh) **'Month'** means a calendar month.

2.2 All other expressions used herein but not specifically defined, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act. The other expressions used herein but not specifically defined in this Code or in the Act but defined under any law passed by the Parliament applicable to electricity industry in the state or stated in the tariff order passed by the Commission, under section 62 of the Act shall have the meaning assigned to them in such law. Subject to the above, the expressions used herein but not specifically defined in this Code or in the Act or any law passed by the Parliament shall have the meaning as is generally assigned to them in the electricity supply industry.

CHAPTER 3: SYSTEM OF SUPPLY AND CLASSIFICATION OF CONSUMERS

System of Supply

3.1 The declared frequency of the alternating current (AC) shall be 50 cycles per second.

3.2 The declared voltage of the AC supply is as follows:

(a) Low Tension

(i) Single Phase: 230 volts between phase and neutral;

(ii) Three Phase: 400 volts between phases;

(b) High Tension (HT) - Three Phase: 11 KV or 33 KV between phases; and

(c) Extra High Tension (EHT) - Three Phase: 132 KV or 220 KV between phases.

For Railway traction two-phase supply may be given.

3.3 The licensee shall design and operate a distribution system in conjunction with the transmission systems. The licensee shall not permit the voltage at the point of supply to the consumer to vary from the declared voltage which is:

(a) In the case of low or medium voltage, by more than 6%; or

(b) In the case of high voltage, by more than 6% on the higher side or by more than 9% on the lower side; or

(c) In the case of extra high voltage, by more than 10% on the higher side or by more than 12.5% on the lower side.

Any exception to the above will only be allowed with the written consent of the consumer or with prior approval of the Commission.

Voltage of Supply to Consumers

3.4 The supply voltage for different contract demands shall normally be as follows.

Supply Voltage	Minimum Contract Demand	Maximum Contract Demand
230 volts		2 KW
400 volts	Above 2 KW	100 HP or 75 KW
11 KV	60 KVA	300 KVA
33 KV	60 KVA	10000 KVA
132 KV	4000 KVA	40000 KVA
220 KV	15000 KVA	150000 KVA

The connected load of a consumer availing supply at low tension shall not exceed 150 HP.

Provided that depending on system availability or condition, the licensee at its discretion, may release supply at any other voltage in consultation with the Commission. Particularly in case of Railways, the maximum and minimum limits of contract demand on the various voltage levels indicated in the above table may be relaxed by the licensee on mutual agreement depending on the actual requirement and feasibility.

Classification of Consumers

3.5 The classification of consumers, tariff and conditions of supply applicable to each category shall be as fixed by the Commission from time to time in the tariff order passed under section 62 of the Act or otherwise. The licensee may classify or reclassify consumers into various categories from time to time as per classifications fixed by the Commission.

CHAPTER 4: NEW POWER SUPPLY

Licensee's Obligation to Supply

4.1 The licensee shall, on an application by the owner or occupier of any premises located in his area of supply, give supply of electricity to such premises within the time specified in this Code (refer clause 4.77), provided

(a) the supply of power is technically feasible,

(b) the consumer has observed the procedure specified in this Code, and

(c) the consumer agrees to bear the cost of supply and services as specified.

Licensee's obligation to extend the distribution system and consumer's share in the cost

4.2 The licensee shall meet the cost for strengthening / upgradation of the system to meet the demand of the existing consumers through its annual revenues or funds arranged by the licensee and this cost shall be recovered from the consumers through tariff. A part of such expenses shall be met by system strengthening charges as prescribed by the Commission from time to time.

4.3 The cost of extension of distribution mains and extension / upgradation of the system upto the point of supply for meeting demand of new consumers shall be payable by the consumer, or any collective body of consumers or otherwise as may be directed by the Commission keeping in view the provisions of section 46 of the Act.

4.4 In all cases of new connections the consumer shall bear the actual cost of extension and service connection charges.

4.5 The service connection charges shall be as approved by the Commission from time to time. In cases where the charges are not approved, the consumer shall bear the actual cost of extension of the service connection.

4.6 Apart from the charges as payable under clause 4.4, the supply affording charges, as approved by the Commission, will be payable by all the three phase consumers except agriculture consumers and flour mills in rural area.

4.7 In case the connected / contracted load of any new connection is projected to be 50 KW or more, a separate transformer of adequate capacity shall be installed at consumer's cost. The land/room with easy access required for housing the transformer sub-station, switch gears, meters and panels shall be provided by the consumer, free of cost, for which rent or premium shall not be payable by the licensee.

4.8 The service connection/ extension of distribution mains, notwithstanding that it has been paid for by the consumer, shall be the property of the licensee. The licensee shall maintain it at his cost and shall also have the right to use the same service connection/ extension for supply of energy to any other person, but such extension or service connection should not adversely affect supply to the consumer who has paid for the extension of the distribution supply network.

4.9 When the licensee is ready to give supply, he shall serve a notice on the consumer to take power supply within one month in case of LT consumers and three months in case of HT or EHT consumers. If the consumer fails to avail supply within the notice period, he shall be liable to pay any charges due thereon as per the provisions of the supply agreement from the day following the end of the notice period.

Service connection/ extension work got done by consumers

4.10 The consumer can get the work of drawing of service line from the licensee's distribution mains up to his premises as per the estimates and layout approved by the licensee through a 'C' or higher-class licensed electrical contractor, and the work of extension of EHT and HT line, distribution or HT substation and LT line through an 'A' class contractor as per the estimates and layout approved by the licensee. In such case the consumer himself shall procure the materials. The material should, conform to relevant BIS specification or its equivalent and should bear ISI mark wherever applicable. The licensee may ask for documentary evidence to verify the quality of materials used. The consumer shall be required to pay the supervision charges as approved by the Commission in the Schedule of Miscellaneous Charges on the cost of works as per the estimates approved by the licensee. The rates of the materials shall be available in the ready reckoner.

4.11 The consumer shall get the work done within the timeframe as provided in clause 4.77, failing which the licensee may, on giving fifteen days notice treat the requisition for supply as cancelled.

Application for Supply

4.12 Application for new supply and subsequent additional supply of electrical energy shall be made in duplicate in the appropriate prescribed form, copies of which shall be available at a nominal cost at the local office of the licensee. The format of the application forms is provided in Annexure 1 and Annexure 2. Photocopies of blank form or form downloaded from the website of the licensee may also be used by the consumer and shall be accepted by the licensee.

4.13 The occupier of the premises, for which supply is required, shall make the application and shall indicate his full name and address with telephone number (if available) where the supply is required and also the name and address of the licensed electrical contractor through whom the wiring will be carried out; but it would not be necessary to make the requisition through the licensed electrical contractor. Any assistance or information required in filling up the form should be given to the consumer at the local office of the licensee.

4.14 The consumer shall furnish, along with the application form, copies of the following documents. The licensee may ask for the original documents, from the consumer, for verification.

(a) Proof of legal ownership of the premises in the form of registered sale deed or partition deed or succession or heirship certificate or deed of last will,

or

Proof of occupancy such as valid power of attorney or latest rent receipt or valid lease deed or rent agreement or copy of allotment order issued by the owner of the property,

or

In case of supply for agriculture/ irrigation pump set, the copy of the current Khasra giving the 'khasra' number of the field within which the supply is required and water availability certificate from competent government authority.

(b) Approval / permission of the local / statutory authority, if required under any law /statute. This shall be required for the industrial and large non-domestic connections.

(c) In case of a partnership firm, partnership deed, authorization in the name of the applicant for signing the application form and agreement.

(d) In case of a Public or Private Limited Company, the Memorandum and Articles of Association and Certificate of incorporation together with an authorization in the name of the applicant for signing the application form and agreement.

(e) Permission from Environment Conservation Department in case of industry falls under the purview of environmental clearance.

(f) SSI registration in case of small and medium industries.

(g) In case of applications for power supply to stone crushers, stone polishing and hot-mix plants, the following additional information shall also be furnished.:

(i) Documentary evidence from the department concerned to show that he will be able to take requisitioned quantum of power supply for at least two years; and

(ii) His permanent address.

(h) The consumer shall also intimate whether the service line and extensions, if any, shall be laid by the consumer or the licensee.

(i) Processing fee, as fixed by the Commission, shall also be payable at the time of submission of application.

4.15 In case of a new connection for domestic or single-phase non-domestic category, the applicant is unable to provide the proof of legal occupation of the premises, the officer in charge of the concerned distribution circle may waive such requirement and record, in writing, the reasons thereof. But in such cases, the applicant shall execute an indemnity bond, indemnifying the licensee against any damages payable on account of any dispute arising out of supply of power to the premises. However, in such cases, the security deposit to be paid by the consumers shall be equal to the cost of ninety day's of average consumption to be determined by the licensee's local office. The serving of connection to such premises shall not be used as a proof of legal rights on the premises or for any other legal use.

4.16 If the consumer, in respect of an earlier agreement executed in his name or in the name of a firm or company with which he was associated either as a partner, director or managing director, has any arrears of electricity dues or other dues on the premises for which the new connection is applied and such dues are payable to the licensee, the requisition for supply may not be entertained by the licensee until the dues are paid in full. In case of a person occupying a new property, it will be the obligation of that person to check the bills for the previous months or, in case of disconnected supply, the amount due as per the licensee's records immediately before his occupation and ensure that all outstanding electricity dues as specified in the bills are duly paid up and discharged. The licensee shall be obliged to issue a certificate of the amount outstanding from the connection that was installed or is installed in such premises on request made by such person. The licensee may refuse to supply electricity to the

premises through the already existing connection or refuse to give a new connection to the premises till such outstanding dues are cleared.

4.17 For the purpose of these terms and conditions of supply, establishments/ premises

(a) having distinct set up and staff, or

(b) owned or leased by different persons, or

(c) covered by different licenses or registrations under any law where such procedures are applicable, and

(d) for domestic category households having relevant document from local authorities, identifying the premises as separate

will be deemed to be separate establishments and each separate establishment will be given separate point of supply provided they are not part of a single manufacturing process. Power will be supplied to a consumer ordinarily at a single point for the entire premises.

Supply to different categories of consumers

(A) Supply at LT

4.18 The licensee shall verify the application and the enclosed documents at the time of receipt of application. A written acknowledgement shall be issued on the spot if the application is complete. If the application is incomplete, or otherwise the entries are defective, the shortcomings shall be intimated to the applicant in writing within 5 working days. After the complete application is received from the consumers, the licensee shall issue a written acknowledgement to the consumer immediately. Within 3 working days of receipt of the completed application form, the licensee shall intimate the consumer the proposed date of inspection, which should be within the next 2 working days in urban areas and 5 working days in rural areas.

4.19 The applicant along with the licensed contractor or his representative shall be present during the inspection. During the inspection, the licensee shall:

(a) Fix the point of supply at a mutually agreed place where meter and cut-out/ MCB shall be fixed.

(b) Fix the layout of the proposed lines and substation and estimate the distance between the point of supply and the nearest distribution mains from where supply could be given.

(c) Determine if the supply line is to go over any property belonging to a third party.

(d) Verify other particulars mentioned in the application form, as required.

4.20 When the consumer's premises has no frontage on a street and the service line from the licensee's mains has to go upon, over or under the adjoining premises of any other person (whether or not the adjoining premises be owned jointly by the consumer and such other person), or in any other case, the consumer shall bring at his own expense any necessary way-leave, license or sanction for extension of distribution mains and service line and furnish to the licensee. The licensee shall not arrange supply of power until the way-leave, license or sanction is received. Any extra expense incurred in placing the supply line in accordance with the terms of the way-leave, license or sanction shall be borne by the consumer. In the event of the way-leave, license or

sanction being cancelled or withdrawn, the consumer shall, at his own cost arrange for, or in case the work is carried out by the licensee at the consumer's request, pay full cost of, any diversion of the service line or the provision of any new service line thus rendered necessary.

4.21 It shall not be incumbent on the licensee to ascertain the validity or adequacy of way-leave, license or sanction obtained by the consumer.

4.22 In case it is possible to extend supply from the existing mains, the licensee will forward to the consumer, within 10 working days in urban areas and 15 working days in rural areas, an advice for the charges for laying the service line, the amount of security deposit and any other charges as applicable. The amount shall be payable in full within 15 working days, after which only any work for laying the service line will be taken up. The licensee will also intimate to the consumer to execute the agreement.

4.23 In case it is necessary to extend distribution mains for giving supply to the consumer, the licensee will forward to the consumer, within 10 days in urban areas and within 15 days in rural areas, an advice containing the charges for extension of the distribution main, laying the service line, the amount of security deposit, any other charges as applicable and will also intimate additional formalities required, if any, to be carried out by the consumer. In cases where the consumer has to lay the service line and extension of mains, the consumer shall pay the supervision charges on cost of extension of the distribution mains and laying the service line in addition to payment of other charges as may be applicable. The amount shall be payable in full within 15 working days along with completion of other formalities, after which only the work for laying the distribution mains and service line can be taken up. The licensee will also intimate the consumer to furnish test report in the prescribed form.

4.24 In case the consumer fails to complete the formalities within 15 days, the licensee shall give him notice to complete the formalities within the next 15 days failing which, his application for supply shall be cancelled. Thereafter the consumer shall have to apply afresh for supply or additional supply as the case may be.

4.25 On deposit of charges as indicated above by the consumer, execution of the agreement and receipt of test report and intimation that the service line and extension work have been completed, the licensee shall intimate the consumer, within 3 days, the date of testing of the consumer's installation. The consumer shall ensure that the licensed electrical contractor, who has carried out the wiring, should remain present during the testing.

4.26 On testing the consumer's installation, if the licensee is satisfied with the test results, the licensee shall arrange to install the meter with the cut-out or MCB, seal the meter in presence of the consumer and provide supply within the stipulated time specified in this Code. If the licensee is not satisfied, he shall intimate the consumer the shortcomings in the wiring, in writing. The applicant shall be required to get the defects rectified. On payment of the prescribed fee, testing shall again be conducted.

4.27 All works shall be completed within the timeframe specified in clause 4.77.

(B) LT Supply to Multi-Consumer Complex including Commercial Complexes:

4.28 For the purpose of providing new power supply to a building or a group of buildings requiring more than one connection and a total load of 50 KW or more, the building shall be considered as a multi-consumer complex.

4.29 The supply to a multi-consumer complex shall be arranged through a separate distribution transformer of adequate capacity but not less than 100 KVA. The cost of extension including H.T. line, distribution transformer and L.T. lines/ cables shall be borne by the developer/ builder/ society/ consumer.

4.30 The developer/ builder/ society/ consumer shall also pay system strengthening charges. The system strengthening charge is the charge recoverable from consumers for strengthening the licensees network.

The developer/ builder/ society/ consumer may be any agency of the State Government, a local body or a private person who constructs the multi-consumer complex.

4.31 In case it is not possible to give supply to the multi-consumer complex by augmentation of the capacity of existing 33/11 KV substation or the load of the housing colony exceeds 2150 KW, the developer/ builder/ society/ consumer shall bear the cost of the 33 KV line and 33/11 KV substation of required capacity. In such cases system strengthening charges, if any, shall not be payable as per the Schedule of Miscellaneous Charges approved by the Commission.

4.32 In case the total load of the multi consumer complex including all phases exceeds 1000 KW, the developer/b[illegible]il[illegible]er/society/consumers shall provide necessary land measuring not less than 40X30 [illegible]ters at a token premium of Re.1, for construction of 33/11 KV substation by the licen[illegible]. The location of the same shall be selected by the Executive Engineer in-charge of th[illegible]ding to the load centre.

4.33 Meters shall normally be provided at the ground floor in accordance with the procedure stated in the chapter on meters.

4.34 The land/room required for housing the transformer substation and meters shall be provided by the developer /builder/ society/ consumer free of cost for which rent or premium shall not be paid by the licensee. Transformers should preferably be placed in open areas. In case installation of transformer in a room or closed area is unavoidable, all safety measures as per prevailing rules and regulations should be taken.

4.35 Connections for common facilities like lift, water pumps etc. shall be given in the name of the builder/developer/society. If requisitions for supply to individual flats are not received from the flat owners, connections may be given in the name of the builder/developer/society. Such connections may subsequently be transferred to the individual owner/occupier of the flat after completing the necessary formalities prescribed in this regard. The agreement for such individual connection shall be executed accordingly.

4.36 In case the original approved plan is for a multi-consumer complex, but the builder/developer/ society/ consumer desires to avail connection for a portion of it, the connections shall be provided treating it as multi-consumer complex.

4.37 Due to additional construction or additional requirement of load, if a building comes under the category of multi-consumer complex and if a separate distribution transformer of sufficient capacity, for giving supply to such building was not provided earlier, it will be provided at the cost of the builder/developer/ society/ consumer. Alternatively, the builder/ developer/ society/ consumer shall arrange to suitably augment the capacity of the existing substation, if found feasible by the licensee.

However, the system strengthening charges, if any, shall be payable for the new connections or additional load only.

4.38 For the purpose of considering the criteria of a multi-consumer complex, for development of infrastructure for extension of distribution mains and for calculating the system strengthening charges, the load of the multi-complex shall be calculated on the following basis (area represents built-up area of individual unit):

	AREA	LOAD
(a)	Upto 400 sq ft	1.5 KW
(b)	Above 400 sq ft & upto 700 sq ft	2.0 KW
(c)	Above 700 sq ft & upto 1000 sq ft	3.0 KW
(d)	Above 1000 sq ft & upto 1300 sq ft	4.0 KW
(e)	Above 1300 sq ft & upto 1600 sq ft	5.0 KW
(f)	Above 1600 sq ft & upto 2000 sq ft	7.0 KW
(g)	Above 2000 sq ft & upto 2500 sq ft	10 KW
(h)	For every additional 500 sq ft or part thereof over 2500 sq ft of built up area, 1 KW of load should be added.	

The above criterion is for residential purposes. For commercial complexes, load will be assessed on the basis of 1 KW for each builtup 100 sq.ft. area.

The load of the common facilities like lift, water pump, parking lights etc shall be taken as declared by the developer/builder/society/ consumer.

The aforesaid procedure for estimation of load is for the purpose of bringing about uniformity in the assessment of the load of the multi-consumer complex. However, security deposit etc shall be worked out on the basis of the load as declared by the consumer and supported by the test report at the time of providing connection to individual consumer.

4.39 On receipt of application from the builder/developer/ society/ consumer for supply of electricity to multi-consumer or commercial complexes, the licensee shall take action for extending the supply as per procedure given in clauses 4.18 to 4.27 as applicable.

(C) LT Supply to housing colonies:

4.40 The developer/ builder/ society/ consumers of a housing colony shall bear the cost of extension including the cost of 11 KV line, distribution transformer and LT lines/ LT cables. The developer/ builder shall also pay system strengthening charges.

In case it is not possible to give supply to a housing colony by augmentation of the capacity of existing 33/11 KV substation or the load of the housing colony exceeds 2150 KW, the developer/ builder/ society/ consumer shall bear the cost of 33 KV line and 33/11 KV substation of required capacity. In such cases system strengthening charges, if any, shall not be payable as per the Schedule of Miscellaneous Charges approved by the Commission.

4.41 For the development of infrastructure for extension of distribution mains and calculating the system strengthening charges, if any, the load of the housing colony shall be calculated on the following basis (area represents plot area):

	AREA	LOAD
(a)	Upto 500 sq ft	1.0 KW
(b)	Above 500 sq ft & upto 1000 sq ft	2.0 KW
(c)	Above 1000 sq ft & upto 1500 sq ft	3.0 KW
(d)	Above 1500 sq ft & upto 2000 sq ft	4.0 KW
(e)	Above 2000 sq ft & upto 2400 sq ft	5.0 KW
(f)	Above 2400 sq ft & upto 3000 sq ft	7.0 KW
(g)	Above 3000 sq ft & upto 3500 sq ft	10.0 KW
(h)	Plot or house for EWS	1.0 KW

The load of the common facilities like lift, water pump, parking lights, street lights etc may be taken as declared by the developer/builder/society/ consumer. If, subsequently, the builder/ developer/ society/ consumer constructs houses or buildings for sale, instead of sale of plots, the load will be reassessed on the basis of the guideline given in clause 4.38. The developer/ builder/ society/ consumer shall be liable to pay the additional amount payable, if any, as per the new assessment. The developer/ builder/ society/ consumer will also be required to pay the cost of the additional infrastructure required for the purpose.

The aforesaid procedure for estimation of load is for the purpose of calculation of charges and also for deciding the number and capacity of distribution transformers and the length of HT/ LT line required. However, the service connection charges, security deposit etc shall be worked out on the basis of the load as declared by the consumer and supported by the test report at the time of serving connection to individual consumer.

4.42 On receipt of application from the builder/developer/ society/ consumer for supply to housing colony, the licensee shall take action for extending the supply as given in clause 4.18 to 4.27, as applicable.

(D) LT Supply to illegal colonies / multi consumer complex:

4.43 In case of such colonies/multi-consumer complexes which do not have requisite sanction/permission of the State Government/local authorities under the laws and rules applicable to them and hence are treated as illegal colonies, may be electrified provided the Commissioner of the concerned Municipal Corporation/Municipality certifies with the approval of the State Government that it is in public interest to provide electric connections to such colony/multi-consumer complex.

4.44 In case the total load of a housing colony, including all phases, assessed on the basis as given in clause 4.41 above exceeds 1000 KW, the developer / builder / society / consumers shall provide necessary land measuring not less than 40X30 meters at a token premium of Re.1 for construction of 33/11 KV substation by the license. The location of the same shall be selected by the Executive Engineer in-charge of the area according to load centre.

4.45 Load projection of such colony/complex will be done as per the provisions in clause 4.38 or 4.41, as the case may be.

4.46 Since no developer/builder/agency is likely to come forward for external electrification of such colonies, the connections may be served to individual consumers on payment of proportionate cost of external electrification of complete colony/complex and system strengthening charges.

(E) LT Supply for agriculture/irrigation pump sets:

4.47 The procedure laid down in clause 4.18 to 4.27, as applicable, shall be followed for giving supply to agriculture/irrigation pump sets where extension of distributing mains and /or augmentation of distribution transformer is not required.

4.48 Supply for agriculture/irrigation pump set, at one point, may also be given to a registered co-operative society or to a group of farmers recognized by the licensee.

4.49 If on inspection of the premises it is found that extension of distributing mains and/or augmentation of distribution transformer capacity is required, the possibility of taking up the work from financial assistance available from the Government or financial institution like Rural Electrification Corporation etc. shall be examined. Within 10 days of inspection, if no extension of line is required, and within 30 days of inspection if extension of line is required, the consumer shall be intimated whether the licensee can take up the work with its own funds or whether the work can be taken up only after the full cost of the works is deposited by the consumer. In case the work can be taken up only after the consumer deposits the estimated expenses, the licensee shall inform the consumers accordingly and also intimate the exact amount required to be deposited. The work of electrification of such pump set(s), for which the full cost of the work is deposited by the consumer(s), will be taken up and completed within the period as mentioned in clause 4.77, of depositing the amount by the consumer(s) if extension work is involved. In case of a waiting list for connection, work on new connection shall be taken up on the broad principle of first-come first serve basis. Within 7 working days of completion of work, the licensee shall issue one month's notice of availability of supply and request the consumer(s) to furnish the test report. On receipt of test report from the consumer, the licensee shall inspect the installation within 3 days. In case he is satisfied with the test report and the wiring in the premises of the consumer, the connection shall be served within 3 working days after the inspection.

(F) LT Supply to Public Street Lightings:

4.50 Requisition for power supply to new or additional public street lights shall be submitted in the prescribed form (Annexure-1) to the local office of the licensee by the Municipal Corporation or Municipality or Nagar Panchayat or Gram Panchayat or local body or the Government Department or any other organization made responsible by the Government to maintain public street lights (which shall herein after be called by the generic term 'local body').

4.51 The requisition for public lights shall be accompanied by resolution of the local body and the sketch indicating the number of poles, existing or new, where streetlights are required. Except otherwise directed by the Commission, the licensee may not provide a new street light connection if the local body, applying for new street light connection, has any electricity dues against it.

4.52 The fittings, brackets or any special fittings shall be in accordance with the relevant BIS specifications or its equivalent and shall maintain required clearances as per prevailing rules and regulations. The local body shall bear the full cost of arranging of power supply to public streetlights including complete fittings and brackets. In case, any special fittings are to be provided, the local body shall arrange for it.

4.53 The licensee shall intimate the cost of extension in writing, within 15 days in urban areas and within 30 days in rural areas from the date of application. The work shall be taken up only after deposit of the amount and execution of agreement by the local body.

4.54 A suitable double compartment weatherproof metal box to house the energy meter and streetlight switch/ M.C.B./ timers shall be provided by the licensee.

4.55 The licensee shall arrange to switch on fifteen minutes before sunset and switch off the streetlights fifteen minutes after sunrise as per local sunset/ sunrise timings. The licensee shall also carry out replacement of fixtures/ bulbs (of same wattage) etc on the poles on the request of the streetlight consumers. The fixtures, bulbs etc. shall be supplied by the consumers and replaced by the licensee within 7 days of receipt. All such services shall be chargeable. Such maintenance charges shall be included in the schedule of miscellaneous charges.

(G) Temporary Power Supply

4.56 Any person requiring power supply for a purpose that is temporary in nature, for a period of less than one year, may apply for temporary power supply in the prescribed form (Annexure- 1 or 2). Release of temporary connections is not a matter of right. It can be given only when it is technically feasible and subject to following of safety requirements as specified in rules 29 and 30 of the Indian Electricity Rules, 1956. Requisition for temporary supply shall normally be given 7 days before the day when supply is required for loads up to 10 KW and 30 days before, for higher loads.

4.57 In case temporary supply is required for construction purposes where permanent connection will be required subsequently, feasibility of permanent connection shall first be examined prior to sanction of temporary connection. The position in respect of feasibility of permanent connection shall be informed to the applicant before serving temporary connection.

4.58 A temporary connection can also be provided to a consumer who requires temporary supply for a short period for overhauling of his generator set or requires power in an emergency.

4.59 The applicant shall also furnish the proof of occupation or permission from the local authority or from the owner of the premises, as the case may be, where temporary connection is required, as stated in clause 4.14. In case temporary supply is required in premises/ place where 100 or more persons are likely to assemble, the consumers shall comply with the provisions of section 54 of the Act.

4.60 If supply is feasible, the licensee shall intimate to the applicant the charges to be paid for the cost of laying and dismantling the extension work, service line, meter, cut-out/ MCB etc, together with the charges for the estimated consumption during the period of supply applied for and the rental of equipment and material. All the charges shall be payable in advance. If available, the licensee shall provide prepaid meters.

The consumer shall have the option either to receive the material used for temporary connection or receive credit, in the final bill, as per prevailing rules, for materials dismantled and returned to stores, in good condition, after disconnection of supply.

4.61 In case temporary supply is required for a period more than 90 days, the licensee may permit the consumer to pay charges for estimated consumption for 90 days and serve the bills for monthly consumption. In case the consumer fails to pay the bills in time and the advance with the licensee does not cover the charges for the balance period, the supply is liable for disconnection.

4.62 If an agricultural consumer so wishes, he may seek temporary connections for agricultural use. In such case the consumer shall pay the entire amount of bill charges payable for the period of proposed connection, in advance. All charges and other conditions as applicable to temporary connections shall also be applicable. In case a consumer defaults in clearing any dues under this provision, he shall not be provided new connection till previous dues are cleared. The licensee shall have the right to remove any equipment specifically installed for providing supply under this provision, after the period of supply is over.

4.63 The licensee shall release the supply within 3 days of payment of charges and compliance of other requirements by the consumer for loads up to 10 KW and within 15 days in other cases where extension of distribution mains is not required. Where extension of distribution mains is required, the supply shall be released within 60 days in case of LT consumers, 90 days for HT consumers and 180 days for EHT consumers.

4.64 The readings of the meter may be taken during the period of the temporary connection to ensure that the charges for actual consumption does not exceed the advance payment received.

4.65 After the period of temporary supply is over and supply has been disconnected, the licensee shall prepare the final bill and send it to the consumer within 30 days from the date of disconnection of supply and return the balance amount, if any, within 30 days of surrender of original money receipt or submission of indemnity bond by the consumer. On any delay beyond the said time limit, the licensee will be liable to pay an interest @ 1% per month on the amount of refund outstanding for the number of days beyond the last date of payment, as specified above.

4.66 The licensee shall have in place a procedure of reporting and checks to see that provisions made herein are properly observed and no connections are given without realizing dues.

(H) Supply at H.T.

4.67 On receipt of an application for supply of energy at H.T. in the prescribed form (Annexure-2), the licensee shall inform the consumer in writing the date of inspection of the site to examine the feasibility of the connection applied for. The licensee shall intimate the feasibility of supply or otherwise within 15 days of receipt of the application. The consumer or his authorized representative shall remain present at the time of inspection. The licensee shall check the feasibility of supply and if found feasible, shall fix the point of entry of the supplier's line, the position of meter, metering equipment and other equipments of the supplier. The consumer may with the written permission of the licensee house his own HT switchgear and other apparatus connected with supply of energy to him under the agreement signed between the

consumer and the licensee and these must necessarily be placed therein; but such enclosure shall not be used for any other purpose. The licensee may insist on use of 'Ariel Bunched Cable', wherever considered appropriate, for the last span. The difference of cost of the last span on account of laying of 'Ariel Bunched Cable' in place of overhead bare conductor shall be borne by the licensee. The licensee will insist on the consumer to provide cubicle in case of HT installation.

4.68 Supply to HT industrial consumers shall normally be given through HT feeder exclusively meant for industries. It may be preferable to extend supply through a separate feeder from the nearest 33/11 KV or EHT substation in case of consumers with continuous process industry(ies) or load of 3 MVA or more.

4.69 Supply to new HT consumer (both at 11 KV or 33 KV) shall normally not be extended from a rural feeder. If due to the prohibitive cost of extension of separate feeder from the nearest 33/11 KV or EHT sub station, or for any other reason, supply is given from a rural feeder, the consumer shall be informed that the supply shall be restricted and regulated in accordance with the restrictions imposed on the rural feeders as per grid conditions. Such consumer may be required to furnish a declaration to the licensee indemnifying the licensee for the restrictions in supply.

4.70 Within 30 days of intimating the feasibility, the licensee shall intimate the consumer the charges required to be paid for the cost of extension, if any, and the amount of security deposit and other charges, if any. Copy of the draft agreement shall also be forwarded simultaneously.

4.71 After the payment of charges including security deposit, and execution of the agreement, the licensee shall take up the work of extension of mains. If the consumer wishes, he may execute the job on his own after payment of due supervision charges to the licensee. The work shall be completed within 90 days if extension work is required. The licensee shall inform the consumer of the availability of supply, after completion of extension of mains up to the consumer's premises, including installation of proper metering arrangement. After completion of the installation, the consumer shall furnish to the licensee the test report and the permission from the Electrical Inspector to energize the installation. In case of mines, the permission from the Inspector of Mines shall also have to be furnished. Where applicable, the permission from statutory authorities like Water and Pollution Control Board shall also have to be furnished. On receipt of the reports, the licensee shall intimate the consumer in writing the date of inspection and testing of the consumer's installation. In case the consumer's installation is found in order, the licensee shall seal the meter in the presence of the consumer and serve the connection.

(I) Supply at E.H.T. :

4.72 On receipt of an application in the prescribed form (Annexure-2) for supply of energy at E.H.T., the licensee shall inform the consumer in writing the date of inspection to check the feasibility of supply. The licensee and the Transmission Licensee shall carry out the inspection jointly. The consumer or his authorized representative shall remain present at the time of inspection. The two licensees shall check the feasibility of supply and if found feasible shall fix the point of entry of the supplier's line, the position of meter, metering equipment and other equipments of the supplier. Normally the EHV line shall not be tapped. The Licensee shall intimate the feasibility of supply within 30 days of receipt of the application.

4.73 Within 60 days of intimating the feasibility, the licensee shall inform the consumer the charges required to be paid for the cost of extension, if any, and the amount of security deposit and other charges, if any. Copy of the draft agreement shall also be forwarded simultaneously.

4.74 After the payment of charges including security deposit and execution of the agreement, the licensee shall request the Transmission licensee to take up the work of extension required to give supply. If the consumer wishes he may execute the job through licensed contractor on payment of due supervision charges to the licensee. The work shall be completed within 180 days.

4.75 After the consumer executes his internal electrical works, he shall furnish to the licensee the test report and the permission from the Electrical Inspector to energize the installation (refer rule 47 of the Indian Electricity Rules, 1956). In case of mines, the permission from the Inspector of Mines shall also have to be furnished. Where applicable, the permission from statutory authorities like Water and Pollution Control Board shall also have to the furnished. On receipt of the reports, the licensee shall intimate the consumer in writing the date of inspection and testing of the consumer's installation. If the consumer's installation is found in order, the licensee shall seal the meter in the presence of the consumer and serve the connection.

4.76 Nothing contained in this chapter shall be taken as requiring a licensee to give supply of electricity to any premises if he is prevented from doing so due to force majeure conditions provided in clause 12.1.

4.77 The following table gives the target period of completion of various activities:

S. No.	Type of Service	Time Limit for Rendering the Service
1	**LT connection**	
a)	Notice of inspection on receipt of complete application	3 working days
b)	Inspection after sending notice	
	a) Urban areas	2 working days
	b) Rural areas	5 working days
c) i	Issue of demand note to the applicant for payment of estimated charges (if extension work is not required and the connection is to be given from the existing network)	
	a) Urban areas	5 working days
	b) Rural areas	7 working days
ii)	Issue of demand note to the applicant for payment of estimated charges (if the extension work or enhancement of transformer capacity is required)	
	a) Urban areas	10 working days
	b) Rural areas	22 days
d)	Serving of power availability notice for commencement of supply/ Commencement of supply in areas where licensee's distribution system exists	
i)	After payment of necessary charges (if the connection is required to be given from existing network)	
	a) Urban areas	15 working days
	b) Rural areas	15 working days

ii)	After payment of necessary charges (if extension work or enhancement in transformer capacity is required) a) All connections excluding agriculture b) Agricultural connection during season when clear access to fields is available c) Agricultural connection during season when no clear access is available	 60 days 90 days 180 days from the date access is made available
2.	**High Tension Connection** a) Informing feasibility after receipt of the application b) Issue of demand note of estimated charges (after issue of notice of feasibility) c) Serving of power availability notice for commencement of supply/ release of connection after receipt of estimated charges subject to receipt of clearance from Electrical Inspector i. If no extension work is involved ii. If extension work is involved	 15 working days 30 days 30 days 90 days
3.	**Extra High Tension Connection** a) Informing feasibility after receipt of the application b) Issue of demand note of estimate charges after issue of notice of feasibility c) Serving of power availability notice for commencement of supply/ release of connection after receipt of estimate charges	 30 working days 60 days 180 days (Since it will involve extension of line) (subject to receipt of clearance from Electrical Inspector)

4.78 The licensee shall maintain a priority register where the type of connection will be categorised in the following categories

(a) Where no extension of distribution mains is required

(b) Where extension of distribution mains upto two poles is required

(c) Where extension of distribution mains of more than two poles is required

4.79 The Commission may for reasons to be recorded, direct deviations from the above clause 4.1 to 4.78 if in the opinion of the Commission the circumstances warrant such deviation. The Commission may issue such direction by an order to the licensee.

CHAPTER 5: POINT OF SUPPLY AND LICENSEE'S EQUIPMENT IN PREMISES

Point of Supply:

5.1 Unless otherwise agreed to, the point of supply shall be at the out-going terminals of the licensee's:

(a) cut-outs in the case of LT consumers; and

(b) control switchgear that may be installed in the licensee's or consumer's premises as agreed to mutually in the case of HT or EHT consumers.

5.2 Supply shall be given at a single point in the premises (refer clause 4.17) at the incoming terminals of the licensee's cut-outs/ MCB/ control switchgear. However in case of coal mines the licensee may provide supply at more than one point in the installation of the consumer having regard to the physical layout of the installation and the requirements of the consumer.

Dedicated Feeder

5.3 Consumers desirous of getting power supply from dedicated feeders may request for such facility to the licensee. The dedicated feeder may be extended from the power substation to the consumer's point of supply. In such cases the consumers shall be liable to pay the cost of bay and all protection switchgears and its accessories provided at the power substation for this feeder in addition to the cost of the feeder. On receipt of such request, the licensee will check the feasibility based on merit of providing a dedicated feeder to the consumer's premises. Such dedicated feeder shall be the property of the licensee and shall be maintained by the licensee. Such feeder shall not be used to extend supply to any other consumer within the initial period of two years from the date of commissioning.

Licensee's Equipment on Consumer's Premises

5.4 The consumer shall provide free of cost to the licensee necessary land belonging to the consumer and afford all reasonable facilities for bringing in not only the direct cables or overhead lines from the licensee's system for servicing the consumer, but also cables or overhead lines connecting licensee's other consumers and shall permit the licensee to install all requisite switchgears and connections thereto on the above premises and to extend supply to such other consumers through the cables and terminals situated on the consumer's premises, provided supply to the consumer in the opinion of the licensee is not thereby unduly affected.

5.5 The meter, cut-out/ MCB, service mains and other equipment belonging to the licensee / provided by the consumer must on no account be handled or removed by any one who is not an authorized employee/representative of the licensee. The seals, which are fixed on the meters /metering equipments, load limiters and the licensee's apparatus, must on no account be tampered, damaged and broken. The responsibility for the safe custody of licensee's equipments and seals on the meters/metering equipments within the consumer's premises shall be on the consumer.

5.6 In the event of any damage caused to the licensee's equipments in the consumer's premises by reason of any act, neglect or default of the consumer or his employees/ representatives, the cost thereof as claimed by the licensee shall be payable by the consumer. If the consumer fails to do so on demand, it shall be treated as a contravention of the terms and conditions of supply agreement and the supply shall be liable to be disconnected after due notice. The consumer shall however be liable to pay the charges as per the provisions in clause 7.20 of this Code.

5.7 The licensee is responsible for maintaining the meters and equipments, installed at consumer's premises from where electricity is supplied to the consumer.

Failure of fuse / supply:

5.8 The licensee's service fuse or fuses fail at any time, complaint thereof should be sent to the licensee's local office as specified in the " Internal Grievance Redressal Mechanism" approved by the Commission. Only authorized employees possessing the photo-identity card of the licensee are permitted to replace these fuses in the licensee's cut-outs. Consumers are not allowed to replace these fuses. The licensee should not allow its employees to carry out any repairs in the consumer's installations.

5.9 The licensee shall take all reasonable precautions to ensure continuity of supply of electrical energy to the consumer but shall not be responsible for or liable to the consumer for any loss to him or damage to his plant and equipment due to interruptions in supply of electrical energy due to force majeure conditions provided in clause 12.1.

5.10 The licensee shall always be entitled for the purpose connected with the working of its supply system to temporarily discontinue the supply for such period as may be necessary, subject to reasonable advance notice being given in this behalf, with the object of causing minimum inconvenience to the consumer.

CHAPTER 6: WIRING AND APPARATUS IN CONSUMER PREMISES

Wiring and installation of equipments and apparatus in consumer's premises

6.1 For the protection of the consumer and the public in general, it is necessary that the wiring on the consumer's premises should conform to the Indian Electricity Rules, 1956, and the rules of the Fire Insurance Company in terms of which the building is insured and be carried out by a licensed electrical contractor. The materials used for wiring shall conform to the relevant specifications of the Bureau of Indian Standards or its equivalent. Wherever applicable the materials used shall bear ISI mark. As soon as the consumer's installation is completed in all respects and tested by the consumer's contractor, the consumer should submit to the licensee, the contractor's test report. The test report form (Annexure-4) for this purpose shall be submitted to the local office of the licensee. It is important that the conditions stated therein are fully complied with, as otherwise there may be a delay in obtaining the supply.

6.2 As required by rule 45 of the Indian Electricity Rules, 1956, no electrical installation work, including addition, alteration, repair and adjustment to existing installation - except the replacement of lamps, fans, fuses, switches and other component parts of the installations - which in no way alter the capacity or character of the installation, shall be carried out in the premises on behalf of any consumer or owner for the purpose of supply of energy to such consumer or owner, except by an electrical contractor licensed by the State Government in this behalf and under the direct supervision of a person holding a certificate of competency or by a person holding a permit issued or recognized by the State Government.

6.3 Any breach of rule 45 shall render a person liable to punishment under rule 139 of the Indian Electricity Rules, 1956.

6.4 Provisions of rule 32 of the Indian Electricity Rules, 1956 should be complied with in respect of consumer's installation. No cut-out, link or switch other than a linked switch arranged to operate the earthed and live conductors simultaneously, shall be inserted in the conductor of the consumer's installation to be connected to the neutral conductor of the licensee's system.

6.5 The consumer's mains shall, in all cases, be brought back to the licensee's point of supply and sufficient cable shall be provided for connecting up with the licensee's apparatus.

General Wiring Conditions:

Mains:

Switches and Fuses:

6.6 The consumer shall provide proper linked quick-make and break main switches of requisite capacity to carry and break current in each conductor near the point of commencement of supply. The switches in the consumer's premises shall be on the live wire and the neutral conductor shall be marked for identification where it leaves the consumer's main switch for connecting up to the meter.. No single pole switch or cut-out should remain inserted in any neutral conductor.

Balancing of load:

6.7 The consumer taking three-phase supply shall balance his load between the phases as per the IE Rules , 1956 Annexure VI, clause 22 (c).

Earthing:

6.8 Gas and water pipes shall on no account be used for earthing purposes. All wiring shall be kept as far as possible away from gas and water pipes.

Domestic appliances:

6.9 For the safety of the wiring at the consumer's premises, separate circuit for heaters, geysers, air-conditioners and for cooking apparatus like oven, micro wave oven shall be run with adequate size of wire from the main distribution board of the consumer. Wall plugs used on the circuits for domestic appliances shall be of the three-pin type, the third pin being connected to "earth". Two pin plugs shall not be allowed. All appliances used in bathroom for heating or washing purposes or in any damp location must be effectively earthed.

Plugs:

6.10 All plugs shall be provided with switches on the live wire and not on the neutral (IE Rules, 1956 Annexure VI, clause 22 (h)).

Apparatus interfering with licensee's system

6.11 The licensee may discontinue the supply giving reasons if the consumer installs any instrument, apparatus that are likely to affect adversely, the supply to other consumers. Supply shall be restored on taking appropriate remedial action to the satisfaction of the licensee.

A.C. motor installations:

6.12 The motor shall be provided with control gear so that the starting current of consumer's installation does not in any case exceed the limit given in the following schedule:

Nature of supply	Size of installation	Limit of starting current
Single Phase.	Up to and including 1 BHP	Six times full load current
Three phase.	Above 1 BHP and upto and including 10 BHP	Three times full load current
	Above 10 BHP and up to and including 15 BHP	Twice full load current.
	Above 15 BHP	one and a half times full load current.

Failure to comply with these regulations will render the consumer liable for disconnection.

Consumer's Apparatus

6.13 The apparatus/ appliances/ gadgets used by consumers should conform to the standards and specifications prescribed by the Bureau of Indian Standards or equivalent.

Power Factor of Apparatus:

Welding Transformers:

6.14 All LT installations where the connected load of welding transformers exceeds 25% of the total connected load will be required to have suitable capacitor(s) installed so as to ensure power factor of not less than 85%. Consumers shall be liable to pay penalty specified by the Commission, from time to time, on account of poor power factor.

Low Tension Shunt Capacitor:

6.15 Every L.T. consumer, including irrigation pump set consumer, whose connected load includes induction motor/s of capacity of 3 BHP and above, shall arrange to install low tension shunt capacitors of appropriate capacity at his cost across the terminals of his motor/s. The following table indicates the details of ratings of capacitor vis-à-vis capacity of induction motor as a general guideline, however, the consumer shall ensure that the capacitors installed by him are properly matched with the actual requirement of the motors so as to ensure power factor of 85% and above. Where the meters capable of recording power factor have been installed, the average monthly power factor of connection shall be worked out on the basis of actual recording, irrespective of the capacitors ratings mentioned in the table below.

Sr. No.	Rating of Individual Induction Motor	KVAR Rating of LT Capacitors
1	3B HP and above up to 5 BHP	1
2	Above 5 BHP up to 7.5 BHP	2
3	Above 7.5 BHP up to 10 BHP	3
4	Above 10 BHP up to 15 BHP	4
5	Above 15 BHP up to 20 BHP	5
6	Above 20 BHP up to 30 BHP	6
7	Above 30 BHP up to 40 BHP	7
8	Above 40 BHP up to 50 BHP	8
9	Above 50 BHP up to 100 BHP	9

Supply to LT installations with induction motor/s of capacity of 3 BHP and above will not be given unless suitable capacitors to improve power factor are installed.

6.16 All LT consumers, other than consumers covered in clause 6.15, with load of 50 KW or above, shall install capacitor of appropriate capacity so as to ensure power factor of 85% and above. Consumers shall be liable to pay penalty as may be specified by the Commission, from time to time, on account of poor power factor.

6.17 Any LT consumer, who fails to provide LT capacitors as specified hereinbefore, or does not keep them in proper working order, would be liable to pay a surcharge as may be specified in the tariff from time to time. However, if meter capable of recording power factor indicates power factor of 0.85 or above, the power factor surcharge shall not be levied even if capacitors of ratings given in above table (clause 6.15) are not installed/available. Levy of power factor surcharge as indicated in the approved tariff, shall be without prejudice to the right of the licensee to disconnect the consumer's installation till steps are taken to improve the power factor by installing suitable shunt capacitors.

6.18 The licensee may discontinue supply, after a notice of 15 days, to any installation where the average power factor is less than 70% without prejudice to the right of the licensee to levy demand/ minimum charges as applicable during the period of disconnection.

High Tension Consumers:

6.19 The following controls shall be installed (refer rule 50 of IE Rules)

(a) A linked switch with fuse(s) or a circuit breaker for consumers having aggregate installed transformer/ apparatus capacity up to 1000 KVA if supplied at voltage of 11 KV and 2500 KVA if supplied at a voltage of 33 KV.

(b) A circuit breaker along with linked switch for consumers having an aggregate installed transformer/ apparatus capacity above 1000 KVA if supplied at 11 KV and above 2500 KVA if supplied at 33 KV.

(c) In either case, suitable automatic circuit breakers shall be installed on the low-tension side of each transformer or on each feeder.

Extra-High Tension Consumer

6.20 Extra-High Tension consumer shall install a circuit breaker on HV side of the transformer (refer rule 50 of IE Rules).

HT/ EHT Consumers

6.21 All transformers, switch-gears and other electrical equipments in the installation of the consumer and also those directly connected to the feeders or lines of the licensee shall be of suitable design and be maintained by the consumer to the satisfaction of the licensee. The setting of fuses and relays on the consumer's control gear, as well as the rupturing capacity of any of his circuit breakers, shall be subject to the approval of the licensee.

6.22 Notwithstanding the provisions under clause 6.19, it is necessary that the consumer should obtain prior approval of the Electrical Inspector about the suitability of protective devices or circuit breakers in accordance with the provisions of the prevailing laws, rules and regulations.

6.23 The consumers shall maintain a power factor of 90% and above. Consumers shall be liable to pay penalty or receive incentive, as may be specified by the Commission, from time to time, on account of variation from specified power factor. The licensee may discontinue supply, after due notice of 15 days, to any installation where the average power factor is less than 70% without prejudice to the right of the licensee to levy demand/ minimum charges as applicable during the period of disconnection.

Inspection and Testing of Consumer's Installation

6.24 Before any wiring or apparatus in the case of low-tension consumer, and any transformer, switchgear or other electrical equipment in the case of high-tension consumer is connected to the system, it shall be subject to inspection and approval of the licensee and no connection shall be made without the licensee's approval. In addition, all high-tension installations will have to be approved by the Electrical Inspector and all electrical installations in mines will have to be approved by the Inspector of Mines.

6.25 Upon receipt of the test report, the licensee will notify to the consumer the time and day when the licensee proposes to inspect and test the installation. The consumer shall ensure that the licensed electrical contractor or his representative, technically qualified, employed by him is present at the time of inspection to furnish to the licensee any information concerning the installation required by him. The licensee shall provide a copy of the inspection report to the consumer and obtain the acknowledgement of the consumer.

6.26 Manufacturer's test certificate in respect of all H.T. apparatus shall be produced, if required.

6.27 The licensee shall not connect the conductors and fittings on the consumer's premises with its works unless it is reasonably satisfied that the connection will not at the time of making connection cause a leakage from the installation or apparatus of a magnitude detrimental to safety. The value of the insulation resistance should be as provided in rule 48 of I.E. Rules, 1956.

6.28 If the consumer's installation is found to be not safe for connection, the licensee shall advise the consumer in writing specifying the defects to be rectified. On receipt of intimation of rectification of defects, the licensee shall retest the installation.

6.29 The licensee shall levy no charge for the first test. Subsequent tests, necessitated due to faults found at the initial test shall be charged for in accordance with the rates approved by the Commission. The licensee will not accept any responsibility with regard to the maintenance or testing of wiring on the consumer's premises.

Extensions and Alterations:

6.30 No electrical installation work, including additions, alterations, repairs and adjustments to existing installations, except such replacement of lamps, fans, fuses, switches, low voltage domestic appliances and fittings as in no way alters its capacity or character, shall be carried out upon the premises of or on behalf of any consumer, for the purpose of supply to such consumer except by an electrical contractor licensed in this behalf and under the direct supervision of a person holding a certificate of competency. Extension or alteration of load to all high-tension installations will have to be approved by the Electrical Inspector and similarly for all extensions and alterations of electrical installation in mines will have to be approved by Inspector of Mines.

6.31 If as a result of such proposed extensions and alterations, there is possibility of an increase in connected load or contract demand over the sanctioned connected load or contract demand, the consumer shall take steps to submit requisition for additional supply. Failure to regularize the increase in connected load or contract demand may not only result in billing at the penal rates, as provided for under the rules, but may also result in disconnection of supply after due notice.

Access to Consumer's Premises for inspection of Consumer's Installation

6.32 The authorized persons of the licensee are entitled, at any reasonable time and on informing the occupier of their intention, may enter the premises of the consumer to which energy is supplied, for the purpose of inspecting and reading meters on the consumer's premises, for disconnecting supply, for removing the licensee's apparatus, for testing, repairs, replacing, altering and maintenance of its property or for doing all things necessary or incidental to proper continuance and maintenance of supply to the consumer. All such persons visiting consumer's premises must carry photo-identity cards issued by the licensee and shall produce the same to the consumer or the occupier before entering the premises. The consumer should immediately check with the licensee if the credentials of representatives are in question.

6.33 The licensee or his authorized person shall be entitled to enter the premises immediately after informing the consumer, for checking unauthorised use of energy, unauthorized additions and alterations to equipment, theft and misappropriation of energy, diversion of power, by-passing or tampering of the meter, or for general inspection and testing. On detection of unauthorised use of energy, unauthorized additions and alterations to equipment, theft and misappropriation of energy, diversion of power or bypassing or tampering of the meter the licensee may take actions as per the provisions of the Act.

6.34 Inspection, testing or checking of any domestic place or domestic premises however shall not be carried out between sunset and sunrise except in the presence of an adult male member occupying such premises.

6.35 If the consumer does not provide reasonable facility to the licensee to enter the premises for the purposes stated in clause 6.32 and clause 6.33, the licensee may give 24 hours' notice in writing to the consumer, of its intention to discontinue the supply. If the consumer still does not provide access, the licensee shall be entitled to discontinue supply to the consumer.

6.36 If the insulation resistance of the consumer's installation is found to be so low as to prevent safe use of energy, the licensee or his authorized representative after giving 48 hours notice shall, without prejudice to other actions as per law, disconnect the supply of power to the premises till the defects are removed, in accordance with rule 49 of Indian Electricity Rules 1956.

Rating of Installations:

6.37 The connected load [refer clause 2.1(k)] of domestic category of consumers shall be determined as per the procedure given in Annexure 3. Normally survey of load shall be carried out once in two years. The licensee may also carryout verification of load in selected areas periodically. However, if the licensee has reasons to believe that a particular domestic connection or a group of domestic connections might be involved in unauthorised abstraction of power, the officer in-charge may conduct a survey of the consumer's premises.

6.38 The licensee shall send forms of 'self declaration of connected load' to all consumers once in an year. The consumers may fill-up the form, if his actual current connected load is at a variance from the recorded connected load. The domestic consumers may also declare enhanced connected load of their premises, any time during the year, by completing the form given in Annexure-3 and submitting the same to the licensee along with an application for change in connected load.

The licensee may arrange to conduct a survey of the premises of the consumer to determine the load of the premises. In case such a survey is not carried out within thirty days from the date of submission and the load applied for is higher than the recorded load of the consumer, the load declared by the consumer shall be deemed to have been accepted. The licensee shall issue the demand note for additional charges, if any, immediately.

6.39 The connected load of all categories other than domestic category of consumers shall be the aggregate of the manufacturer's rating of all energy consuming devices, in the consumer's premises, which can be used simultaneously. This shall be expressed in KW, KVA or HP. During the process of determination of connected load, if the manufacturer's rating is not available or doubtful. the licensee may use suitable apparatus to determine the load of the item. If, both air-conditioner and room heater are found in the same premises, the load of the item with higher rating shall be taken into account. Items stocked for the purpose of sale/ repair or as genuine spare shall not be considered for the purpose of determination of connected load. The licensee shall carry out periodic survey of streetlights and record the type of lamps being used along with their load.

6.40 All installations other than those of domestic category are subject to rating/re-rating by the licensee at its discretion. If the consumer is not satisfied with the rating determined by the licensee, he may get his apparatus rated by one of the engineering institutes approved by the licensee for determination of load of apparatus. Both the consumer and the licensee may depute their respective representatives to be present during the process of determination of load at the institute. The final report issued by the institute shall be accompanied with the details of test(s) conducted. The rating determined by the said institute shall be final and acceptable to both the consumer and the licensee.

6.41 Where for any reason, it is not possible to determine the maximum demand, power factor or any other electrical quantity in respect of an installation, the licensee shall determine such quantities periodically by rating/re-rating, which shall be binding on the consumer. For arriving at conclusion on re-rating the licensee shall be at liberty to install a meter having facility to record maximum demand, power factor etc.

6.42 If a consumer applies to the licensee for re-rating his installation due to additions or alternations in the installation, the procedure as stated in clause 7.3 to clause 7.14 shall apply.

Generator in the Consumer's Installation and Parallel Operation with the Supply System of the Licensee

6.43 Operations of a generator in the consumer's installation to run in parallel with the licensee's system is permissible only with the written consent of the licensee.

6.44 Where no such consent has been given, the consumer shall arrange the plant, machinery and apparatus of his generating units, including an extension of or addition to the same, to operate in an isolated mode and the generator, in no case, should get connected to the licensee's system. The licensee, on intimating the consumer, can enter the premises and inspect the arrangement to ensure that at no time the generator gets connected to its system.

6.45 Where consent has been given for parallel operation, the consumer shall arrange his installation to be protected from disturbances in the licensee's system. The consumer should also ensure that his supply does not get incorrectly connected to the licensee's system. The licensee shall not be liable for any damage caused to the consumer's plant, machinery and apparatus on account of such parallel operation, or any adverse consequence arising thereof. For parallel operation with the grid, the consumer shall have to follow the provisions of the relevant Grid Code and other regulations and payment of charges as approved by the Commission. The actual operations shall be carried out in coordination with both the State Transmission Utility and the licensee.

6.46 In case the consumer's supply gets extended to the licensee's system from a generator or inverter or from any other source, without appropriate approval from the licensee, causing damage to the licensee's apparatus or to human life, the consumer shall be liable for the same and shall duly compensate the licensee for all losses caused to the licensee or to the licensee's other consumers.

Harmonics

6.47 If the licensee detects and proves to the consumer that the consumer's system is generating harmonics above acceptable limits, the licensee may ask the consumer to install appropriate harmonic filter within a reasonable period of time . The tolerance limits of harmonic injections are as follows:-

EHT	- THD	- 3%
HT		- 4%
LT		- 6%

CHAPTER 7: CONTRACT DEMAND, AGREEMENT, SECURITY DEPOSIT

Contract Demand

LT Consumers without Maximum Demand (MD) based (two part) tariff

7.1 The Contract Demand for LT consumers without MD based (two part) tariff will be the connected load of the premises as per the agreement entered into between the consumer and the licensee.

LT Consumers with MD based tariff and all HT and EHT consumers

7.2 The Contract Demand shall be as per the agreement entered into between the consumer and the licensee and having regard to the requirement of the consumer's installation.

Procedure for Enhancement of Contract Demand

7.3 Applications for enhancement of load shall be submitted in duplicate to the licensee in the prescribed form (Annexure-1 and 2).

7.4 The licensee shall examine the feasibility of supply of the enhanced load within thirty days and inform the consumer:

(a) whether the additional power can be supplied at the existing voltage or at a higher voltage;

(b) addition or alterations, if any, required to be made to the system and the cost to be borne by the consumer;

(c) amount of additional security deposit, cost of additional infrastructure and the supply arranging charges, if any, to be deposited; and

(d) change in the classification of consumer, if required.

7.5 The application for enhancement of the contract demand will not be accepted if the consumer is in arrears of payment of the licensee's dues. However, the application may be accepted if the payment of arrears due from the consumer has been stayed by a court of law, or by the Commission or an authority appointed by the Commission or facility has been granted by the licensee for payment of arrears in instalments.

7.6 If the supply of enhanced load is feasible, the consumer shall:

(a) furnish work completion certificate of consumer's installation and test report from a licensed electrical contractor where alteration of installation is involved.

(b) furnish letter of approval for the electrical installation of the consumer from the Electrical Inspector, and other statutory clearance as required under other regulations in force, if required. Similarly, approval from Inspector of Mines shall be provided for additional load to be provided for electrical installation for mines.

(c) pay additional security deposit, cost of addition or alteration required to be made to the system, if any, and the supply arranging charges, if applicable.

(d) execute a supplementary agreement.

7.7 If no addition or alteration to the system including new/ alternate metering arrangement is required, the enhanced load will be released from a date as stated in the new agreement after completion of the requisite formalities. If the system needs any alteration or addition, the procedure as given for a new connection shall be followed.

7.8 In case of Railways traction, the consumer may be provided such additional supply in excess of contract demand as may be agreed between the licensee and the consumer after the latter has given due notice of six weeks in writing of his desire to have the contract demand altered.

Procedure for Reduction of Contract Demand

7.9 Generally no application for reduction of contract demand / connected load shall be entertained by the licensee within the initial period of agreement, which is two years from the date of commencement of contract. However, if the consumer is able to satisfy the licensee of the compelling reasons for reduction in contract demand/connected load, reduction to the extent of 50 percent of the contract demand/connected load shall be permitted once during the period of agreement.

In case of domestic light and fan consumers, the agreement can be terminated after giving one month's notice on either side at any time, even within the initial period of agreement.

7.10 Applications for reduction of load, after the expiry of initial period of agreement, shall be filed in duplicate with the licensee in the prescribed form along with the following documents:

(a) Details of alteration/ modification/ removal of the electrical installation with work completion certificate and test report from a licensed electrical contractor where alteration of installation is involved.

(b) Any other reason for reduction of contract demand.

(c) Details of generators, if any, installed by the consumer along with copies of the safety clearance certificate issued by the competent authority for installation of the generators.

7.11 On receipt of the application for reduction of load, the licensee shall take the following steps:

(a) The licensee shall consider the grounds stated in the application, verify the same and decide the application within a period of 60 days by a reasoned speaking order. If the consumer is not satisfied with the decision of the licensee, an appeal can be made to the Electricity Grievance Redressal Forum set up by the licensee under section 42 (5) of the Act and then to the Electricity Ombudsman as appointed or designated by the Commission under section 42 (6) of the Act whose decision shall be final subject to such remedy as may be available under any statute.

(b) If the application is not decided by the licensee within the above-mentioned period of 60 days, the applicant may, by a written notice to the licensee, draw its attention to the matter and if no decision is still communicated to him within the period of further 30 days, the permission of reduction of contract demand shall be deemed to have been granted.

(c) The reduction of contract demand shall take effect from the first day of the month following the month in which the decision is communicated or permission is deemed to have been granted.

7.12 After expiry of the initial period of agreement, the consumer may apply for reduction of his contract demand upto any extent. The above reduction is subject to permissible minimum contract demand specified in clause 3.4. In case the consumer reduces the contract demand with the utility and sources power from another supplier, he shall be liable to pay additional surcharge as provided in Section 42 (4) of the Act.

7.13 In all existing agreements executed prior to this Code coming into effect, if there is any provision regarding restriction on reduction of contract demand, the same shall be deemed to have been modified to the extent of the provisions made in this Code.

7.14 When reduction of contract demand is agreed to, the consumer shall execute a supplementary agreement. The licensee shall recalculate the security deposit and any excess security deposit shall be adjusted in equal instalments in five succeeding bills.

Agreement

7.15 An agreement, in the standard form, shall be executed by the applicant on the stamp paper of a prescribed value, for getting a new connection and for change in the agreed parameters like contract demand. In case of any special circumstances, special clauses may be added to the agreement, if agreed to between the licensee and the consumer, provided such clauses do not contravene the provisions of the Act, this Code, and other rules and regulations in force. These special clauses shall form a part of the agreement. A copy of the agreement shall be given to the consumer after execution. The maps submitted, agreed upon and signed by both the consumer and the licensee shall form a part of the agreement.

7.16 The licensee shall modify the structure of the agreement form presently in use and to bring it in conformity with the provisions of this Code.

7.17 If there is a need to modify/ amend the agreement signed between the licensee and consumer, it may be done by a supplementary agreement.

7.18 Any amendments for the purpose of change of name, shifting of premises or change in connected load shall be done if both the consumer and the licensee agree to these amendments and the same shall be incorporated in the agreement by execution of a supplementary agreement.

Termination of Agreement

7.19 If power supply to a consumer remains disconnected for a period of sixty days for non-payment of charges or dues or non-compliance of any direction issued under this Code, the licensee shall issue a show cause notice, to be replied within seven days, to the consumer for termination of the agreement. In case no effective steps are taken by the consumer for removing the cause of disconnection and for restoration of power supply, the agreement of the licensee with the consumer for power supply shall be terminated on expiry of the period of seven days, provided the initial period of the agreement is over. During the period of temporary disconnection the consumer shall be liable to pay the demand charges or minimum charges.

7.20 Domestic and single-phase non-domestic category of consumers may terminate the agreement after giving one month's notice. All consumers other than domestic and single-phase non-domestic category can terminate the agreement after the expiry of the initial period of two years on giving one month's notice. However, if the agreement is to be terminated for reasons whatsoever, for categories other than domestic and single phase non-domestic, before expiry of the initial period of agreement, the consumer shall be liable to pay charges as per tariff for the balance period of the said two years. The licensee shall arrange for special meter reading, at a mutually acceptable date, to facilitate preparation of the final bill of the consumer. The agreement shall be terminated on the last day of the month and the licensee shall raise the final bill accordingly.

7.21 On termination of the agreement, the licensee shall be entitled to remove the service line and his other equipment from the premises of the consumer for supply of power. After permanent disconnection, if the consumer wishes to revive the connection, his application for the same would be treated as an application for new connection and would be entertained only after all outstanding dues have been cleared.

Miscellaneous

7.22 No consumer shall sell electrical energy supplied to him by the licensee to any other person.

7.23 In case of breakdowns in electricity supply system of the licensee, the supply of electricity to the consumer may be curtailed, staggered or cut-off as may be warranted according to the situation. The licensee may also curtail, stagger or cut-off electricity supply to consumers on account of periodical maintenance of electricity supply system, after giving due notice to the consumers.

7.24 The licensee may resort to regulation of supply (planned load-shedding) to the consumers, after due notice, if the Commission orders accordingly as per the provisions of section 23 of the Act.

7.25 The electrical energy supplied to the consumer shall not be utilized by the consumer in any manner prejudicial to the licensee and all usage must be in accordance with the provisions of the agreement and the Acts as applicable.

7.26 No consumer shall divert the use of energy to any other purpose, other than that mentioned in the agreement or extend the line beyond its premises other than that for which it was sanctioned by the licensee, until and unless prior sanction of the licensee is obtained for such diversion or extension.

7.27 Where the consumer's installation is disconnected from the licensee's supply as per direction of the Government, the Electrical Inspector or other appropriate authority, the supply shall be reconnected on payment of prescribed reconnection fee with the approval of the Government or the Electrical Inspector or other appropriate authority, as necessary. During the period of temporary disconnection the consumer shall be liable to pay the demand/ minimum charges.

Security Deposit

Provisions regarding security deposits shall be according to the provisions of section 47 (1) and (4) of the Act and CSERC (Security Deposit) Regulations-2005

Initial Security Deposit

7.28 The licensee may take a security deposit from the consumers for consumption equivalent to the estimated consumption of specific number of days as indicated in the following table

Sr. No.	Nature of Consumer	No. of Days	Remarks
1	Agricultural	90	Annual average to be estimated/considered
2.	Stone crushers, hot-mix plants	90	Annual average to be estimated/considered
3.	Consumers unable to provide proof of legal occupation	90	Annual average to be estimated/considered
4.	Other consumers	45	Annual average to be estimated/considered

7.29 Consumer shall have the option to make advance payment and in such event security amount shall be proportionately fixed. The procedure for determination of security deposit, for different categories of consumers, shall be determined by the licensee and approved by the Commission. The deposit shall be accepted in the form of cash or draft in case of LT consumers and in the form of only draft or banker's cheque in case of HT consumers. Cheques may be accepted subject to the condition that supply will commence only on realisation of the cheque. On termination of the agreement, the security deposit will be refunded to the consumer after adjustment of the amount, if any remaining payable by him.

Additional Security Deposit

7.30 The amount of the security deposit obtained from the consumer will be reviewed by the licensee, annually on the basis of consumption during the previous 12 months for LT consumers, and half-yearly on the basis of the consumption during the previous six months for HT consumers. The consumer shall be required to pay an additional security deposit/shall be refunded the amount if one and half times the amount of monthly bill based on his average consumption during the period concerned and the tariff applicable etc. exceeds / is lower than the amount of the security deposit held by the licensee, by 20%.

7.31 In case, a consumer defaults in payment of monthly bills for more than three times in a financial year, it shall be open to the licensee to increase his security deposit from 45 days' consumption level to 90 days' consumption level.

7.32 In the case of consumers who are sanctioned additional load, the additional security deposit shall be calculated for the additional load as if it is a new service.

7.33 The licensee may allow the consumer on his request, the facility to pay additional security deposit in three instalments.

7.34 The licensee shall serve a notice of at least one month to deposit the additional security. If the consumer fails to pay the additional security deposit as per the notice, the licensee is entitled to refuse or discontinue the supply of electricity so long as such failure continue. The consumer will be liable to pay surcharge if he delays payment of security deposit.

7.35 The licensee shall pay interest at the bank rate on such security deposits taken from the consumer as per the provisions of CSERC (Security Deposit) Regulations-2005.

7.36 The security deposit shall be returned to consumer, upon termination of the agreement and after adjustment of all dues, within 60 days of completion of formalities. In case of delay beyond 60 days period, interest at the rate of 1% per month in part thereof shall be payable to the consumer.

CHAPTER 8: METERS

Requirement of Meters

8.1 No new connection shall be given without a meter and cut-out or a Miniature Circuit Breaker (MCB) or Circuit Breaker (CB) of appropriate specification from the date of issue of this Code.

8.2 All consumers shall have to accept the installation of an appropriate metering device, load-limiter, tamper proof boxes or other apparatus when the licensee approaches them to install one, and the consumer shall be required to provide appropriate and suitable site for placement of meter and related equipments to the satisfaction of the licensee.

8.3 In case of HT supply, if HT metering cannot be readily provided, LT metering may be provided on the LT side of the consumer's transformer. In such cases, electrical quantities for billing purposes shall be computed by adding three percent to the quantities registered by the LT meter towards transformation loss. This arrangement shall not continue for more than three months and the licensee shall arrange to install a meter on the HT side of the transformer within the said period.

8.4 If supply to an HT or EHT consumer is given on an independent feeder for his exclusive use, the metering arrangement may be installed either at the consumer's premises or, if mutually agreed, at the licensee's sub station.

8.5 The licensee is authorised to review the status of the meters already installed. If better meters are available because of technology up-gradation, those be introduced subject to suitability of the site where meter is placed in the consumer's premises. The licensee may install remote metering device in the consumer premises as per the technical requirements of the specific device and in such cases the consumers shall provide access to the meter through his telephone line. The licensee may also install maximum demand (MD) meter having MD recording feature and ToD features or such additional features in the consumer's premises. The licensee may also install 'check meter' at a consumer's location or for a group of consumers. In case the difference in consumption recorded by the 'check meter' and the 'billing meter' is found to be more than permissible limits, the licensee shall be free to install the billing meter on electricity pole or pillar boxes after giving due intimation in writing to the consumer.

Supply and Installation of Meters and Cut-outs/ MCBs / CBs

8.6 The licensee shall supply the meter and metering equipments, cut-out/ MCB/ CB/ load limiter to consumers at the time of serving new service connection or at any other time as required. The licensee shall keep the meter in proper working condition and the consumer shall pay the monthly rent, if any, for the meter and metering equipments at the rate approved by the Commission. If the licensee fails to keep the meter or metering equipment in proper working condition, the consumer shall not be liable to pay the meter rent for the period the meter remains defective.

Any consumer, if he so desires, can purchase and provide his own meter/metering device of the standard approved by the licensee. In such case the consumer shall maintain the meter in accurate working condition. Scheduled testing of meter/metering device will be conducted by licensee on payment of approved testing fees. Such consumers shall not be required to pay the monthly meter rent.

8.7 Meter should ordinarily be fixed outside the premises in such a manner that it is protected from the elements (weather etc.) and can be read from outside without the need of meter reader to get the premises unlocked or opened for this purpose. In special situation, the licensee may permit the meter to be fixed at a place different from the one indicated above and this permission shall be accorded by the officer not below the rank of Assistant Engineer and shall be in writing. The consumer shall run his wiring from such point of supply. The meter box shall normally be mounted at such a height that meter reading counter/ display window is at eye level. In case of LT consumers meter and the cut-out/ MCB or, in case of HT /EHT consumers, meter, circuit breakers and its associated equipment including cables shall be installed by the licensee at the point (s) of supply within the protected premises of the consumer near to main entry gate.

8.8 All new meters should be installed in a tamper-proof meter box. The licensee shall prepare and implement a phased-plan to install tamper-proof metering boxes for all the meters, which are at present installed without meter boxes.

8.9 In case of semi-permanent (kuchha) houses the licensee shall ensure that the meter is properly fixed on a wall and is accessible to the meter reader. In case the consumer does not provide good quality wall for fixing the meter, the licensee shall be free to fix the meter on the electricity pole or in a pillar-box to be provided by the licensee. The licensee shall also ensure that the earthing of the installation is proper.

8.10 In case meter is installed inside the premises the meter and other equipments of the licensee shall be placed very near to the point of entry of supplier's line, so that the metering unit is visible from outside the premises and independent/ unobstructed entry to the meter or metering cubical can be provided. Wherever required the consumer shall provide and maintain at his expense a locked and weatherproof enclosure of a design to be approved by the licensee for the purpose of housing the licensee's terminal high tension switchgear and equipment.

8.11 Whenever new meter/ metering equipment is installed (as a replacement or for a new connection), the meter shall be properly sealed on behalf of and in the presence of representatives of both the parties. Both the representatives, witness to the sealing shall affix their signatures on the specified documents mentioning their full name. The seal, name plates and distinguishing numbers or marks affixed on the meter and metering equipment shall not be broken, erased, altered or in any way interfered with by either party except in the presence of a duly authorised representative of the other party.

8.12 (i) The consumer shall be responsible for safe custody of meter(s), cut-outs/ MCB/ CB etc., except in cases where such meter(s), cut-outs/ MCB/ CB etc. are installed in the premises of the licensee.

(ii) In case a meter is lost or stolen from the premises of the consumer, the consumer shall report such matter in the police station and the supply shall be restored by the licensee after installation of a new meter at the cost of the consumer.

Testing of Meters

8.13 It shall be the responsibility of the licensee to satisfy himself regarding the accuracy of the meter before it is installed and may test it for this purpose.

8.14 The licensee shall also conduct periodical inspection/testing of the meters as per the following schedule:

(a) Single phase meters: once every five years

(b) LT 3 phase meters: once every 3 years

(c) HT meters including MDI: once a year.

CT and PT shall also be tested along with meters.

Records of these test results shall be maintained in accordance with rule 57 of Indian Electricity Rules, 1956.

In case, the licensee requires to remove the existing meter, the representatives of the licensee must produce an authenticated notice to this effect and sign the document, mentioning his full name and designation, as a receipt, before removing the meter. The consumer shall not object to such removal.

Defective Meters

8.15 The licensee shall have the right to test any meter and related apparatus if there is a reasonable doubt about the accuracy of the meter, and the consumer shall provide the licensee necessary assistance in conduct of the test. The consumer shall be allowed to be present during the testing.

8.16 A consumer may request the licensee to test the meter, if he doubts its accuracy, by applying to the licensee along with the requisite testing fee. The licensee shall test the meter within 30 days of the receipt of the application. Preliminary testing of electronic meters can be carried out in the premises of the consumers through electronic testing equipment.

8.17 In all cases of testing of a meter in the laboratory, the consumer shall be informed of the proposed date of testing at least 7 days in advance, so that he may be present at the time of testing, personally or through an authorized representative. The signature of the consumer or his authorized representative, if present, shall be obtained on the Test Result Sheet.

8.18 If a consumer disputes the results of testing, he may make a representation to the Electrical Inspector within one month from date of conveying the test result by the licensee who may decide as per the provisions of the Annexure VI , clause-18 of the Indian Electricity Rules, 1956.

Meter (Including Maximum Demand Indicator) Not Recording

8.19 The consumer is expected to intimate the licensee in writing, as soon as he notices that meter has stopped/ is not recording if the situation comes to his notice. The licensee shall acknowledge the intimation given by the consumer.

8.20 If during periodic or other inspection by the licensee, any meter is found to be not recording, or a consumer makes a complaint in this regard, the licensee shall arrange to test the meter within 7 days. In case LT consumer's meter is found defective, it should be repaired/ replaced within 15 days in urban areas, and within 30 days in rural areas. In case of HT consumers, meter should be repaired/ replaced within 15 days.

8.21 If the meter stops working and the check meter, wherever provided by the licensee, is functioning, the consumer shall pay the electricity charges on the basis of the check meter.

8.22 In case of burnt meter, the licensee shall be entitled to recover the price of the meter.

CHAPTER 9: BILLING

Meter Reading, Bill Generation and Bill Distribution

9.1 The periodicity of the meter reading for various categories of consumers is given below. The licensee may, however, improve upon the schedule if he finds it necessary or useful.

Consumer Category	Meter Reading
Domestic – Rural	Once in three months
Domestic – Urban (only under Municipal corporation, Raipur, Bilaspur, Durg and Bhilai)	Monthly
Other Domestic Urban	Once in two months
Non-Domestic <10KW – Rural	Once in two months
Non-Domestic – Others (Urban & Rural)	Monthly
LT Industrial	Monthly
Agriculture – Rural	Once in three months
Agriculture –Urban	Once in two months
Street light, Waterworks, X-Ray Plants, Electric Crematorium	Monthly
HT	Monthly (as far as practicable on the same day of the month)

In respect of domestic consumers meter should be read only during daylight hours.

9.2 The meter reader shall carry the photo identity cards provided by the licensee during the course of meter reading.

9.3 Arrangements shall be made by the licensee to display the meter reading and payment status of high value consumers on the Internet.

9.4 The consumers may retain the electricity bills in their record as the bills display the readings taken during preceding meter-reading cycles. Wherever the bills do not display these details, the consumer may bring it to the notice of the local office of the licensee.

9.5 The licensee may use hand held instruments, meter-reading instrument (MRI) or wireless equipment for recording meter readings and for the generation of bills on the spot. If bills are prepared on the basis of MRI downloads or if meter reading is taken on the basis of remote meter-reading and the consumer wishes to have a record of the reading taken, he shall be allowed to do so by the official taking the meter reading.

9.6 In case, during spot billing procedure, the licensee's representative could not take meter reading due to the absence of the consumer, the representative may leave a note and request the consumer to inform the meter reading over telephone. The consumer may thereafter take the delivery of the bill on any convenient date. However this procedure of receiving meter reading over telephone shall not extend beyond one meter reading cycle at a stretch.

9.7 It shall be the licensee's obligation to assign a unique consumer number for each consumer and communicate the same to the concerned consumer. The unique consumer number may include pole number, transformer number, 11KV feeder number, distribution centre number and division number.

9.8 It shall be open to the licensee to adopt a scheme for prepayment of energy charges for such consumers who are getting unmetered supply and the details of such prepayment scheme shall be got approved by the licensee from the Commission and shall be implemented after ensuring adequate publicity.

9.9 Bills shall be prepared for each category on the basis of the information provided in the prevailing tariff order of the Commission.

9.10 When supply to a new consumer is commenced in the middle of a month, the demand charges, minimum charges and/or any other similar fixed charges shall be levied on prorata basis for the number of days for which supply is given. The units to be charged under various blocks or slabs shall also be accordingly prorated. For the purpose of this sub-clause, a month shall be computed as 30 days.

9.11 The licensee shall inform the consumer, in the beginning of the financial year, of the

(a) date on which bill will be issued by the licensee every month to the consumer,

(b) date by which bill will be delivered to the consumer, and

(c) due date for payment of his bills.

These will normally be the due dates for all billing cycles for that consumer during that financial year. The licensee shall arrange to get the name of the bill distributor rubber-stamped and the bill distributor shall write down the delivery date of the bill on the body of the bill before it is handed over to the consumer.

9.12 Separate bills shall be issued for audit recovery and other recoveries except demand for additional security deposit. Such bills should be accompanied by the written details of basis of billing, period of billing etc.

9.13 The licensee shall endeavour to take monthly meter reading instrument (MRI) download for all connections where meters with MRI download facility are installed.

9.14 If for any reason, meter is not accessible for reading, the licensee shall send a notice in writing to the consumer to keep the meter available for reading at the time and date given in the notice. If after the notice, the consumer does not give access to the meter for reading, the licensee shall be free to send a provisional bill together with a surcharge. The rate of surcharge shall be as provided in the Schedule of Miscellaneous Charges. The provisional bill shall be prepared on the basis of average monthly consumption of the previous financial year.

9.15 The amount thus billed shall be adjusted against the bill raised on the basis of actual meter reading during subsequent billing cycle. Such provisional billing shall not continue for more than two meter reading cycles at a stretch. If the meter remains inaccessible even for the next cycle, the consumer will be served with a notice to open his premises for reading of the meter at a fixed time and date. If the meter is not accessible at the time fixed in the notice, the supply will be liable to be disconnected after serving a 24-hour notice under section 163 (3) of the Act.

9.16 It is the responsibility of the meter reader to note down the details of every stopped/ defective meter and to file a report at the end of each working day in prescribed proforma to the officer in charge of the distribution centre in case of LT consumers and officer in charge of the circle office in case of HT consumers, who shall be responsible to take immediate steps to replace or repair the stopped/ defective meter. In addition to the entry made in the meter-reading book, a separate monthly report shall be required to be given by the officer in charge of the distribution centre to the officer in charge of the sub-division and division offices, in respect of all stopped meters and the action taken to replace them.

9.17 In order to recover the energy charges for the duration when the meter remains dysfunctional, average monthly consumption of previous three meter reading cycles shall be the basis of billing. In case a check-meter is available, the readings of the meter may also be used for assessment of consumption. In case of HT consumers if during the period when the main meter is defective, the check meter is not installed or is also found defective, the quantity of electricity supplied shall be determined as stated above; provided that if in the opinion of the licensee, the conditions in the consumer's installation during the month in question were such as to render billing on such average consumption not equitable either to the consumer or to the licensee, the electricity supplied during such period shall be determined by the in charge of the local area circle of the licensee. In the event of the consumer not being satisfied with such determination, he may appeal to the in charge of the local Region of the licensee.

9.18 For low tension consumers, the defective meter shall be replaced within a period of thirty days, from the date of reporting of the fault. In case of HT consumers, meter should be replaced within fifteen days of detection of fault.

9.19 The meter reader shall furnish a list of connections where the meter reading could not be recorded or the meter has not recorded any consumption of electricity, to the officer in charge (OIC) of the Distribution Centre. The OIC shall prepare a list of such consumers where meter reading could not be taken or the defective meter could not be replaced (refer clause 8.20) within thirty days and report the same to the Assistant Engineer and Executive Engineer. The licensee shall develop and have in place a detailed document describing systems, procedure and accountability regarding replacement of defective meters.

9.20 Senior officers of the licensee shall carry out the sample checking of meter readings as per the schedule drawn out by the officer in charge of the distribution circle of the area. It should be the endeavour of the licensee that meter readings in case of at least 10% of LT meters are checked in a year by the team of officers, not below the rank of Junior Engineer.

9.21 The licensee may send bills to consumers by hand or by post (also see clause 9.11 – regarding the date of delivery of bill). In case of hand delivery of bills proof of service of bill shall be maintained at the concerned office of the licensee. On a written request from a consumer the licensee shall send it by registered post and the expenses of such delivery of bill shall be recoverable from the consumer.

9.22 The licensee shall ensure distribution of bills to consumers not less than seven days before the due date for payment in cash.

Special Reading of Meters in cases of Change of Occupancy / Vacation of Premises for Domestic Consumers

9.23 It shall be the responsibility of the owner of the connection to get a special reading done by the licensee at the time of change of occupancy or on the premises falling vacant.

9.24 The owner/user of the connection may request the licensee in writing for special reading at least 7 days in advance of the said vacancy of the premises by the existing user or change of the occupancy, as the case may be.

9.25 The licensee shall arrange a special reading to be done and deliver the final bill, including all arrears till the date of billing, on the request of consumer.

9.26 The licensee may charge reasonable fee for the above service as per the miscellaneous charges approved by the Commission.

Contents of the Energy Bill

9.27 The bill for metered connections shall have the following details:

(a) Service Connection Number

(b) Bill number

(c) Period of bill

(d) Name and address of the consumer

(e) Pole Number from which connection is served

(f) Name, address and telephone number of the distribution centre

(g) Date of issue of bill

(h) Tariff category

(i) Tariff, rate of electricity duty and cess applicable

(j) Contracted/ Connected load/ demand

(k) Single phase or three phase connection

(l) Identification details of the meter

(m) Reading date - past and present

(n) Meter reading - past and present

(o) Units assessed

(p) Credit

(q) Basis of bill.

(r) Meter rental

(s) Current month's charges - Energy Charges, fixed/demand charge, Minimum Charges, Variable Cost Adjustment (VCA) Charges, Electricity Duty, Cess, meter rent, welding/capacitor surcharge, security deposit instalment, Rebate allowed, others if any

(t) Arrear of Electricity Charges, Delayed Payment Surcharge arrears.

(u) Bill delivery charges if applicable

(v) Total charges

(w) Delayed payment surcharge

(x) Due dates of payment – for payment through cheque and cash

(y) Authority in whose favour cheque/Bank draft is to be issued. (To be printed on reverse of the bill)

(z) Security deposit held and required.

9.28 The following information would also need to be provided to the consumer as an attachment to the bill or printed/ stamped on the bill:-

(a) The names(s)/address(es) of collection centres

(b) Working hours for collection of bills.

(c) Designation and address of the authority with whom grievance pertaining to bills, meter, meter reading etc. can be lodged

(d) Any other message that the Licensee may like to give e.g. requesting the consumer to indicate their phone number, if available, on the portion of the bill retained by the licensee on receipt of payment. This information can be used for better communication with consumers.

9.29 The bill may contain additional information, if any, as desired by the licensee.

9.30 The licensee shall make arrangements to provide guidance and information to any consumer on telephone and for this purpose shall set-up call centre or centres according to the directives given by the Commission in this regard. All urban areas may be brought under this facility in the first phase and rural areas may be included thereafter. Details of payment status, arrear status, authorised load, contract demand etc may be provided to the consumer if he discloses his connection number and address. The licensee shall also develop and implement, within a reasonable time as directed by the Commission, a bill details display system on internet for division headquarter towns to begin with and later to be extended to cover all district headquarter towns. Access to this information display may be controlled through password system.

CHAPTER 10: PAYMENT AND DISCONNECTION

Payment

10.1 Consumers are expected to make payment for the energy used by them every month.

10.2 The licensee shall ensure adequate publicity of the addresses/ locations and working hours of the collection centres including those of banks where consumers can make payments. The licensee shall provide a choice of maximum alternative modes of payment to the consumers like payment through cash, local cheque, bank draft, banker's cheque, Electronic Clearing System (ECS), credit/debit card etc and a consumer shall be allowed to make payment through cheque for amounts above Rs.100/-.

10.3 During the days when there is rush at the collection window, separate queuing arrangement should be made for senior citizens, women and physically challenged persons and they should be attended on priority.

10.4 The collection centres should have the facility of receiving payment from consumers/ representatives of consumers who wish to make payments on behalf of a number of consumers. Separate counters should be provided for this purpose so that the waiting time for other consumers is not increased.

10.5 In order to reduce the workload of the collection counter, all payments of bills above Rupees five thousand should be made through cheque / banker's cheque / demand draft payable at local branch of the bank concerned.

10.6 The licensee should make arrangements to receive payment through drop boxes where the consumer may drop his cheque (crossed account payee). The licensee should keep the drop boxes at the collection centres and at other locations as notified from time to time to facilitate the payment without the need for standing in the queue. Cheques should be drawn in favour of the CSEB/ licensee. The service connection number, bill month, consumer name and address including telephone number if any should be clearly written on the back of the cheque. In case the bank levies any clearance charge, the same amount shall be recoverable from the consumer in the subsequent bill.

10.7 The due date of payment for all consumers shall normally be fifteen days from the date of issue of bill. If due date of payment mentioned in the bill is a public holiday, the succeeding working day shall be treated as the due date.

10.8 In the event of non-realisation of cheque, the licensee shall have the right to increase the security deposit from the consumer. The licensee shall also have the right to take steps such as levying cheque dishonour charges or initiating other actions as per law besides insisting on future payment by demand draft or by cash.

10.9 In case of non-receipt of bill within the specified date of receipt of bill (as stated in clause 9.11(b), the consumer may contact the bill issuing office to collect the duplicate bill and arrange payment of the bill. In case the licensee is not in a position to provide duplicate bill, the consumer shall pay on the basis of past average bill amount. The licensee shall investigate the cause of non-receipt of bill and take suitable steps to ensure that the consumer receives his electricity bills promptly thereafter.

10.10 Every consumer shall be issued a receipt in token of payment having been received.

10.11 The consumer may also be allowed to make advance payment of future bills, which shall be adjusted in the succeeding months. However, only the regular bill amount shall be adjusted from the advance payment. Before adjusting any other amount, the consent of the consumer shall be sought. The license will also consider suitable rebate in case of advance payment.

10.12 All consumers who default in the payment of the billed amount shall be liable to pay delayed payment surcharge, on the amount outstanding, at rates as approved by the Commission from time to time.

While accepting payment after the due date, the surcharge payable, shall be calculated and the additional amount payable shall be collected along with the normal billed amount.

10.13 All payments made by the consumer will be adjusted in the following order of priority:

(a) Electricity Duty and Cess on the current consumption

(b) Arrears of Electricity Duty plus arrears of Cess, if any

(c) Delayed payment surcharge

(d) Balance of arrears, if any

(e) Current bill amount

10.14 **Instalment facilities:**

The licensee will lay down a policy for grant of instalment facility for the purpose of recovery of dues subject to the approval of the Commission. The said policy shall also designate the officer(s) authorized to grant instalment facility.

10.15 **Disputed/Erroneous Bills**

(a) In the event of any objection to the billed amount, the consumer may lodge a complaint before the designated officer as mentioned in the energy bill. The supply of electricity shall not be cut off if such person deposits, under protest,

(i) an amount equal to the sum claimed from him, or

(ii) the electricity charges due from him for each month calculated on the basis of average charge for electricity paid by him during the preceding six months,

whichever is less, pending disposal of any dispute between him and the licensee.

(b) A complaint may be lodged with the designated officer in the complaint form available at the licensee's complaint receiving office. In case such form is not available in the office, complaint may be lodged on plain paper along with the following details:

(i) Name and address of the consumer along with telephone number, if any

(ii) Service connection number

(iii) Category of connection

(iv) Complaint in brief

The designated officer shall resolve the dispute within a maximum period of seven days from the date of receipt of written complaint and shall send a report to the officer in charge of the division giving reasons for the discrepancy if any.

(c) If on investigation, the licensee finds the bill to be erroneous, a revised corrected bill shall be furnished to the consumer indicating the revised due date not less than seven days of the date of delivery of revised bill. Excess amount paid by the consumer, if any, shall be adjusted in the subsequent bill(s).

(d) In case it is established that the meter reading recorded was incorrect, responsibility may be fixed and the licensee may take suitable action against the erring employee.

(e) In the event it is established that the original bill was correct, the consumer shall be informed accordingly and notified to pay the balance, if any, with surcharge as applicable within 7 days.

(f) In case the consumer is not satisfied with the decision on the dispute, he may take further action as provided in the Guidelines for Redressal of Consumer Grievance.

10.16 In case of death of a consumer, the legal heir shall be liable to pay the dues of such consumer. The legal heir should also take steps to get the connection changed in his name within a period of three months.

Disconnection

10.17 It shall be the responsibility of the licensee to ensure that no default in payment is continued beyond a reasonable period subject to a maximum of three months without action for temporary disconnection. The authorised official of the licensee will ensure that all the cases pertaining to default in payment are monitored regularly and timely action is initiated as per prescribed procedure for temporary or permanent disconnection.

10.18 If a consumer fails in payment of any bill in full, without the approval of the authorised officer, by the due date, the service connection of the consumer will be liable to be disconnected on temporary basis. Before disconnection of a consumer's installation, the licensee would serve a written notice of fifteen clear days. Effort should be made that before disconnecting a domestic connection; an adult member of the family should be informed. If the proof of removal of the cause for disconnection is produced to the satisfaction of the Licensee's employee deputed for the purpose, the supply shall not be disconnected. In this regard, the licensee shall strictly follow provisions of section 56 of the Act.

10.19 No sum due from any consumer shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity.

10.20 After temporary disconnection, the supply shall be restored only after the consumer pays the outstanding charges/dues/ amount of instalment fixed along with disconnection-reconnection charges.

10.21 A consumer shall be required to make a written request to the office of the licensee if the consumer wishes to get his connection temporarily disconnected for a period upto six months. For duration of temporary disconnection the consumer shall be liable to pay in advance all the monthly charges that are fixed in nature like demand charge, minimum charge, meter rent etc. The consumer shall also be liable to pay disconnection / reconnection charges to avail the facility of temporary disconnection. The period of 'disconnection on request' can be extended on receipt of a request in writing and on necessary charges being deposited in advance.

CHAPTER 11: PREJUDICIAL USE OF SUPPLY

11.1 The licensee shall take all necessary measures to prevent diversion of electricity, theft or unauthorized use of electricity or tempering, distress or damage to electrical plants, electric lines, equipments or meters.

11.2 The consumer shall not make such use of supply given to him by the licensee which is prejudicial to the interest of the licensee.

Action to be taken under Section 126 of the Act:

11.3 The following acts on the part of consumer have been considered as unauthorized use of electricity under the provisions of Section 126 of the Act:

(i) Use of electricity by artificial means; or

(ii) Use of electricity by means not authorized by the concerned person or authority or licensee; or

(iii) Use of electricity through a tampered meter; or

(iv) Use of electricity for the purpose other than for which the usage of electricity was authorized.

11.4 The following acts on the part of the consumer shall also be considered as prejudicial use of electricity and shall also be dealt with under the provisions of Section 126 of the Act:

(i) Use of phase splitting device to facilitate working of three - phase motors/appliances during the period of single phase supply;

(ii) Increase in connected or contracted load in excess of the load as per the agreement;

(iii) Extension of power supply beyond the permitted area of use as in the agreement;

(iv) Shifting of location of meter or unauthorized alterations in the installation;

(v) Disconnection of neutral; or

(vi) Accidental damage to meter or equipments associated with metering provided by the licensee for the purpose of metering of energy supplied.

11.5 When any consumer is found committing any malpractice in his use of electrical energy, without prejudice to his (licensee's) other rights, the licensee shall forthwith disconnect the consumer's supply and remove the meter, electric line, electric plant and other apparatus.

11.6(a) If on inspection of any place or premises, the licensee comes to the conclusion that such person is indulging in unauthorized use of electricity, the assessing officer of the licensee shall provisionally assess to the best of his judgment the electricity charges payable by such person or by any other person benefited by such use in pursuance of the provisions of Section 126 of the Act.

(b) The order of provisional assessment shall be served upon the person in occupation or possession or in charge of the place or premises by registered post or by hand and the acknowledgement shall be preserved.

Provided that if the amount of provisional assessment is deposited within seven days of service of provisional bill, such person shall not be subjected to any further liability or any action by any authority whatsoever.

(c) The assessing officer shall prepare the bill for unauthorized use of electricity, presuming that such unauthorized use continued for period a of three months immediately preceding the date of inspection in case of domestic and agricultural connections and for a period of six months immediately preceding the date of inspection in case of all other categories of connections, unless the proof is produced to the contrary by the person accused of unauthorized use. The assessment shall be made at a rate equal to one-and-half times (1½ times) the tariff applicable for the relevant category.

(d) The aggrieved person may file objections, if any, to the assessing officer, who may, after affording a reasonable opportunity of hearing to such person, pass final order of assessment of electricity charges payable.

(e) Any person aggrieved by the final order may prefer an appeal within 30 days of the final order to an appellate authority as appointed by the State Government under section 126 of the Act, provided that one-third of the assessed amount is deposited with the licensee.

11.7 **Theft of electricity:-**

Theft of electricity has been defined in Section 135 of the Act as under:

Whoever, dishonestly,-

a. taps, makes or causes to be made any connection with overhead, underground or underwater lines or cables, or service wires or service facilities of a licensee; or

b. tampers a meter, installs or uses a tampered meter, current reversing transformer, loop connection or any other device or method, which interferes with accurate or proper registration, calibration or metering of electric current or otherwise results in a manner whereby electricity is stolen or wasted; or

c. damages or destroys an electric meter, apparatus, equipment, or wire or causes or allows any of them to be so damaged or destroyed as to interfere with proper or accurate metering of electricity,

so as to abstract or consume or use electricity, shall be punishable under the provisions of Section 135 of the Act.

Action to be taken under Section 135 of the Act:

11.8(a) On detection of offence of theft of electricity, the licensee through its authorized officer, shall prepare a detailed panchnama describing the prevailing conditions of the site leading to the belief that the offence has been committed under Section 135 of the Act.

(b) After preparation of panchnama, the licensee shall take measures to disconnect supply to the person engaged in such unauthorized act and remove the meter, electric line, electric plant and other apparatus and preserve evidences leading to conclusion of commitment of offence.

(c) In case of a regular connection, the consumption record of past couple of years before the date of detection of offence shall be reviewed by the assessing officer.

(d) In case the electronic meter is installed, the data shall be analyzed to ascertain the period during which the offence continued to be committed, can reasonably be concluded. Facts like consumption pattern, testing and checking of installation during the past period shall also be considered.

(e) If the period of offence can not be reasonably assessed due to whatever reasons, a period of one year or period from date of connection, whichever is less, shall be considered for assessing the quantity of energy which could not be recorded.

(f) The authorized officer of the licensee shall prepare the bill for theft of energy at a rate equal to two and half times (2.5 times) the tariff applicable for the relevant category for a period of 12 months preceding the date of detection of theft of energy or the exact period of theft, whichever is less, unless the proof is produced to the contrary by the person. These rates shall be made applicable to demand/fixed charges as well as energy charges.

Provided that the amount of provisional assessment is deposited by the person having regular connection from the licensee, the supply shall be reconnected within 48 hours after removing the cause of theft.

The licensee shall take all measures to avoid recurrence of theft or malpractice in the same premises before reconnection of supply.

(g) After working out the bill, the licensee shall issue bill through registered post or by hand and the acknowledgement shall be preserved.

(h) The aggrieved person may file representation, if any, to the authority designated by the licensee who may, after affording a reasonable opportunity of hearing to such person, pass final order of assessment of electricity charges payable within a period of one month from the date of filing of such objections.

The designated authority, on finding prima-facie reasons for review of the provisional bill, may allow consumer to deposit one-third amount of the bill before hearing is

commenced. On payment of such amount, the licensee may reconnect the supply pending final assessment.

(i) If the person fails to pay the remaining amount according to the final assessment order, the licensee shall be at liberty to disconnect the supply after giving a notice of disconnection.

(j) Payment of such assessment bill shall not mean that criminal proceedings shall not be pursued by the licensee in the competent court of law against the person involved in theft of electricity.

11.9 The procedure to be followed in case of theft of electricity has been given in details in Section 135 of the Act and the provision of search, seizure shall apply as given in the Act.

11.10 All above provisions are without prejudice to the rights of the licensee to take punitive action against the offender under Section 135 of the Act or any other applicable laws to recover the sum due against a person and to protect his (licensee's) assets and interests.

CHAPTER 12: MISCELLANEOUS

Force Majeure:

12.1 The licensee or the consumer shall not be liable for any claim for loss, damage or compensation whatsoever arising out of failure of supply when such failure of supply is due, either directly or indirectly, to war, mutiny, civil commotion, riot, terrorist attack, flood, fire, strike (subject to certification by Labour Commissioner), lockout (subject to certification by Labour Commissioner), cyclone, tempest, lightning, earthquake or any act of God.

12.2 If at any time during the continuance of the agreement between the licensee and the consumer, the plant or premises of the consumer is destroyed or damaged due to force majeure conditions mentioned in clause 12.1, rendering the plant or premises wholly or substantially unfit for occupation or use, the consumer may, on giving 7 days notice in writing to the licensee, about such a situation, take a reduced supply of power as may be necessary and feasible. In all cases where the consumer claims Force majeure conditions, the licensee's authorised representative shall verify the same. Such a facility shall be available to the consumer only if the period of reduced supply is for a minimum period of 60 days and upto a maximum of six months. The aforesaid period of reduced supply shall not be counted towards the initial period specified in the agreement and the period of agreement shall be extended for a further period equal to the period of reduced supply.

12.3 In case the licensee is unable to supply power to a consumer who is not otherwise a defaulter, disconnected or unconnected, for a period of 10 days (each day shall consist of power cut from 00 hours to 24 hours) or more in a calendar month, the licensee shall levy charges on the consumer in the following manner:

(a) Energy charges shall be on the basis of actual meter reading recorded in the energy meter.

(b) Other charges (excluding electricity duty and cess) shall be prorated on the basis of the number of days power was provided to the consumer.

This facility will be provided to consumers with metered connections only.

Tampering, distress or damage to electrical plant, lines or meter

12.4 If the electrical plant, lines or meter or any other equipment. of the licensee placed in the consumer premises is found tampered, distressed/damaged, the licensee shall be entitled to recover the expenses incurred for restoration of such plant, line, meter or equipment., without prejudice to his right to take action under appropriate provisions of the Act, including disconnection of supply for non-payment of the cost for replacement/rectification, and action for theft or assessment for unauthorized use, as the case may be.

Authorisation of Franchisees

12.5 A licensee may authorise a franchisee to distribute electricity on its behalf in a particular area within the former's area of supply as per the provisions of the Act.

Other Codes and Regulations

12.6 Consumers shall ensure that new buildings, structures, additions, modifications and any other construction projects keep the minimum clearances required from existing supply lines of the licensee. These minimum clearances are specified in the Indian Electricity Rules, 1956 and Distribution Code and Safety Code as may be notified by the Commission.

Service of Notice

12.7 Any letter, order or document addressed by the licensee to the consumer shall be deemed to be duly given, if served in writing and delivered by hand at, or sent by post/ courier, to the address specified in the consumer's application or in the agreement with the consumer if entered into or as subsequently notified to the licensee. In case there is no person on the premises to whom the notice can with reasonable diligence be delivered, the notice may be served by affixing it on some conspicuous part of the premises.

12.8 The licensee may serve any general notice like message regarding load regulatory measures, applicability of new tariff or change in due date of payment etc. in a widely circulated local newspaper.

12.9 All communications to the licensee shall be addressed to:

(a) The Secretary of the licensee's Company at the Corporate Office of the licensee or to any other officer authorised or designated in this behalf in case of H.T. consumers.

(b) The licensee's Executive Engineer or person holding an equivalent post of the area or his authorised representative in the case of L.T. consumers.

Unforeseen Circumstances

12.10 If any circumstances not envisaged in the provisions of the Electricity Supply Code, should arise, the licensee shall, to the extent reasonably practicable in the circumstances, consult promptly and in good faith all affected parties in an effort to reach an agreement as to what should be done. If an agreement between the licensee and those parties cannot be reached in the time available, the licensee shall determine it in the manner best to its ability.

12.11 Wherever the licensee makes such a determination, it shall do so having regard, wherever possible, to the views expressed by the affected parties and, in any event, to what is reasonable in the circumstances. Each party shall comply with all instructions given to it by the licensee following such a determination, provided that the instructions are consistent with the prevailing Codes and Regulations. The licensee shall promptly refer all such unforeseen circumstances, and any such determination to the Commission.

Interpretation:

12.12 These conditions shall be read and construed as being subject, in all respects, to the provisions of the Electricity Act, 2003, the Indian Electricity Rules, 1956 and as amended from time to time and the Rules made therein and to the provisions of any other law relating to the supply of electricity for the time being in force; and nothing contained in this Code shall abridge or prejudice the rights of the licensee and the consumer under any Central Act or State Act or Rules made there under.

12.13 In case of any dispute regarding the meaning or scope or interpretation of this Code, the interpretation of the Commission shall be final and binding on all concerned.

12.14 With the issue of this Supply Code, the "General conditions for Supply of Electrical Energy and Scale of Miscellaneous and General Charges" issued by erstwhile M.P. Electricity Board/ Chhattisgarh State Electricity Board, shall cease to operate from the date of its publication in the Chhattisgarh Rajpatra.

Power to remove difficulties:

12.15 If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Code, the matter may be referred to the Commission who after consulting the parties affected, where considered necessary, may pass any general or special order, not inconsistent with the provisions of the Act or any other enactment relating to supply of electricity for the time being in force, which appears necessary or expedient, for the purpose of removing the difficulty.

Jurisdiction of Court:

12.16 All proceedings arising out of this Code and the agreement made there under shall be filed only in the Court under whose jurisdiction the agreement was executed.

Savings

12.17 Nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.

12.18 Nothing in this Code shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of this Code, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

12.19 Nothing in this Code shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Codes have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

Note- In case of any difference in the interpretation or understanding of the provisions of the Hindi version of this Supply Code with that of the English version (the original version), the latter will prevail and in case of any dispute in this regard, the decision of the Commission shall be final and binding.

By order of the Commission,
AJAY SRIVASTAVA, Deputy Secretary.

Annexure

The licensee is authorised to modify the structure of the formats provided in this annexure in order to meet any requirement that may arise as a consequence of the provisions of this Code so that the formats are consistent with prevailing Rules, Regulations and the provisions of this Code.

Annex 1

Application form –Low Tension Service Connection

New Connection/ Shifting of Premises/ Change in Contract Demand/ Change of Tariff Category / Change of Name of Consumer

(Please strike-off the purpose that is not applicable)

To,

____

____

____

____

Sir,

I/ We request you to supply electricity to my/ our premises. The requisite information is furnished below:

1 Consumer

(a) Name of the person/ organization : ____________________________

(b) Name of father/ husband/ Director/ Partner/ Trustee :

____

(c) Category : General/ SC/ ST/ OBC/ Others
(Please strike-off category not applicable and tick the category applicable)

(d) Address of the premises where a new connection is hereby applied for/ the existing connection is proposed to be shifted:

Premise No : ____________________________

Street : ____________________________

Area/ Colony : ____________________________

Town : ____________________________

District : ____________________________

PIN : ______________

Telephone No : ______________

E mail : ____________________________

Bank A/C No. (optional): ____________________________

2 Nearest Pole Number from where connection is expected: ____________________

3 Built-up area of the premises/ plot area: ________________ sq feet

4 Category of supply - :
(Categories as provided in the list attached)

5 Purpose of supply :
(Sub-categories as provided in the list attached)

6 Type of supply : Permanent/ Temporary
(Please strike-off type not applicable and tick the type applicable)

If temporary specify period - From:____________ To: ______________

7 Proposed Connected Load

(a) For domestic connection :________________ Watts

Please fill-up and attach format for determination of connected load.

(b) For other categories please fill up the following (Attach duly signed separate list if required)

Item	Load per item (Watts)	No.	Total load (Watts)

8 Distance from the nearest distribution mains to the expected point of connection:

__________Meters

(The above information provided by the consumer will only be treated as indicative. During feasibility study the licensee will determine the point of distribution mains and the route through which the cable/ service connection will be drawn)

9 Any electricity dues outstanding in licensee's area of operation in consumer's name: Yes/ No

10 Any electricity dues outstanding for the premises for which connection applied for: Yes/ No

11 Any electricity dues outstanding with the licensee against any firm with which the consumer is associated as an Owner, Partner, Director or Managing Director: Yes/ No

(For serials 9, 10 & 11 if the answer is 'Yes' in any case, please provide details)

12 I/ We hereby declare that

(a) The information provided in this application is true to my knowledge.

(b) I/ We have read the Chhattisgarh Electricity Supply Code and agree to abide by the conditions mentioned therein.

(c) I/ We will deposit electricity dues, every month, as per the applicable electricity tariff and other charges.

(d) I/ We will own the responsibility of security and safety of the meter, cut-out and the installation thereafter.

Date : Signature of the consumer/ Authorised Signatory

Place : Name :

Designation (if any):

Note: The following documents shall be attached with the application form

1 Proof of legal occupation of the premises along-with the copy map of the premises/ land, indicating proposed point of supply, duly approved by the local authority. In case of streetlights the location of street light poles shall be indicated in the map.

2 Approval / permission of the local authority, if required under any law /statute.

3 In case of a partnership firm, partnership deed.

4 In case of a Limited Company, Memorandum and articles of Association and Certificate of incorporation.

5 In case of industries, copy of certificate of registration with Industries Department.

6 Proof of permanent residential address of the consumer and PAN Number, if any. If there is any change at a later date, the same shall be intimated by the consumer to the Licensee immediately.

7 In case of industries permission of Environment Conservation Department.

Annex 2

Application form –High Tension / EHT Service Connection

New Connection/ Shifting of Premises/ Change in Contract Demand/ Change of Tariff Category / Change of Name of Consumer

(Please strike-off the purpose that is not applicable)

To,

____

____

____

____

Sir,

I/ We request you to supply electricity to my/ our premises. The requisite information is furnished below:

1 Consumer

(a) Name of the person/ organization : ________________________

(b) Name of father/ husband/ Director/ Partner/ Trustee : ________________________

(c) Full Address of the premises where a new connection is hereby applied for/ the existing connection is proposed to be shifted:

____

____

____

____

PIN : ____________

Telephone No :

Factory/ Premises : ____________

Registered Office : ____________

Residence : ____________

E mail : ________________________

Bank A/C No. (optional) : ________________________

2 Voltage at which supply is required (KV):

11 KV	33 KV	132 KV	220 KV

(Please strike-off category not applicable and tick the category applicable)

3 Type of supply : Permanent/ Temporary
(Please strike-off type not applicable and tick the type applicable)

If temporary, specify period - From:______________ To:________________

4 Steps taken by the consumer so far to set-up the installation

(a) ____

(b) ____

(c) ____

(d) ____

5 Basis of projection of Contract Demand required

(a) Diversity factor assumed : ______________________

(b) Total Connected Load : ______________________

6 Phasing of contract demand (CD):

Sl No	CD required (KVA)	Tentative Date from which required	Remarks

7 Purpose of installation : ______________________

8 Category of tariff opted for : ______________________

9 Production capacity : ______________________

10 Category of Industry : SSI/ MSI/ LSI
(Please strike-off category not applicable and tick the category applicable)

11 Status of land acquisition : ______________________

____

____

12 Expected date by which finance would be available: ______________________

13 Whether the requisite consent / NOC (where applicable according to the list of Pollution Control Board) has been obtained from C.G. Environment Conservation Board, Raipur as per statutory requirements (If yes, a copy should be furnished). :

____

14 Any electricity dues outstanding in licensee's area of operation in the consumer's name: Yes/ No

15 Any electricity dues outstanding for the premises for which connection applied for: Yes/ No

16 Any electricity dues outstanding with the licensee against any firm with which the consumer is associated with any firm as an Owner, Partner, Director or Managing Director: Yes/ No

(For serial 15, 16 & 17 if answer is 'Yes' in any case please provide details)

17 I/ We hereby declare that

(a) The information provided in the form above is true to my knowledge.

(b) I/ We have read the Chhattisgarh Electricity Supply Code and agree to abide by the conditions mentioned therein.

(c) I/ We will deposit electricity dues, every month, as per the applicable electricity tariff and other charges.

(d) I/ We will own the responsibility of security and safety of the meter, cut-out and the installation thereafter.

Signature of the consumer/ authorised signatory

Date: ________________

Place: ________________

Note: The following documents shall be attached with the application form

1. Proof of ownership of the premises
2. A map indicating therein the proposed location of the plant/ *office* and the point where supply is required. The map should normally be of the scale of 1 cm representing 1200 cm.
3. Licence/ NOC from statutory authority, if required or a declaration by the applicant that his connection does not fall under the requirement of NOC under any statute.

4. In case of a proprietary firm, an affidavit to be submitted stating that the applicant is the sole proprietor of the firm.

5. In case of partnership firm, partnership deed.

6. In case of Limited Company, Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation.

7. Proof of permanent residential address of the consumer and PAN Number, if any. If there is any change at a later date, the same shall be intimated by the consumer to the Licensee immediately.

8. Letter of intent for production/ enhancement in production may be furnished.

9. List of equipments proposed to be installed along with the expected load.

10. Resolution for authorised signatory.

11. Registration from Industries Department.

12. Extract of project report relevant to power and process requirements (in case of industries).

13. Copy of the relevant section of the current tariff order that provides details of the tariff category opted by the consumer and duly signed by him. This will be appended with the agreement after completion of formalities.

Annex 3

Determination of Connected Load

Domestic Connection

1. Name of the consumer : ______________________

2. Address : ______________________

____

____

____

3. Consumer Number (for existing connections): ______________________

4. Electrical equipments proposed to be put to use: *(Please fill-up the following table to enable determination of the connected load. Normally the actual load of each item will be considered to determine the connected load at the premises. In case of non-availability of the rated capacity of any item, the load shown below shall be considered.)*

Item	Load per item (Watts)	No.	Total load (Watts)
1.	2	3	4 = 2x3
Bulb	60		
Tube light	50		
Fan	60		
Tape-recorder/ Music system	100		
Television	90		
Mixer/grinder	375		
Electric iron	750		
Fridge	150		
Cooler	250		
Heater (for cooking and water heating)	1000		
Washing machine	750		

Geyser	2000		
Microwave oven	2000		
Air Conditioner (1 ton)	1500		
Air Conditioner (1.5 Ton)	2250		
Computer	100		
Printer	150		
Pump-set	375		
		Total	

(a) Spare socket points / holders shall not be counted towards connected load.

(b) In some domestic connections Geyser, Room Heater and Air-conditioner (without heater) are installed. If both Geyser(s) and Room Heater(s) are present, the load of these two types of items shall be added and compared with the load of air-conditioner(s). The higher load between the two (that is load of Geyser(s) plus Room Heater(s) vis-à-vis load of Air-conditioner(s)) shall be considered for determination of connected load.

Signature of the Consumer

Date: ______________

Place: ______________

Signature of the licensee's representative

Date: ______________

Place: ______________

Annex 4

Test Report

To be filled up by licensed Electrical Contractor

Book No. ____________

Form No. ______________

To be filled up by the licensee

This is being issued for providing electrical connection at the premises of Mr./ Mrs./ Ms. ________________________. The address of the premises is ____________________________

The name and address of the licensed electrical contractor is ____________________________

The date of issue of this report is ______________________.

To be filled up by the licensed electrical contractor

5 I hereby declare that –

(a) I have ________________ class license valid till ________.
The license number is ____________________________.

(b) I have completed this work for Mr./ Mrs./ Ms. ____________________ for his ____________________________.

Details of Job

Sl No	Item	220/ 230 Volts						440/ 400 Volts	
		Red Phase		Green Phase		Blue Phase		No	Total Watts
		No	Total Watts	No	Total Watts	No	Total Watts		
1									
2									
3									
4									

(c)

(i) The particulars of the employees who executed the job are tabulated below.

Sl No.	Name of the Wireman/ Trainee	Designation	Period	
			From	To

(ii) The work was carried out under the supervision of ____________________ (Supervisor Wireman) whose certificate number is ____________________. He is responsible for work carried out during the period ____________________

(d) This installation specifications adhere to all the provisions of Indian Electricity Rules 1956.

6 I also declare/ certify the following:

(a) The installed switches are of correct ratings: Yes/ No

(b) All the switches and wiring are permanent and of correct specifications Yes/ No

(c) All plugs are of three pin type and controlled by separate switches Yes/ No

(d) All the Single Pole switches connected to the phase Yes/ No

(e) Required permanent mark is provided on the main switch board for Neutral point

Yes/ No

(f) Arrangement for earthing is according to Rule 61 of Indian Electricity Rules, 1956 Yes/ No

(g) In case of three phase installation

(i) Danger board, fire extinguisher with buckets, shock chart and first aid kit have been provided for Yes/ No

(ii) The installation specifications of the switch board is as per Rule 15 of Indian Electricity Rules, 1956 Yes/ No

7 Test results

Date of testing___________________

	Insulation to Earth	Insulation between conductors
Phase 1		
Phase 2		
Phase 3		

Earth Resistance	Date of testing
Electrode No 1	Electrode No 2

8 The date of registration according to form 'L' of Chhattisgarh Licensing Board (Electricity) is as follows:

Sl No. ___________________

Date ___________________

Signature of the Licensed Electrical Contractor

Certificate from *Supervisor* wireman

It is hereby certified that the aforesaid work has been undertaken by ____________________ ______________________________ who has a wireman permit number of ____________ ________________________ that is valid till ________________________.

It is also certified that testing of the installation has been undertaken by ______________ ______________________________ who has a permit number of ________________ ________________________ that is valid till ________________________.

Signature of the wireman

Signature of *Supervisor*, wireman

Receipt

The test report form number ________________ for the installation at the premises of ______________________________ prepared by ______________________________ has been received on ______________________________.

Signature of Officer in Charge

Name

Designation

Date

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.